Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का ५८वां दिवस [संख्या ३५

मंगलवार, १४ अप्रेल, १९५९

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर १०मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल।

लावारिश, अपंग व टी. वी. के पेशेन्ट्स को सहायता

१०१९. श्री गिरधारीलाल (नोखा) : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि लावारिस औरतें, अपंग व टी. बी. पेशेन्टों को सरकार की ओर से सहायता स्वरूप कोई धन राशि दी जाती है।

(२) बीकानेर ज़िले के पिछले तीन सालों में कितने भयंकर रोगों से ग्रसित हरिज़न व्यक्तियों को सरकार की ओर से सहायता स्वरूप धनराशि दी गई और किन किन को?

उप मंत्री समाज कल्याण विभाग (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां। अनुसूचित जाति के टी. बी. व अन्य गम्भीर बीमारियों के लोगों को इस विभाग द्वारा सहायता दी जाती है।

(२) बीकानेर ज़िले में सिर्फ सन् १९५७, ५८ में एक हरिज़न को टी. बी. के रोग की चिकित्सा के लिये इस विभाग से सहायता दी गई।

डॉ० बहादुरसिंह, (धौलपुर) : क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग ने हरिज़नों और अन्य लावारिस लोगों के लिए स्थान रिजर्व कर रखे हैं, जिससे कि उनको भर्ती कराया जा सके?

श्री भीखाभाई : टी. बी. सेनीटोरियम, जयपुर में डाइरेक्ट कोई स्थान रिजर्व नहीं है। जब इस प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना पत्र आते हैं। तो अजमेर में बैड सुरक्षित हैं वहां उनको भर्ती करा दिया जाता है।

Page No.2

डॉ० बहादुरसिंह : एक माननीय सदस्य जो हरिज़न हैं और सुरक्षित सीट से आये हैं उनकी धर्मपत्नी का इसीलिए स्वर्गवास हो गया कि सुरक्षित स्थान से आये हैं और उनको चिकित्सा के लिए भर्ती नहीं किया जा सकता ?

श्री भीखाभाई : इसका मुझे मालूम नहीं है ।

श्री मूलचंद डागा (पाली) : क्या इसके लिए सब ही ज़िलों में धन राशि सहायता के लिए देते हैं ?

श्री भीखाभाई : इतनी धन राशि नहीं है कि सब ही ज़िलों को दी जा सके । अजमेर में ६ वेड सुरक्षित हैं ।

श्री मूलचंद डागा : इसका क्या प्रोसिज़र है ?

श्री भीखाभाई : डाइरेक्टर को दरख्वास्त देनी पड़ती है । डाइरेक्टर गवर्नमेन्ट के पास भेजते हैं और गवर्नमेन्ट की ओर से रिकमन्ड किया जाता है । डॉक्टरी सर्टिफिकेट नत्थी होता है ।

श्री गिरधारीलाल : पिछले तीन सालों में हरिज़नों के कितने प्रार्थना पत्र आये हैं ?

श्री भीखाभाई : यह अलग प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

माध्यमिक शाला लूणकरणसर का उच्चतर विद्यालय में परिवर्तन

१०१७. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या कस्बा जैतपुर, तहसील लूणकरणसर, ज़िला बीकानेर के निवासियों ने वहां की माध्यमिक शाला को उच्चतर विद्यालय में परिवर्तन करने हेतु मांग रखी है ?

(२) क्या यह सही है कि वहां के लोग उच्चतर विद्यालय का भवन बनाने का उत्तरदायित्व वहन करने को तैयार हैं ? अगर हां, तो सरकार उपरोक्त मांग को कब तक पूरा करने को तैयार है ?

मुख्य एवं शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) जी हां ।

(२) जी हां । परन्तु यह माध्यमिक शाला सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करती इसलिए वर्तमान में इसे उच्चतर विद्यालय बनाने के प्रश्न पर विचार करना सम्भव नहीं है ।

श्री भीमसेन : यह बेकवर्ड एरिया और यदि कन्डीशन्स ऐसी हों तो क्या रिलेक्स नहीं कर सकेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पढ़ने वाले लड़कों की तादाद तो चाहिये ।

श्री भीमसेन : वह तो है पढ़ने वाले लड़कों की तादाद तो है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं । ६, ७, ८, वीं क्लास में कुल ३८ विद्यार्थी हैं ।

Page No.3

श्री भीमसेन : नवीं क्लास पूर्ति कर देगी।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : ६,७,८ वीं में कुल जहां ३८ लड़के हैं वहां नवीं कक्षा कैसे पूर्ति कर सकेगी।

श्री भीमसेन : आसपास मिडिल स्कूलें हैं दूसरी और वहां से यहां लड़के आकर संख्या की पूर्ति कर देंगे।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : जब यह मालूम पड़ेगा कि आसपास से काफी तादाद में लड़के आने वाले हैं तब उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम।

बांसवाड़ा जिले में अध्यापकों की ग्रेड

१०१८. श्री नाथूराम (बागीडोरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या विभागीय नियमोन्तर्गत १. ४. ५० से बांसवाड़ा ज़िला के अध्यापकों को ट्रेन्ड मिडिल एवं ट्रेन्ड मेट्रिक की उच्च प्रवर श्रेणी की ग्रेड दी जा चुकी है ? यदि नहीं, तो कब तक मिलने की संभावना है ?

मुख्य एवं शिक्षा मन्त्री (श्री मोहन लाल सुखाड़िया) : जी नहीं। यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि उच्च प्रवर श्रेणी की ग्रेड कब तक दी जावेगी।

श्री नाथूराम : बेकवर्ड एरिया में कई अध्यापक ऐसे हैं कि जिनको ग्रेड जल्दी ही मिल जानी चाहिये थी किन्तु नहीं मिली है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जल्दी से जल्दी मिले उसका प्रयत्न कर रहे हैं और आशा करते हैं कि अधिक समय नहीं लगेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री बेनाराम गहलोत।

गोचर भूमि का पंचायतों को अधिकार

१०१६. श्री बेनाराम गहलोत (खारची) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि गोचर भूमि राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के आधीन दे दी गई है ?

(२) क्या यह सही है कि उस गोचर भूमि में चरने वाली भेड़, बकरियों की घास-मारी रेवेन्यू विभाग वसूल करता है ? यदि हां, तो क्यों ?

उपमन्त्री राजस्व विभाग (श्री सम्पत राम) : (१) झुंझनूं, भरतपुर, नागौर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सीकर, सिरोही, सवाई माधोपुर, जयपुर, डूंगरपुर, बूंदी, पाली, जालौर, झालावाड़, चुरू, ज़िलों में गोचर भूमि पंचायतों के आधीन कर दी गई है।

भीलवाड़ा, अजमेर, गंगानगर में अभी गोचर भूमि कायम नहीं हुई है। बाड़मेर, जैसलमेर में अभी गोचर भूमि पंचायत के सुपुर्द नहीं की गई है।

(२) जी हां। राजस्व विभाग के आदेश दिनांक २४-११-५८ के तहत वसूल की जाती है।

Page No.4

श्री बेनाराम गहलोत : जिन स्थानों पर गोचर भूमि बिल्कुल नहीं है वहां से रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट क्यों घासमारी वसूल करता है ?

श्री सम्पतराम : जहां पर रेवेन्यू की भूमि नहीं है वहां पर वसूल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है ।

श्री बेनाराम गहलोत : लेकिन किया जाता है, ऐसे स्थानों पर भी तो ।

श्री भीमसेन, (लूणकरणसर) : सन् ५४ में पंचायत एक्ट लागू हो गया था और ज़मीनों को, पंचायतों को ट्रान्सफर करना था किन्तु ज़मीनों को ट्रान्सफर कियां नहीं ।

श्री सम्पतराम : सेटिलमेन्ट नहीं हुआ इसलिए यह तय नहीं हो सकता कि गोचर भूमि कितनी होनी चाहिये । बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां कि गोचर भूमि है नहीं । डिमार्केशन नहीं हुआ था इसलिए यह दिक्कत थी ।

श्री भीमसेन : जहां पर गोचर भूमि डिमार्केट करने का सवाल है उसके लिए एस. डी. को पॉवर्स दिये जा चुके हैं । लेकिन उनकी ढिलाई से अब तक हुई नहीं है ।

श्री सम्पतराम : कई जगह सैटिलमेन्ट नहीं हुआ है और हुआ है तो साफ़ कागज़ात बन कर रेवेन्यू विभाग के पास नहीं आये हैं और इसको डिमार्केट करने के लिए इमीज़ियेटली एक्शन नहीं ले पाये ।

श्री भीमसेन : प्रस्ताव पास करके भेजा है कि इतने पशु धन हैं और एक पशु के हिसाब से एक बीघा छोड़ देना चाहिये । सेटलमेन्ट करने का सवाल है ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : जहां तक गोचर भूमि का सम्बन्ध है गवर्नमेन्ट ने आॅर्डर्स दे दिये कि डिमार्केट भूमि है वह पंचायतों को सुपुर्द कर दी जावे । और कर दी गई है । जहां नहीं हुई है वहां डिमार्केट करके कराये । इस प्रकार की हिदायतें जारी कर दी गई हैं और कहीं यदि इसकी तामील नहीं हुई है । तो इसके लिए और ताकीद कर दी जावेगी । जहां जितनी गोचर भूमि अवेलेबल है डिमार्केट कर दी जावेगी । अलॉटमेन्ट वहां किया जावेगा जहां कि गोचर भूमि डिमार्केट हो जावेगी ।

श्री भीमसेन : जहां तक डिमार्केट करने का सवाल है उसके लिए रूल्स बने हुए हैं । लेकिन उनके पालन में ढिलाई हो रही है । इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता था कि इसमें पर्सनल इन्ट्रेस्ट लिया जावे ।

श्री मूलचंद डागा (पाली) : एस. डी. ओ. के नाम पर कब हिदायतें जारी कीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एक से ज्यादा दफ़ा । अलॉटमेन्ट के रूल्स गजट में शाया कर दिये गये हैं कि अलॉटमेन्ट पहले किया जावे और डिमार्केट बाद में ।

श्री लक्ष्मीचंद (सांचौर) : घासमारी वसूल नहीं की जावेगी ।

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां सिवाय चक की ज़मीन है वहां नहीं की जावेगी ।

श्री अनोपसिंह, (बालोतरा) : पहले जोधपुर स्टेट के समय किस आधार पर किया जाता था और अब किस आधार पर ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह जोधपुर के वक्त में था। चराई वसूल की जाती है वह वहां है और स्टेट में भी की जाती थी जहां ऐसी ज़मीन है वहां वसूल की जावे, ऐसे नियम हैं।

श्री अनोपसिंह : ज़ागीरदारी सिस्टम के वक्त में घासमारी वसूल की जाती थी चराने वाले हर जगह चरा सकते थे और इसी पर वसूल की जाती थीं, नहीं तो नहीं। अब वह कायदा टूट गया है कि फसल ले लेने के बाद चरा सकते हैं। तो फिर रेवेन्यू का सवाल कहां पैदा होता है कि लिया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसे ऑर्डर्स नहीं दिये गये हैं कि फसल ले लेने के बाद नहीं चराया जाय। लेकिन जबरदस्ती चराने के लिए मज़बूर नहीं किया जा सकता।

श्री तेजमल बापना : क्या माइनर और इर्रिगेटेड एरियाज़ हैं वहां भी गोचर भूमि रखी जावेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इर्रिगेटेड एरियाज़ में नहीं।

श्री अध्यक्ष : मूलचंद डागा।

सर्किट हाउसेज़ की बकाया रकम

१०२०. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सरकिट हाउसेज़ की तारीख ३१–८–५७ तक किन किन में कितनी कितनी रकम बकाया है ? सूची दीजियेगा।

(ख) उक्त रकम की वसूली की क्या कार्यवाही चल रही है ?

मुख्य मंत्री (मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) सरकिट हाउसेज़ की तारीख ३१।८।५७ तक की रकम की बकाया की सूची संलग्न है।

(ख) सरकार द्वारा वसूली की कार्यवाही की जा रही है जहां आवश्यक समझा गया है। सरकारी कर्मचारियों से वसूली के सम्बन्ध में महा लेखापाल को लिख दिया गया है, ताकि उनके वेतन से वसूली हो सके तथा अन्य लोगों के खिलाफ पी० डी०आर० द्वारा वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची अत्याधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मूलचन्द डागा : ३१–८–५७ से लेकर अब तक कितनी रकम की वसूली की गई।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह प्रश्न अलग से है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : बकाया रकम कितनी है ? What is the total amount due ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : १ लाख २५ हज़ार २६३ रु० ४१ नये पैसे।

श्री मुरलीधर व्यास, (बीकानेर सीटी): क्या इन सरकिट हाउसेज़ में ठहरने के पहले डिपोज़िट रकम नहीं ली जाती है क्या ?

Page No.6

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं यह समझा जाता है कि वे इसको चुका देंगे।

श्री मूलचन्द डागा : इतना रुपया बकाया है तो सरकार यह विचार नहीं रखती है। सरकिट हाउसेज़ में जो टहरना चाहे उनसे डिपोज़िट जमा करवाया जाय ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह रुपया रिएलाइज़ हो जायगा कई हज़ार रुपया डिपार्टमेन्टस में है जो सिर्फ ऐडजस्ट होने का है बाकी और जो रुपया है वह वसूल नहीं होगा ऐसी बात नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी, (फुलेरा) : फ्यूचर में एरियर्स एक्यूमुलेट न हो उसके लिये आपने कोई तरीका सोचा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जल्दी से जल्दी वसूल होनी चाहिये ऐसी आज्ञा जारी कर दी गई है।

श्री पी० के० चौधरी : No no. About future, whether you have got any system how to stop it ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जल्दी से जल्दी वसूली कर ली जाय इन मामलों में हिदायत जारी कर दी गई है जिससे एरियर्स एक्यूमुलेट नहीं हों।

श्री पी० के० चौधरी : Why not make a rule that before they draw their T. A. and D. A., they should give a clearance certificate from the Circuit House that they have paid the Circuit House dues ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसमें सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स की बकाया नहीं है, कई और लोगों की भी बकाया है कुल मिला-कर दूसरी बकाया ज्यादा निकलती है। गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स से तो वसूल हो जायगी। टी० ए० डी० ए० की वक्त क्लीअरेन्स सर्टिफिकेट देने में मुश्किलातें हो सकती हैं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : सर्किट हाउसेज़ कॉमर्शियल बेसिस पर रन करते हैं वैसी हालत में जो भी अधिकारी वहां ठहरते हैं उनको उस सर्किट हाउस का पेमेन्ट कर देना चाहिये अधिकारियों द्वारा क्यों नहीं किया जाता ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सर्किट हाउसेज़ कॉमर्शियल लाइन पर चलते हैं वैसी हालत में जो वहां ठहरते हैं उनको चाहिये कि वे पेमेन्ट कर दें किन्तु जिस वक्त हिसाब बनता है डिपार्टमेंट की बकाया का ख्याल रखा जाता है। हिसाब बनने के बाद में डिपार्टमेंट को चाहिये कि वे उसका पेमेन्ट कर दे। हमने इन्स्ट्रक्शन्स दे दिये हैं जल्दी से जल्दी पेमेन्ट कर दिया करें ताकि ऐसे एरियर्स डेवेलप न हों।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

महाराजा कॉलेज की एम० ए० कक्षाओं में समाज शास्त्र का शिक्षण

१०२१ **श्री मुरलीधर व्यास**, (बीकानेर सिटी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आगामी सत्र : १९५९-६०, से महाराजा कॉलेज, जयपुर में एम० ए०

Page No.7

(श्री मुरलीधर व्यास)

कक्षाओं में समाजशास्त्र : सोशियोलोजी : प्रारम्भ करने की छात्रों ने मांग की है ?

(ख) यदि हां, तो इस विषय को महाराजा कॉलेज में एम० ए० कक्षाओं में कब से प्रारम्भ किया जायगा ?

मुख्य एवं शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाला सुखाड़िया) : (क) जी हां।

(ख) अभी निश्चित नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : निश्चित नहीं होने के क्या कारण हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज़ खोलने के बारे में सरकार की नीति है कि जहां तक हो पाये युनिवर्सिटी की तरफ से ये खोले जायं। पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज़ न बढ़ाई जाय, जब तक कि इस बारे में हमारे स्कूल कालेजेज़ या सर्विसेज़ में इनकी विशेष आवश्यकता प्रतीत हो।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या समाज शास्त्र ऐसा विषय है जिसका उपयोग स्कूलों और कॉलेजेज़ में न होता हो, जब के महारानी कॉलेज़ में यह विषय है तो महाराजा कॉलेज़ में यह विषय क्यों नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यहां पहले से नहीं है राजस्थान के अन्दर दो जगहों पर इसकी क्लासें चलती हैं इसलिये हर कॉलेज़ के अन्दर यह विषय रखना आवश्यक नहीं। यहां युनिवर्सिटी होने की वजह से हम चाहते हैं कि प्रोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिये युनिवर्सिटी की तरफ से व्यवस्था की जाय।

श्री पी० के० चौधरी : पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशियोलोजी पढ़ाने का कहां प्रोविज़न है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ब्यावर और उदयपुर।

श्री मुरलीधर व्यास : युनिवर्सिटी के सम्बन्ध में क्या राज्य सरकार का पत्र व्यवहार चल रहा है। जिस पर आपने कहा, विचार कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : विचार यह कर रहे हैं कि इस प्रकार पोस्ट ग्रेजुएट की क्लास जयपुर में खोलने की आवश्यकता है क्या ? इस पर भी मेरा निवेदन है कि अगर खोलने की आवश्यकता है भी तो वह युनिवर्सिटी की तरफ़ से खुलनी चाहिये।

डा० चन्द्रकला : क्या इस प्रकार की छात्रों की मांग युनिवर्सिटी के सामने रख दी गई है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : युनिवर्सिटी के सामने सारी परिस्थितियां हैं।

प्रश्न संख्या १०२२

श्री अध्यक्ष : रामेश्वर दयाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १०२३

(श्री अध्यक्ष)

श्री दयाकृष्ण विजय ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १०२४

श्री बेनाराम गहलोत ।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की सूचना प्राप्त नहीं हो सकी ।

प्रश्न संख्या १०२५

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री रामकरण सिंह ।

सरदार हाईस्कूल छात्रावास के ठिकाने के समय के नौकरों को सरकारी नौकरी में लिया जाना

१०२६. श्री **रामकरणसिंह**, (कोटपुतली, श्री जगदीशप्रसाद माथुर द्वारा पूछा गया) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि सरदार हाईस्कूल छात्रावास कोटपुतली में ठिकाने के समय के जो नौकर काम करते थे । उन्हें शिक्षा विभाग ने ले लिया है परन्तु एक हरिजन जो सफ़ाई का कार्य करता था उसे नहीं लिया गया है ? यदि हां तो, तो क्यों ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हरिजन सहित सभी कर्मचारियों को शिक्षा विभाग ने ले लिया ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या उस हरिजन का फिक्सेशन नहीं हुआ है अब तक ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप दूसरों की तरफ से प्रश्न पूछ रहे हैं इसलिये आपको पता नहीं है उसका फिक्सेशन हो गया था और उसकी डेथ भी हो गई थी ।

जागीर पुनर्ग्रहण के सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री श्री नेहरू की राय

१०२७. श्री **सोहनलाल भटनागर**, (सलूम्बर) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ।

(१) भारत के प्रधान मंत्री श्री नेहरू के समक्ष जागीर पुनर्ग्रहण के सम्बन्ध में राय प्राप्त करने के लिये क्या टर्म्स ऑफ रेफरेन्स रखे गये थे ?

(२) क्या श्री नेहरू की राय प्राप्त हो गई है ?

(३) क्या इस फैसले को क्रियान्वित किया जावेगा ?

(४) यदि हां, तो इसमें सरकार का कुल कितना रुपया अधिक खर्चा होगा और इससे कितने जागीरदारों को लाभ पहुँचेगा ?

उप मन्त्री राजस्व विभाग (श्री सम्पत राम) : (१) इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार द्वारा कोई राय नहीं मांगी गई । भूस्वामी संघ ने अपना मांग पत्र प्रधान मंत्री

(श्री सम्पतराम)

महोदय को पेश किया था जिस पर बाद में राजस्थान गवर्नमेंट को स्वीकृति ले ली गई थी उनकी मांगें निम्न हैं :–

(अ) मुआवज़ा व पुनर्स्थापन अनुदान के गुणन बढ़ाये जावें।

(आ) एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ कम किये जावें।

(इ) भूमि की ग्रोस इन्कम सेटिल्ड इन्कम के आधार पर न होकर पिछले १० वर्षों की औसत आमदनी पर दी जावें।

(ई) पिछले तीस वर्षों में जो जागीरदार ने अपनी भूमि की कीमत बढ़ाने में खर्च किया उसका मुआवज़ा दिलाया जावे।

(२) जी हां।

(३) यह सरकार के विचाराधीन है।

(४) जब तक कानून में संशोधन नहीं हो जाता तबतक इसका जवाब निश्चित रूप से नहीं दिया जा सकता।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : क्या यह सही है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री भूस्वामियों का डेलीगेशन लेकर प्रधान मंत्री से मिले थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : जी हां, यह बात सही है।

श्री श्रीभानसिंह : राजस्थान के मुख्य मंत्री ने यह कैसे अनिवार्य समझा, जब कि एक दफ़ा प्रधान मंत्री का जो अवार्ड था उसको टर्न डाउन कर दिया फिर था भी मुख्य मंत्री ने अनिवार्य कैसे समझा कि इनको लेकर प्राइम मिनिस्टर से मिला जाय ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपसी बातचीत से।

श्री श्रीभानसिंह : आपसी बातचीत में यह भी डिस्कशन हुआ था कि भूस्वामी संघ ने जो एजीटेशन किया था उसको सबसाइड और विथड्रा इसी आधार पर किया था कि मुख्य मंत्री महोदय ने उनको इस प्रकार की कन्डीशन दे दी थीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं।

श्री श्रीभानसिंह : क्या भूस्वामियों ने दुबारा राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय को यह ट्रेनिंग दी थी ? तभी जाकर मुख्य मन्त्री महोदय भूस्वामियों को लेकर भारतवर्ष के प्रधान मन्त्री से मिले।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं, यह भी सही नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : तो फिर आखिर सही हैं क्या ? क्या यह सही है कि राजस्थान के भूस्वामियों ने यह मांग पेश की थी कि हमारा कम्पेन्सेशन बढ़ाया जाय और उस कम्पेन्सेशन की मांग को लेकर राजस्थान के मुख्य मंत्री प्रधान मंत्री से मिले ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : असल बात यह है कि भूस्वामियों के प्रतिनिधियों के साथ जो बातचीत हुई उस बातचीत के समय उन्होंने इस बात से सहमति प्रगट की कि जो भी प्रश्न ऐसे हैं, जिनके बारे में उनको

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

असन्तोष है तो उनके बारे में आपसी बातचीत से सद्भावनापूर्ण तरीके से जो भी उचित हो निर्णय लिया जाय। इस पर कुछ प्रश्नों पर तो आपसी बातचीत द्वारा निर्णय ले लिया गया। लेकिन उसके बाद भी कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनका आपसी बातचीत द्वारा निर्णय नहीं हो सका। इस बारे में दोनों ही पक्षों ने इस बात को स्वीकार किया कि प्रधान मंत्री जो भी फैसला करें वह हमें स्वीकार होगा। उस स्थिति के अन्दर हम निश्चित समय पर इस मामले को लेकर प्रधान मंत्री के साथ बातचीत करने के लिये गये।

श्री श्रीभानसिंह : क्या यह सही है कि प्रधान मंत्री ने पहले भी इस बारे में इनका रिप्रेजेन्टेशन उनसे मिला था इस मांग को टर्न डाउन कर दिया था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पहले टर्न डाउन कर दिया था इस बात को सभी जानते हैं उसके बाद उन्होंने मन्जूर कर लिया।

श्री श्रीभानसिंह : जिन दो व्यक्तियों को लेकर राजस्थान के मुख्य मंत्री प्रधान मंत्री से मिले उन्होंने यह कैसे समझा कि यह भूस्वामियों के रिप्रेजेन्टेटिव हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह बाकायदा संगठन उनका है, उसके प्रतिनिधि थे।

श्री श्रीभानसिंह : क्या माननीय मंत्री ने उन दो भूस्वामियों के लिये उनके संघ के साथ कोई पत्र व्यवहार किया था कि आप अपने रिप्रेजेन्टेटिव चुन कर भेजो कि जिनको मैं दिल्ली साथ ले जाऊं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: मैं समझा नहीं। पहले ले गये वह भी प्रतिनिधि थे या नहीं ?

श्री श्रीभानसिंह : आपने कहा दो प्रतिनिधि ले गया, तो आपने क्या भूस्वामी संघ से पत्र व्यवहार किया था, कि दो रिप्रेजेन्टेटिव अपने चुनकर भेजिये, जिनको आप अपने साथ प्रधान मन्त्री से मिलाने दिल्ली ले जावें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे ऐसा याद नहीं आता।

श्री श्रीभानसिंह : तो फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि वे भूस्वामी संघ के ही रिप्रेजेन्टेटिव थे जो आपके साथ वहां दिल्ली गये थे प्रधान मन्त्री से भेंट करने ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो पदाधिकारी होते हैं वे रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ ही समझे जाते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : आप बता सकते हैं कि वे भूस्वामी संघ के क्या पदाधिकारी हैं, क्या पोज़ीशन वे होल्ड करते हैं भूस्वामी संघ में ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरा ख्याल है मेरे साथ दो नहीं ज्यादा थे, दूसरा यह कि जो अध्यक्ष थे भूस्वामी संघ के, वह साथ थे।

श्री श्रीभानसिंह : क्या इसके जो फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन्स हैं, राजस्थान गवर्नमेंट ने अच्छी तरह सोचकर प्रधान मन्त्री के सामने उसे रख दिया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां, हमने भी सोचा, प्लानिंग कमीशन ने भी अपने सीनियर मेम्बरों द्वारा इसको देखा और इस काम के लिये प्रधान मन्त्री को असिस्ट करने के लिये उनको मुकर्रर किया था, उन्होंने भी सारे पहलुओं पर विचार किया और इसके बाद उन्होंने जो राय दी उसको हमने स्वीकार किया।

श्री श्रीभानसिंह : तो यह माना जावे कि यह राय प्लानिंग कमीशन ने दी है उसको प्राइम मिनिस्टर ने एन्डोर्स करके राजस्थान गवर्नमेंट को पेश किया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हमारे पास तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने राय दी, वह है। उसे प्लानिंग कमीशन ने एप्रूव किया है, यह भी हमें मालूम है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : क्या सरकार इस सम्बन्ध में सारी पूर्व परिस्थिति और समझौते को लेकर हाउस को कॉन्फिडेन्स में लेना चाहेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह तो सारा बिल ही एसेम्बली में आ रहा है, जिस पर विचार होगा। और समय समय पर जो बातचीत चलती रही है, उन प्रश्नों के ज़रिये और अन्य जरियों से उसकी जानकारी दी जाती रही है।

श्री जनार्दनराय नागर : इतनी बड़ी घटना यह है कि जिसके बारे में हाउस को कॉन्फिडेन्स में लिया जाना चाहिये और सारी परिस्थितियों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी जाती रहनी चाहिये, इसके बारे में स्टेटमेंट सरकार को देने चाहिये मैं यह मानता हूं। यह विटल इन्टरेस्ट का सवाल है। प्रश्नों आदि के ज़रिये जो स्थिति सामने आती है वह तो छुटपुट स्थिति आई है। मैं समझता हूं कि सरकार भी इसको पसन्द करेगी और हाउस भी यह जानना चाहेगा कि क्या परिस्थितियां थीं, क्या घटनाक्रम था, आगे सुलझाये जाने में क्या लाभ होगा, ये सारी बातें सदन के सामने स्टेटमेंट के रूप में रक्खी जानी चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जब बिल सदन के सामने आवेगा तब सारी हालत और उसकी सारी इम्प्लीकेशन्स सदन के सामने आ जावेंगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

कोटपुतली के प्राइमरी स्कूलों के हरिजनों का बकाया वेतन

१०२८. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली-जगदीशप्रसाद माथुर द्वारा पूछा गया) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कोटपुतली में प्राइमरी स्कूलों में सफ़ाई करने वाले हरिजनों को कितने दिन से वेतन नहीं मिला ?

(ख) वेतन न मिलने का क्या कारण है ?

मुख्य एवं शिक्षा मन्त्री (श्री मोहन-

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

लाल सुखाड़िया) : (क) सितम्बर सन् १९५८ से।

(ख) इसकी जांच की जा रही है।

श्री जगदीशप्रशाद माथुर : जांच कब तक हो जावेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके बारे में ए० जी० को लिखकर भेज दिया गया है, इन्स्ट्रक्शन्स भी जारी कर दिये गये हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जिनको पच्चीस तीस रुपया मासिक मिलता है और इतने अल्प वेतन में जो आदमी गुजारा करते हैं उनको समय पर वेतन न मिले और जांच में ही चार चार पांच पांच महीने लग जावें, तो यह ठीक नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह तो अनुचित हुआ है कि इतना समय लगा, इसमें शक नहीं। मैंने निवेदन किया कि विलम्ब के कारणों के बारे में भी जांच कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री बालमुकुन्द।

निर्माण कार्यों में श्रमदान

१०२९. **श्री बालमुकुन्द** (डूंगरपुर) : क्या विकास मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(क) क्या यह सही है कि विकास के कार्यों में ५० प्रतिशत गरीब किसान और मज़दूर पेशा लोगों से निर्माण कार्यों में श्रमदान लिया जाता है ?

(२) यदि हां, तो क्या विकास के कार्यों में उक्त अंश में श्रमदान नहीं मिलने से विकास कार्य अधूरे पड़े हुए हैं ?

(३) डूंगरपुर ज़िले में विकास खण्ड सिमलवाड़ा, सागवाड़ा, डूंगरपुर, आसपुर और बिछिवाड़ा में कौन कौन से कार्य अधूरे पड़े हुए हैं ? सूची सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें।

उप मन्त्री विकास विभाग (श्री सम्पतराम) : (१) जी नहीं। भिन्न भिन्न विकास कार्यों के लिए (जन सहयोग) अलग अलग सीमा निर्धारित की हुई है।

(२) जी नहीं।

(३) सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखें)

श्री बालमुकुन्द : आपने यह फरमाया कि भिन्न भिन्न विकास कार्यों के लिये अलग अलग सीमा निर्धारित की हुई है। पीने के पानी के लिए कुंओं पर कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है यह बता दें।

श्री सम्पतराम : समझा नहीं, आप जरा स्पष्ट कहिये।

श्री बालमुकुन्द : पीने के पानी के कुंओं के लिये कितना प्रतिशत श्रमदान निर्धारित किया गया है ?

श्री सम्पतराम : इसके लिये १।३ भाग पब्लिक को देना पड़ता है और २।३ भाग विकास विभाग से लिया जाता है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : कितने अर्से से काम अधूरे पड़े हैं।

श्री सम्पतराम : अर्से से पड़े रहने का सवाल नहीं है, इस वजह से कोई काम अधूरा नहीं पड़ा है। अधूरा इस कारण से पड़ा है कि या तो किसानों को टाइम नहीं मिला उनको करने का या किसी कुंए में पानी नहीं निकला या किसी में आगे जाकर चट्टानें निकल आईं। तो इन कारणों से वे अधूरे पड़े हैं। अब हर एक के इन्डिविजुअल काम के बारे में कहने में तो असमर्थ हूं कि प्रत्येक कार्य किस कारण से पेन्डिंग है। इसकी लिस्ट रख दी गई है और मोटे मोटे कारण मैंने बता दिये हैं।

श्री मूलचन्द डागा : इनकी संख्या कितनी है ?

श्री सम्पतराम : वहां पर पांच ब्लोक्स हैं, तीन में तो कोई काम पेन्डिंग में नहीं है, दो में है, जिनकी संख्या ३० है।

श्री मूलचन्द डागा : अर्सा कितना है ? साल या दो साल ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

प्रश्न संख्या १०३०

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिए)

श्री रामनारायण वर्मा।

१०३१. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपलदा-सु) (श्री जगदीशप्रसाद माथुर द्वारा पूछा गया।)

श्री भैरोसिंह (माधोपुर) : पहले क्वेश्चन का क्या हुआ। श्री भीमसेन ने जो रखा है।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने पूछा नहीं।

श्री भैरोसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें मुझे कुछ निवेदन करना है। कई बार सदन में व्यक्तिगत प्रश्न पूछे जाते हैं और जिस समय, उनके पूछे जाने का वक्त आता है, तो माननीय सदस्य सदन से बाहर चले जाते हैं। वही आज हुआ। श्री भीमसेन जी उपस्थित थे अभी थोड़ी देर पहले और जब यह प्रश्न आया तब सदन से बाहर चले गये। अब यह होता है कि किसी काम से प्रश्न करते हैं, वह काम जब हो जाता है तो प्रश्न नहीं पूछते, तबादला रूकवाना था तो क्वेश्चन पूछ लिया और जब वह काम हो जावे तो क्वेश्चन नहीं पूछा तो यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है। माननीय सदस्य को आदेश दिया जावे कि वे सदन में हैं तो प्रश्न पूछें। और सदन में अन्य सदस्यों को भी जानकारी प्राप्त करने का अवसर दें।

श्री अध्यक्ष : नहीं आते हैं तो भी लिखित में उत्तर छप जावेगा। इसमें आदेश देने का और पूछने का क्या प्रश्न हुआ। किसी कारण से यहां उपस्थित नहीं हैं तो उनको बाध्य कैसे कर सकते हैं। नहीं आते हैं तो उत्तर छप जावेगा। उत्तर तो सदन में आ ही जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : अक्सर व्यक्तिगत प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो स्पष्टीकरण आवश्यक हो जाता है। इसमें एक अफसर के लिये यह कहा गया है कि वह अनुचित लाभ उठा रहे हैं। यह एक सरकारी अफसर पर चार्ज है। जब तक इस चार्ज से सदन में प्रश्न पूछकर और जवाब आकर और बहस होकर एग्जुनेरेट नहीं करें तो अफसर ने कहीं कोई न कोई गलती की है और अनुचित लाभ उठाया है यही धारणा सदन के माननीय सदस्यों की बनी रह जाती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि in the interest of the officer the question should be asked and replied on the floor of the House. ताकि इस पर बहस होकर सारी स्थिति स्पष्ट हो जावे, सदस्य सप्लीमेन्टरी करना चाहें तो वह भी कर सकें। सारी स्थिति को स्पष्ट करने के लिये और सरकारी अधिकारी का चार्ज स्पष्ट करने के लिये उनको प्रश्न पूछने के लिए बाध्य भी किया जावे तो किया जा सकता है, कहा जावे उनको तो ज्यादा अच्छा होगा। यह सरकारी अधिकारी के इन्टरेस्ट में है।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : जवाब तो दिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : वह तो बाद में समय होगा तो ले लिया जावेगा।

संस्कृत परीक्षोत्तीर्ण अध्यापकों को मेट्रिक ग्रेड

१०३१. श्री **रामनारायण वर्मा** (पीपलदा सु०)श्री जगदीश प्रसाद माथुर द्वारा पूछा गया) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे : (१) क्या मेट्रिक के समक्ष मानी जाने वाली संस्कृत परीक्षोत्तीर्ण अध्यापकों को भी मेट्रिक ग्रेड दिया जाने वाला है?

(२) यदि हां, तो कब से? यदि नहीं तो क्यों?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) : जी हां।

(२) यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि मेट्रिक ग्रेड इन अध्यापकों को कौन सी तारीख से दिया जावेगा।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : अभी भी ऐसे अध्यापक अपर श्रेणी में ही काम करते हैं, जब कि संस्कृत में वे शास्त्री वगैरह हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसमें कई जगह रेकॉर्ड की कमी आती है इसलिये विलम्ब होता है। फिक्स हो जावेंगे रेकॉर्ड मिलने पर, जितना हो सकेगा कोशिश की जा रही है रेकॉर्ड तलाश करने की।

भूतपूर्व धौलपुर राजा के बेड़ा ठकुराम व सिलेदारों को पेन्शन

१०३२. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : (क) क्या भूतपूर्व धौलपुर राज्य के बेड़ा ठकुराम व सिलेदारों के पेन्शन के फार्म तैयार कर वितरित हो गये हैं?

(ख) यदि नहीं हुए हैं, तो कितने दिनों से वेतन रुका पड़ा है?

Page No.15

(डॉ० बहादुरसिंह)

(ग) पेन्शन फार्म तैयार होने में विलम्ब के क्या क्या कारण हैं, तथा भविष्य में कब तक समस्त फार्म तैयार होकर वितरित हो जावेंगे ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (क) जी नहीं। पेन्शन फार्म तैयार करने के लिए धौलपुर राज्य द्वारा प्रचलित आज्ञाओं की आवश्यकता है जिनकी पुराने रेकॉर्ड में तलाश कराई जा रही है। उनके प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही की जावेगी। इस बीच में इन लोगों के भत्ते की अदायगी बिल द्वारा की जा रही है और किसी प्रकार की रुकावट नहीं है।

(ख) इन लोगों को २।५६ यानि फरवरी, ५६ तक का भत्ता मिल चुका है। किसी का वेतन रुका हुआ नहीं है।

(ग) अकॉउन्टेंट जनरल ने अपने पत्र नम्बर पी. ए. एफ ३५ तारीख २६।८।५७ में लिखा कि एस. डी. ओ. धौलपुर से, धौलपुर राज्य की आज्ञाओं की प्रति मांगी थी। परन्तु उन्होंने उत्तर दिया कि सम्बन्धी आज्ञाएं उपलब्ध नहीं हैं। यह लोग न तो पेन्शनर हैं और न अब राज्य सेवा कर रहे हैं। इस कारण इनके मामले पर विचार करके निर्णय लिया जावे। इस सम्बन्ध में कलेक्टर भरतपुर से १२।५७ में रिपोर्ट मांगी गई थी उसका उत्तर अपूर्ण प्राप्त होने पर उसको पुनः ३।११।५८ को लिखा गया है। उत्तर प्राप्त होने पर इस मामले में निर्णय लिया जावेगा। उसके पश्चात् पेन्शन फार्म शीघ्र तैयार किये जावेंगे।

डॉ० बहादुरसिंह : २६।४।५७ को लिखा है उनका जवाब अभी तक नहीं आया कलेक्टर भरतपुर से ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन तो कर दिया कि जवाब आया था पर स्पष्ट नहीं होने से दुबारा लिखा गया है।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : ५७ को आपका पत्र गया था और ५८ में उत्तर नहीं आया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दुबारा लिखा, उसका उत्तर नहीं आया, इसके लिये रिमाइन्डर कर दिया गया है।

श्री पी. के. चौधरी : यह पूछ रहा था कि साल भर हो गया मुख्य मंत्री को लिखे हुए और उसका जवाब नहीं मिला उनको ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ३।११।५८ को लिखा है, साल भर कहां हुआ ?

श्री पी. के. चौधरी : ३।४।५८ to 14.4.59. It is more than one year.

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : Four months.

श्री पी. के. चौधरी : One year Sir

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : Four months.

(हंसी)

श्री अध्यक्ष ३।४।५८ को नहीं, ३।११। ५८ को लिखा गया। It is 3.11.58.

श्री दयाकृष्ण विजय।

प्राथमिक शालाओं तथा माध्यमिक शालाओं में बेसिक शिक्षा को प्रोत्साहन

१०३३. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या बेसिक शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार राजस्थान में प्राथमिक शालाओं तथा माध्यमिक शालाओं में बेसिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहती है ? यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में अब तक क्या क्या कदम उठाये हैं ?

(२) राजस्थान में ऐसी कितनी शालाएं हैं जहां शिक्षा बेसिक पद्धति से दी जाती है ?

(३) राजस्थान में ऐसी कितनी बेसिक शालाएं हैं जहां बेसिक शिक्षा के लिये अध्यापक बेसिक ट्रेन्ड नहीं हैं ?

मुख्य एवं शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : इसकी सूचना अभी और प्राप्त करनी है इसलिये अगली टर्न पर इसका उत्तर दे सकूंगा ।

खानपुर हाई स्कूल की इमारत के निर्माण में जनता द्वारा दी गई धन राशि तथा श्रमदान

१०३४. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा सु) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) खानपुर हाई स्कूल ज़िला झालावाड़ की इमारत में जनता ने कितनी धनराशि दी तथा कितने रुपयों का श्रमदान किया ?

(२) क्या इस इमारत को सरकार की सुपुर्दगी में दे देने के बाद कुछ कमरे बनवाये गये हैं ?

(३) इस इमारत में कितनी धन राशि और लगने की उम्मीद है तथा इस वर्ष कितने कमरे तैयार कराये जा सकेंगे ?

मुख्य एवं शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) जनता ने २८१४५ रुपये की धन राशि तथा १००० का श्रमदान किया ।

(२) जी हां, कोनों में चार छोटे कमरे बनवाये हैं ।

(३) ५०,००० रुपये की धन राशि । इस वर्ष और कमरों का निर्माण सम्भव नहीं है क्योंकि फण्ड्स नहीं हैं । इसमें जनता को भी पूरा सहयोग अपेक्षणीय है । सरकार भी अपनी ओर से यथा सम्भव सहायता देने के प्रश्न पर विचार करेगी ।

बस्सी विकास खण्ड में नर्स

१०३५. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या योजना मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) क्या बस्सी विकास खण्ड में कोई नर्स, दाई रहती है ? यदि हां, तो यह कहां रहती है ?

(२) क्या बस्सी कस्बे में उक्त दाई को प्रसूती का काम करने की मनाही कर रक्खी है ?

उप मंत्री योजना विभाग (श्री सम्पतराम): (१) विकास खण्ड में अभी तक किसी नर्स

(श्री सम्पतराम)

की नियुक्ति नहीं हुई है । बस्सी डिस्पेन्सरी में एक नर्स अवश्य है जो बस्सी कस्बे में ही रहती है । विकास खण्ड में ११ दाइयां हैं जो पृथक् पृथक् पंचायत क्षेत्रों में रहती हैं ।

(२) जी नहीं ।

एस० डी० ओ० पर्वतसर के खिलाफ हरे पेड़ काटने की शिकायत

१०३६. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या गांमवा, तहसील पर्वतसर के सरपंच श्री परमाराम ने पिछले छः महीनों में एस० डी० ओ० पर्वतसर के खिलाफ कोई हरे पेड़ काटने के सम्बन्ध में लिखित शिकायत ज़िलाधीश, नागौर के पास पर्वतसर में की थी ?

(२) उस रिपोर्ट पर आज तक ज़िलाधीश, नागौर ने क्या कार्यवाही की ? क्या पेड़ कटवाकर एस० डी० ओ० पर्वतसर ने पटवारी के मार्फत अपने मकान पर ट्रैक्टर भर कर मंगवाये ?

(३) क्या सरकार यह भी बतलायेगी कि वह ट्रैक्टर किसका था और यह पटवारी कौन था ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) २८८ उनमें से २३० किराये पर दिये हुए थे ।

(२) ५ रूपये माहवार ।

(३) जी हां ।

श्री मूलचन्द डागा : यह तो मेरे प्रश्न संख्या १०३६ का उत्तर नहीं है ।

उप मन्त्री राजस्व विभाग (श्री संपतराम) : इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है । अगली टर्न पर जवाब देंगे ।

प्रश्न संख्या १०३७

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द ।

किशनगढ़ सब-डिविज़न में कोर्ट ऑफ वार्ड्स से रिलीज़ हुए ठिकानों की जमा रकम

१०३८. **श्री लक्ष्मीचन्द**, (सांचौर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि अजमेर ज़िले के किशनगढ़ सब-डिविज़न में जो ठिकाने सन् १९५२ से लेकर सन् १९५६ तक कोर्ट ऑफ वार्ड्स से रिलीज़ हुए हैं उनके ठिकानेदार को उनकी जमा रकम अभी तक नहीं मिली है ?

(ख) यदि नहीं, तो कृपया उन जागीरों की सूची मय रकम के जो उन्हें मिली है सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें ।

उप मन्त्री राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम): (क) जी हां, कुछ को नहीं ।

(श्री सम्पतराम)

(ख) सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है। जिन ठिकानेदारों को जो रकम दी गई है वह उनके नाम के सामने अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द : कितने व्यक्ति हैं जिनको यह रकम नहीं मिली ?

श्री सम्पतराम : १८१ ठिकाने कोर्ट ऑफ वार्ड्स में थे जिनमें से १२५ को मुक्त कर दिया गया है और उनके नाम सूची में दर्ज हैं, आप देख सकते हैं।

पाली शहर में मजदूरों के लिए क्वार्टर

१०३६. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या विकास एवं योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) पाली शहर में मज़दूरों के लिये कितने क्वार्टर्स बने हुए हैं और उनमें से कितने क्वार्टर्स किराये पर दिये हुए हैं ?

(ख) उक्त क्वार्टर्स का मासिक किराया क्या है ?

(ग) क्या उपरोक्त क्वार्टर्स में जो चूल्हे बनाये गये हैं वे मज़दूरों के लिये उपयुक्त हैं तथा उनमें रहने वालों के लिये पानी की पूरी व्यवस्था है ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं।

श्री मूलचन्द डागा : उत्तर वापिस दे दीजिये साहब, मैं सुन नहीं सका।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : (क) २८८. उनमें से २३० किराये पर दिये हुए हैं।

(ख) ५ रुपये माहवार।

(ग) जी हां।

श्री मूलचन्द डागा : वहां पर जो चूल्हे बने हुए हैं वे इतने बड़े हैं कि उनमें ईंधन और लकड़ी ज्यादा लगती है। मज़दूरों के लिये छोटे छोटे चूल्हे बनाये जांय क्योंकि जो मौजूदा मगन चूल्हे हैं वे इतने बड़े हैं कि २५. २५ आदमियों की फेमिली के लिये उपयुक्त हो सकते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पी डब्ल्यू. डी. को लिखा है, इसको एग्ज़ामिन करके परिवर्तन किया जाना चाहिये।

प्रश्न संख्या १०४०

श्री अध्यक्ष : श्री वलीमोहम्मद।

(अनुपस्थित)

अध्यापकों के स्थानान्तरण करने के नियम

१०२३. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या ऐसा कोई नियम है कि साधारणतया अध्यापकों के स्थानान्तरण निर्धारित अवधि से पूर्व नहीं होंगे ? यदि हां, तो उस

Page No.19

(श्री दयाकृष्ण विजय)

नियम की एक प्रति सदन की मेज़ पर रखने का कष्ट करें ।

(२) सन् ५८.-५६ में ऐसे कितने अध्यापकों का स्थानान्तरण इस नियम के विरूद्ध समय से पूर्व किया गया ?

मुख्य एवं शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) इसकी सूचना मांगी गई है, सूचना आने में काफ़ी समय लगेगा, महीने भर से पहले उत्तर नहीं दिया जा सकेगा। जैसा भाग (२) में पूछा है सन् ५८.-५६ में ऐसे कितने अध्यापकों का स्थानान्तरण इस नियम के विरूद्ध समय से पूर्व किया गया। इसकी सूची प्राप्त हो तभी उत्तर दिया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न का दूसरा हिस्सा छोड़ सकते है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सारे प्रश्न की सूचना नहीं होने से उत्तर कैसे दिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : you candrop port 2 उत्तर जल्दी ही दिया जाय।

माध्यमिक शालाओं के प्रधानाध्यापक की निर्धारित योग्यताएं

१०२५. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) किसी माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के हेतु किन किन योग्यताओं की आवश्यकता होती है तथा किस ग्रेड में उन्हें नियुक्त किया जाता है।

(ख) शिक्षा विभाग, जयपुर पूर्व व पश्चिम में जो प्रधानाध्यापक हैं वे किस योग्यता के हैं तथा किस ग्रेड में चल रहे हैं ?

(ग) महाराजा माध्यमिक शाला, सांगानेर में इस समय कौन प्रधानाध्यापक हैं तथा इनकी क्या योग्यता है ?

(घ) क्या यह सही है कि इन प्रधानाध्यापक की नियुक्ति, कई इनसे सीनियर अध्यापकों का हक मार कर की गई है ?

मुख्य एवं शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) साधारणतया ट्रेन्ड ग्रेज्युएट को नियुक्त किया जाता है किन्तु पहले से ही कुछ ऐसे प्रधानाध्यापक कार्य कर रहे हैं जो ट्रेन्ड ग्रेज्युएट नहीं हैं। ट्रेन्ड ग्रेज्युएट उपलब्ध न होने पर कम योग्यतावालों को भी माध्यमिक पाठशालाओं के प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। ट्रेन्ड ग्रेज्युएट का ग्रेड ११०. २२५ है। अगर कोई प्रधानाध्यापक कम योग्यतावाला नियुक्त हो जाता है तो उसकी योग्यता के अनुसार ग्रेड दिया जाता है।

(ख) सूची सदन की मेज़ पर रखदी गई है।

(ग) श्री राधागोपाल प्रधानाध्यापक हैं। वे बी. ए. बी. टी. हैं तथा बेसिक शिक्षा में विशेष योग्यता प्राप्त हैं।

(घ) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

श्री सुगनसिंह तहसीलदार बैटरमेन्ट लेवीं डिपार्टमेंट का तबादला

१०३०. **श्री भीमसेन** (लूनकरणसर, श्री भैरोंसिंह द्वारा पूछा गया) : क्या राजस्व मन्त्री निश्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या भाखरा के डाइरेक्टर कोलोनाइजेशन श्री बनेसिंह धाभाई के भतीजे श्री सुगनसिंह उनके पास रहते हैं जो कि बेटरमेंट लेवी विभाग में तहसीलदार हैं ?

(२) क्या यह सही है कि उनका तबादला कोटा डिविज़न में हुआ था। लेकिन डाइरेक्टर कोलोनाइजेशन ने उनका तबादला रुकवा दिया और उसके द्वारा वह खुद अनुचित लाभ उठा रहे हैं ?

(३) श्री सुगनसिंह इससे पहले कहां थे ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी नहीं। श्री सुगनसिंह डाइरेक्टर ऑफ कोलोनाइजेशन, श्री बनेसिंह धाभाई के एक दूर के सम्बन्धी हैं, भतीजे नहीं।

(२) श्री सुगनसिंह का तबादला कोटा डिविज़न में कर दिया गया था। लेकिन वह डाइरेक्टर ऑफ कोलोनाइजेशन भाखरा प्रोजेक्ट के द्वारा नहीं रुकवाया गया। अनुचित लाभ उठाने का प्रश्न पूर्णतया असत्य व निराधार है।

(३) श्री सुगनसिंह बेटरमेंट लेवी विभाग में तहसीलदार होने से पूर्व सहायक संचालक भू-अभिलेख विभाग में ज़िलेदार के पद पर कार्य कर रहे थे।

(४) इसका अभी कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Where is Mr. Sugan Singh now ?

श्री दामोदरलाल व्यास : He is in Betterment Levy Department.

श्री पी० के० चौधरी : At which place ?

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): किस जगह हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हनुमानगढ़ में।

श्री भैरोंसिंह : क्या उन्हीं डाइरेक्टर के पास हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : दूसरे ऑफिस में बेटरमेन्ट लेवी के इन्चार्ज हैं।

श्री भैरोंसिंह : कोटा में उनका तबादला किया गया था। लेकिन उसे कैंसिल कराने में क्या उन डाइरेक्टर साहब का हाथ है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं। काम के इन्ट्रेस्ट में उनको वहीं पर रख दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या इससे पहले वे इर्रिगेशन में थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, मैंने बताया था।

श्री भैरोंसिंह : गंगानगर से हनुमानगढ़ सरकार ने ट्रान्सफर क्यों किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वे बैटरमेंट लेवी में थे। लेकिन डिप्टी कलेक्टर इर्रिगेशन के पद के लिये एप्लाई किया था लेकिन गवर्नमेंट ने उनको इस पद पर रखना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि उन्होंने पंजाब में बैटरमेंट लेवी की ट्रेनिंग ली थी।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय उनका कोटा से तबादला हुआ क्या उस समय सरकार के ध्यान में नहीं था कि ये बैटमेंट लेवी के काम के हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : चीफ इंजीनियर के साथ मीटिंग होकर विचार किया गया और उस तबादले को रोक दिया गया।

श्री पी० के० चौधरी : क्या वगैर विचार के पहले तबादला किया गया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें वगैर विचार का सवाल नहीं है। इर्रिगेशन में तबादला हुआ था। लेकिन क्योंकि ये बैटरमेंट लेवी के काम के थे, इसलिये तबादला रोक दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : जिन्होंने यह प्रश्न पूछा है क्या उनसे भी इन्फॉरमेशन ली गई या नहीं कि उन्होंने क्या अनुचित लाभ उठाया है?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने प्रश्न की जानकारी दे दी है। तबादले के पोस्टपोनमेंट का उनकी रिश्तेदारी से कोई सम्बन्ध नहीं है और न कुछ अनुचित लाभ उठाया है।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न नं० ४ पूछा था कि क्या उन्होंने कुछ अनुचित लाभ उठाया है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने इस बात या इल्ज़ाम लगाया है, क्या उनसे भी जानकारी की गई या नहीं कि उन्होंने क्या अनुचित लाभ उठाया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उनसे जानकारी करने की ज़रूरत नहीं है और आज वे यहां पर हैं भी नहीं।

श्री भैरोसिंह : क्या यह माना जाय कि जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया उनसे पूछे बिना ही अपने ऑफिसर्स की रिपोर्ट पर सरकार ने यह कह दिया कि अनुचित लाभ नहीं उठाया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। प्रश्न पूछा उसका जवाब देने को तैयार हूँ। लेकिन पूछने वाले स्वयं यहां पर मौजूद नहीं हैं।

प्रश्न संख्या १०३७

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १०४०

श्री वलीमोहम्मद।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

११. ५०. म० पू०

राजस्थान औद्योगिक न्यायाधिकरण के संबन्धित विशेषाधिकार का प्रश्न

श्री अध्यक्ष : राजस्थान औद्योगिक न्यायाधिकरण जिसे हाल ही में उच्च न्याया-

(श्री अध्यक्ष)

लय द्वारा शक्ति अतीत अल्ट्रा वायर्स करार दिया गया है, को वैध रूप दिये जाने से सम्बन्धित सरकारी निर्णय की जानकारी सदन के पूर्व दिनांक ७ अप्रेल, १९५९ को श्रम सलाहकार परिषद् को दी जाने के सम्बन्ध में एक विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना श्री पी.के. चौधरी तथा श्री मुरलीधर व्यास द्वारा दी गई है।

श्री पी.के. चौधरी ने अपने प्रस्ताव में यह भी बतलाया है कि उन्होंने इसी विषय पर दिनांक ३ अप्रेल, १९५९ को एक स्थगन प्रस्ताव की भी सूचना दी थी, जिसे सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नही दी गई। किन्तु इस सम्बन्ध में श्रममन्त्री द्वारा एक विवरण दिये जाने का आश्वासन दिया गया था। अतः श्रम सलाहकार परिषद् को सदन से पूर्व जानकारी दी जाना विशेषाधिकार भंग की गणना में आता है।

दोनों माननीय सदस्यों ने अपने प्रस्तावों में केवल इस बात पर ज़ोर दिया है कि सदन को उक्त निर्णय की सूचना पहिले दी जानी चाहिए थी।

इसी सिलसिले में मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह बतलादूं कि सरकार द्वारा इस विषय पर निर्णय, श्रम सलाहकार परिषद् को जानकारी देने से पूर्व ही ले लिया गया था और उसकी सूचना उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव के सिलसिले में विधान सभा सचिवालय को दिनांक ४ अप्रेल, १९५९ को दे दी गई थी। इसके अतिरिक्त यह मामला ऐसा नहीं है कि जिससे सदन के विशेषाधिकार का किसी प्रकार से भंग हुआ हो। ऐसी स्थिति में उक्त प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूँ।

इस विषय में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जब कभी सरकार द्वारा नीति सम्बन्धी कोई निर्णय लिये जायं और उस समय सदन की बैठ सकें चालु हों तो उन निर्णयों की सूचना सदन को सर्व प्रथम दी जानी चाहिये मेरी समझ में यह एक स्वास्थ्य परम्परा होगी।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर शहर) : जैसा कहा गया है कि एक पहले से ऐसा निर्णय ले लिया गया था और उसे सदन में नहीं रखा जा सका था। इस सम्बन्ध में उस दिन, जिस दिन एडजोर्नमेंट मोशन मूव किया गया था, एक प्रश्न पूछा गया था। उसका उत्तर दिया गया था कि हाईकोर्ट के फैसले की नकल नहीं मिली है, इसलिए जवाब नहीं दिया जा सकता है। उसी दिन कमेटी से निर्णय दिया गया है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : It happened on the 6 th, Sir.

On this day the adjournment motion was taken and on that very day he was not perpared to make a statement and on the 6th evening he made a statement to the Labour Advisory Committee that the Government is going to bring a validating law. So the House should have got this statement before the Labour Advisory Committee. The whole adjournment motion was on this point. The same thing he could have told the House also and if such information is not given to the House, it is

(श्री पी. के. चौधरी)

belittling the importance of the House and in a parliamentary democracy we want to give more importance to this House than to any other body.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (श्रम मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण कर दूं कि अभी तक सिर्फ यह कहा गया है और उस प्रसंग में भी यही कहा था कि हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद सरकार उस पर निर्णय लेगी और इसकी सूचना लिख कर भेज दी थी। वह कोर्ट का फैसला आ गया है, लेकिन निर्णय नहीं लिया गया है। जब निर्णय लिया जायगा तो उसकी सूचना दे दी जायगी।

श्री पी० के० चौधरी : आपसे पूछा गया था 'कि आप क्या प्रपोज़ करेंगे सिचुएशन को मीट करने के लिए', तो आपने कहा था कि आपने निर्णय नहीं लिया है। लेकिन लेबर एडवाइज़री कमेटी को आपने कहा था कि सारे के सारे एक्शन्स हैं ट्रिब्यूनल के, उनको वेलीगेट करेंगे। आपको पहले कमिटमेंट करना चाहिए था, सदन के सामने कि आप वेलीडेट करेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें बीच क्या हो गया ? मैंने कहा था कि हाई कोर्ट का फैसला होगा तब निर्णय करेंगे। इसमें बीच क्या हो गया ?

श्री पी० के० चौधरी : The House was not informed...

श्री अध्यक्ष : बीच के लिए व्यवस्था दे दी गई है। माननीय सदस्य का कहना यह है कि जो बात श्रम सलाहकार परिषद् के सामने कही गई वही सूचना आप सदन में दे देते तो सदस्यों को संतोष हो जाता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह सूचना लिख कर भेज दी थी कि हाई कोर्ट का फैसला आने पर, वेलीडेट करने की कार्यवाही करेंगे, the House was already informed of this thing.

श्री मुरलीधर व्यास : हाई कोर्ट का फैसला न आये तब तक निर्णय नहीं दे सकते, यह आपने कहा था। एक बात जो बाहर कही जाती है और दूसरी तरफ जब यहां प्रश्न पूछा जाता है तो कहा जाता है कि हाई कोर्ट का फैसला जब तक नहीं आता तब तक निर्णय नहीं दे सकते, ये दो बातें कहना असंगत है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है। अगर माननीय सदस्य न समझें तो उसका इलाज़ नहीं है। मैंने कहा था कि हाई कोर्ट का फैसला हुआ है, उसको वेलीडेट करने की कोशिश करेंगे, अब उसमें क्या करना है, पार्लियामेन्ट को लिख कर भेजना होगा या बिल लाना होगा, यह हाई कोर्ट के फैसले के आने पर तय करना होगा। यह बात पहले भी साफ़ थी और अब भी साफ़ है। हमने कहा था कि फैसला आने के बाद करेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : प्रोसीडिंग्ज़ में लिखा हुआ है, प्रोसीडिंग्ज़ में यह चीज़ मौजूद है। इस सम्बन्ध में जो उत्तर दिया है वह साफ़ दिया है। आप वे प्रोसीडिंग्ज़ फ्लोर ऑफ दी हाउस में रखिये तब पता लगेगा।

श्री अध्यक्ष : इस पर व्यवस्था दे दी गई है, इसे बहस का विषय नहीं बना सकते।

११.५३ म० पू०

टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से सम्बन्धित स्थगन प्रस्ताव सम्बन्धी वाद-विवाद

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय अध्यक्ष, एक एडजोर्नमेंट मोशन था।

श्री अध्यक्ष : किस के बारे में एडज़ोर्नमेंट मोशन था।

श्री गिरधारीलाल : टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज़ के बारे में था।

श्री अध्यक्ष : उसे अस्वीकार किया गया है। आपको लिख कर इत्तला दे दी गई है।

श्री गिरधारीलाल : इत्तला नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष : नहीं मिली है तो अब मिल जायगी।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर शहर) : जो उत्तर दिया गया है, जो एडज़ोर्नमेंट मोशन मूव किया गया था उसका उत्तर दे दिया गया है, उस उत्तर के आधार पर मैं बता सकता हूं कि उससे समाधान नहीं होता है। जो एडज़ोर्नमेंट मोशन मूव किया गया था उसके उत्तर में जो लिख दिया गया है, उससे समाधान नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : समाधान कई बातों से नहीं होता है। सदन में यह कर सकते हैं कि किसी विषय पर जानकारी दी जाय, वाद-विवाद करने का मौका दिया जाय, उससे समाधान नहीं होता है तो सदन की जिम्मेदारी नहीं है।

श्री गिरधारीलाल : इसमें जो रीज़न्स बताये हैं....

श्री अध्यक्ष : यह ऐसा प्रश्न नहीं है जिससे सदन की कार्यवाही स्थगित की जाय।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं निवेदन करूंगा कि क्या सदन की कार्यवाही....

श्री गिरधारीलाल : क्या सरकार की ओर से कोई वक्तव्य दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : कल उत्तर दे दिया गया है, इसमें नई बात कोई नहीं है जिसके लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करें।

श्री गिरधारीलाल : लेकिन जो फैक्ट्स बताये हैं वे अपर्याप्त हैं। मैं निवेदन करूंगा....

श्री अध्यक्ष : यह एडज़ोर्नमेन्ट के द्वारा नहीं किया जा सकता है।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचौर) : मेरा एक एडज़ोर्नमेन्ट मोशन था।

श्री अध्यक्ष : उसका उत्तर सरकार की ओर से नहीं आया है। कल व्यवस्था दे दी जायगी।

श्री मुरलीधर व्यास : हम मान्य करते हैं कि इस प्रकार एडज़ोर्नमेन्ट मोशन मूव नहीं किये जा सकते हैं। परन्तु सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसके अन्दर जो कारण

Page No.25

(श्री मुरलीधर व्यास)

देते हैं, उनसे समाधान होता है। सरकार से जो प्रश्न पूछते हैं उनका इस प्रकार का उत्तर हो कि जिससे समाधान हो, तो हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार का संतोषजनक उत्तर मिला। यह कह दिया गया है कि इस प्रकार का स्थगन प्रस्ताव नहीं आ सकता, परन्तु इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप माने या नहीं मानें बीकानेर में बहुत असंतोष है। बीकानेर से कई कार्यालय हटाने से, बीकानेर से भेड़ और ऊन विभाग के हटाने से, इन सारी चीजों से आम लोगों में काफ़ी असंतोष है और फिर भी इस प्रकार किया जाता है तो उससे असंतोष ज्यादा बढ़ता है। ऐसी हालत में अगर समाधान नहीं किया जाता है, तो आखिर जनतंत्र में ऐसी कौनसी चीज़ है, जिसको आपके सामने रख सकें। इस प्रकार की जो घटनायें होती हैं उनका असर आम जनता पर होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बीकानेर में कहा था, इन घटनाओं को लेकर हमारे मुख्य मन्त्री के सामने कहा था कि इस प्रकार से ऐसे इलाकों की आप उपेक्षा करेंगे तो....

श्री अध्यक्ष : आप बहस का विषय मत बनाइये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : यह गलत है कि उन्होंने कहा कि इलाकों की उपेक्षा करते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : यह सही है। अगर यह कहा जाता है तो गलती करते हैं। प्रधान मन्त्री जी ने मुख्य मन्त्री जी के सामने भाषण दिया है, उसको गलत कह कर आप बड़ी भारी गलत बात करते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह सब जानते हैं कि इस प्रकार की भाषा प्रधान मन्त्री नहीं कहा करते हैं कि प्रधान मन्त्री कहें कि इलाकों की उपेक्षा करते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार जयपुर) : इस प्रश्न के कारण बीकानेर की जनता में असंतोष है। मैं निवेदन करूंगा कि कोई निर्णय लेने से पूर्व जो विधान सभा के सदस्य हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, उनके साथ विचार विमर्श करने के बाद निर्णय ले लें तो जनता को संतोष होगा और यह ज्यादा अच्छा रहेगा। इस वक्त वहां पर काफी असंतोष है।

श्री गिरधारीलाल : वहां मेडिकल कॉलेज के छात्रों के लिए एक बिल्डिंग है....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझ नहीं पाया, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने क्या कहा।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कहा है कि आप कोई डिसीज़न लें, उससे पहले इस क्षेत्र के विधान सभा के सदस्य हैं, उनसे बात करें ताकि जनता को संतोष हो जाय।

श्री गिरधारीलाल : बिल्डिंग की बात है...

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Yesterday it was given out that the decision was already taken.

श्री गिरधारीलाल : बिल्डिंग के बारे में सवाल है....

श्री अध्यक्ष : देखिये यह बहस का विषय नहीं है। जो बात आप कर रहे हैं वह

Page No.26

(श्री अध्यक्ष)

सदन के सामने आ चुकी है और सरकार की ओर से उत्तर दिया जा चुका है । अगर आपको इससे संतोष न हो तो कुछ नहीं कर सकते ।

श्री गिरधारीलाल : जो सरदार शहर का कॉलेज है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज़ । फिर आप बहस करने लग गये ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस पर स्थगन प्रस्ताव नहीं हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार की भावना से यह बात उठाई जाती है मैं नम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान के अन्दर जो मेडिकल कॉलेज, इन्जीनियरिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, वेटरनिरी कॉलेज और इन्स्टिट्यूशन्स खड़े किये हैं, उनमें से आज बीकानेर के अन्दर दो कॉलेज होने वाले हैं जो किसी डिविज़नल हैड क्वाटर में नहीं होंगे ।

श्री मुरलीधर व्यास : होने वाले हैं, यह बात दूसरी है···

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज़ । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि बहस को आगे न बढ़ायें ।

श्री मुरलीधर व्यास : बहस का सवाल नहीं है....

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा हूं कि बहस को आगे न बढ़ायें ।

श्री गिरधारीलाल : मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया है । उसके बारे में कहने का

(घंटी)

अधिकार है हम लोगों को ।

श्री गिरधारीलाल : अध्यक्ष महोदय बात यह है कि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय केवल यही कहकर ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें । मैं निवेदन करूंगा कि आप बहस को आगे न बढ़ायें ।

श्री गिरधारीलाल : अध्यक्ष महोदय, बहस का प्रश्न नहीं है ···

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है इसलिए अब उस पर आगे कोई बहस नहीं होगी ।

श्री गिरधारीलाल : हम यह चाहते हैं कि सरकार इस पर पुनः विचार करे ।

श्री अध्यक्ष : अच्छी बात है पुनः विचार कर लेगी ।

श्री गिरधारीलाल : यह तो कोई बात नहीं है । यह तो कोई रीज़न नहीं है...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें ।

श्री गिरधारीलाल : क्या मैं यह आशा करूं कि सरकार की ओर से कोई वक्तव्य मिलेगा ? क्या इस पर पुनः विचार होगा ?

१२. २ म० प

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, ५७
(अग्रेतर विचार विमर्श)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान नगरपालिका विधेयक, ५७

क्लॉज २३५

इस पर आपका (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, स्वायत्त शासन मंत्री से) कोई अमेन्डमेन्ट है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ पर मेरा अमेन्डमेंट लिस्ट नम्बर ६ आइटम नम्बर १४६ पर है । इसमें कोई विशेष बात नहीं है सिर्फ लैंग्वेज के करेक्शन के बारे में संशोधन है । यह इस प्रकार है : In sub-clause (1) omit the words "unless and until those are withdrawn by a subsequent notification of the State Government." After sub-clause (3) insert the following new sub-clause: "(4) The State Government may at any time by like notification withdraw any power conferred by it under this section, or cancel or modify any limitation, restriction, modification, condition or regulation prescribed in respect of any such power."

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ २३५ में प्रस्तुत किया गया है, उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ २३५ को स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधित क्लॉज़ २३५ स्वीकार किया गया ।

क्लॉज़ २३५ से २५०

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो सब पास हो चुकी हैं ।

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ २५१

क्लाज़ २५१

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २५१ में यह स्पष्ट नहीं था कि जो लैसी होगा वह कौन से काम करायेगा और जो कुछ खर्चा वह करेगा वह किराये में से डिडेक्ट हो जायेगा । उसको ठीक करने के लिए मैंने यह अमेंडमेंट रखा है जो कि लिस्ट नम्बर ७ के आइटम नम्बर १८४ पर है : For the words "required to be executed by him" substitute "which a board may require him to execute". बोर्ड इस बात की हिदायत करेगा कि यह काम कराने हैं और उन कामों को अगर मकान मालिक नहीं करायेगा । तो कियेदार उन कामों को करा सकता है और जो कुछ किराया वह देता है उसमें से वह काट सकता है । याने जो काम वह करायेगा उसका पैसा वापिस होगा बाकी का नहीं । इसलिए मैं आशा करता हूं सदन मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेगा ।

श्री अध्यक्ष : इस पर आपके दो अमेन्डमेंट हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक है ।

श्री अध्यक्ष : "Insert 'thereof' after 'amount' in the penultimate line."

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें पहला संशोधन तो मूव हो चुका है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह दोनों संशोधन स्वीकार किये जायें ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह जो क्लॉज़ २५१ है उसमें यह प्रोविज़न है कि मकान मालिक जो काम खुद नहीं करायेगा और किरायेदार करा देगा और उस पर जो कुछ खर्चा होगा वह किराये में से डिडेक्ट कर लिया जायेगा। इसमें यह स्पष्ट नहीं था कि कौन कौन से काम करायेगा। तो प्रोविज़ो है कि काम के लिए बोर्ड नोटिस देगा किसी काम को कराने के लिए। जैसे नल लगाने की बात है। तो उसके लिए बोर्ड मकान मालिक को नोटिस देगा और उसके लिए आर्डर देगा और किरायेदार उसको करा देगा तो वह किराये में से डिडेक्ट करा दिया जायेगा। इसलिए अब इसके स्पष्टीकरण कर देने के बाद कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए इसे पास कर देना चाहिए।

श्री मुरलीधर व्यास : पर जो खर्चा किरायेदार करेगा वह कितना पर्सेन्टेज होगा एक महीने के किराये से भी ज्यादा हो सकता है और साल भर किराये से भी ज्यादा हो सकता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो किराये में से कटेगा वापिस लेने का सवाल नहीं है। यह खर्च किया हुआ पैसा कोई किरायेदार वसूल करेगा ऐसी बात नहीं है बल्कि वह जो किराया देगा उसमें से खर्चे के पैसे ले लेगा और बाकी का बचा हुआ किराया दे देगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि दोनों संशोधन जो क्लॉज़ २५१ में प्रस्तुत किये गये हैं उन्हें स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ २५१ स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधित क्लॉज़ २५१ विधेयक का अंग बना।

क्लॉज़ २६१

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : पहले आप अमेंडमेन्ट मूव कर दें उसके बाद आप बोलना।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, इसमें मैंने एक अमेंडमेन्ट मूव किया है जो कि लिस्ट नम्बर ७ के आइटम नम्बर १८५ पर है। क्लॉज़ २६१ में प्रोविज़न है कि बोर्ड को डिज़ोल्व और सुपरसीड करने के लिए और यह तभी होगा जबकि उनको नोटिस दिया जायेगा और नोटिस देने के बाद में एक सब-कमेटी अपॉइन्ट होगी जो कि उसकी इन्क्वायरी कर। हमने जो अमेंडमेंट पेश किया है वह यह है : After sub clause (1) insert the following new sub clause : "(1A) The proviso to sub-section (1)

Page No.29

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

shall not apply when a board is dissolved or superseded for the reason that all or a majority of its members have resigned or that the term of office there of has expired." यह दोनों प्रोविज़न्स इसलिए रखना जरूरी हैं कि मान लीजिए कि बोर्ड के सभी मेम्बर्स ने स्तीफा दे दिया तो बोर्ड के मेम्बर्स को नोटिस देकर डिज़ोल्व करने की बात नहीं है। इससे तो बोर्ड ऑटोमेटीकली समाप्त हो जायेगा। इसलिए नोटिस देकर इन्क्वायरी कराने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। इसलिए जब बोर्ड की टर्म एक्सपायर होगी तो बोर्ड के मेम्बर्स की मियाद खत्म हो जाती है ऐसी हालत में कौन उनको नोटिस देगा। इसलिए यह सवाल पैदा नहीं होगा। इसलिए यह प्रोविज़ो ऐड किया गया है। बाकी के दूसरे प्रस्ताव में नोटिस देने की जरूरत है। यह साफ है, इसलिए सदन इसे स्वीकार करेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, म्युनिसिपैलिटीज़ बिल का क्लॉज़ २९१ है और उस पर इस सदन में विचार हो रहा है। इसके अन्दर एक दो संशोधन भी माननीय मन्त्री महोदय ने अभी पेश किये हैं। उन संशोधनों के सम्बन्ध में तो मैं माननीय मन्त्री महोदय से एक ही जानकारी करना चाहूँगा कि डेज़ोल्यूशन करने के बाद में जब बोर्ड की टर्म एक्सपायर होगी तो यह आवश्यक नहीं होगा कि ट्रिब्यूनल को मैटर रेफर किया जाये। या उसके स्टेटमेन्ट ऑफ चार्जेज़ दिये जायें और उसकी कोई जांच कराई जाये। मैं भी उसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं समझता लेकिन क्या बोर्ड की टर्म एक्सपायर होने के बाद, डेज़ोल्यूशन के बाद सुपरसेशन नहीं होगा। एक बात और अगर सुपरसेशन नहीं किया जायेगा उसको आप डेज़ोल्यूशन कहेंगे तो फिर चुनाव की अवधि क्योंकि डेज़ोल्यूशन के केस में कोई निश्चित् नहीं है कि बोर्ड भंग होने के बाद में इतनी अवधि में चुनाव करा दिये जायेंगे। तो उस अवधि में क्या व्यवस्था रहेगी और कितने दिनों में चुनाव होंगे। यह एक प्रश्न है जिस प्रश्न का उत्तर माननीय मन्त्री महोदय बाद में देंगे। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज़ बिल लगभग अब पास होने को है। इस बिल को पहली विधान सभा ने भी पास किया था। लेकिन राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति न मिलने के कारण यह बिल रह गया और पुनर्विचार इस सदन में इस पर शुरू हुआ। इस बिल को समस्त क्लॉज़ों पर हमने क्लॉज़ बाई क्लॉज़ बहस की और आवश्यक संशोधनों के साथ उनको पारित किया है। मैं समझता हूं कि इस बिल के समस्या क्लॉज़ों में शुरू से लेकर आखिर तक राजस्थान के अन्दर जो नगरपालिकाओं का काम चलता है, उस काम को सुव्यवस्थित बनाने के लिये, राजस्थान के अन्दर नगरपालिकाओं के लिये एक सा कानून बनाने के लिये, राजस्थान की सभी म्युनिसिपैलिटियों को एक कानून से गाइड करने के लिये यह कानून विधान सभा में लाया गया है, मन्त्री महोदय इस पर परिवर्तन कर सकते हैं हमको भी कानून बनाते वक्त परिवर्तन करना होता है और हम समझते हैं कि सिवाय कुछ क्लॉज़ों के सब अच्छी धाराएं रखी हैं, इस कानून को अपनी समझ से अच्छा बनाया है, राजस्थान की नगरपालिकाओं को अच्छी तरह चलाने के लिये जो इस कानून की तस्वीर, जो पिक्चर हमने बनाई है और जो

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

तस्वीर हम बनाने जा रहे हैं, मैं समझता हूं उस तस्वीर में सब बातें बहुत अच्छी हैं, वह तस्वीर बहुत अच्छी है इस तस्वीर में हाथ पैर और शरीर के अंग प्रत्यंग सुन्दर और सुडौल होंगे, लेकिन हमने इस आदमी के सिर पर, दोनों कन्धों पर दो डन्डे बान्ध कर उनमें तलवारें लगा दीं, या उनके सिर पर तलवार लटका दी, या उसके गले पर सोटा बांध दिया। जैसे राजस्थान में तेज तड़ाक भैंस होती है, उसका मालिक उसको काबू में नहीं रख सकता तो उसका मालिक अपनी नाकाबलियत छुपाने के लिये उस जानवर के गले में सोटा बांध देता है, क्योंकि वह अपने जानवर की देख रेख के लिये समय नहीं बचा सकता। इसलिये अपनी नाकाबलियत और निष्क्रियता को छुपाने के लिये, उस जानवर के, ऊंट, घोड़े या दूसरे जानवर के पैरों में रस्सी बांध देता है और उस रस्सी की सीमा छोटी रखता है ताकि वह जानवर उस रस्सी की सीमा से बाहर नहीं जा सकता, उसी सीमा में, उतने से जंगल में वह चरता फिरता है दूर नहीं जा सकता, मैं समझता हूँ....

एक माननीय सदस्य : यह तो उनकी बुद्धिमत्ता को दाद देनी चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं जानता हूं बुद्धिमत्ता की दाद देने वाले कितने बुद्धिमान् हैंमैं समझता हूं यह जानवरों के सम्बन्ध में, पशुओं के सम्बन्ध में यह सही हो सकता है, पर जहां तक नगरपालिकाओं का संबंध है उनके सम्बन्ध में इस प्रकार के विचार रखना इस प्रकार की क्लॉज़ इस बिल में रखना, मैं समझता हूं आपने जो सुन्दर तस्वीर बनाई है, उस तस्वीर के सुन्दर चहरे की, आपने नाक काटली है, आपने उस सुन्दर तस्वीर के सिर पर तलवार लटका दी है, आपने उस सुन्दर तस्वीर के गालों पर कालिख पोत दी है। क्लॉज़ २६१ में जिसके द्वारा आपने प्रावधान किया है कि राजस्थान सरकार जिस समय चाहे उसी समय जब उसको संतोष हो जाय, जब वह संतुष्ट हो जाय कि अमुक नगरपालिका ने अपने फर्ज़ को अदा नहीं किया, अमुक नगरपालिका अपने कर्त्तव्य को निभाने में असफल रही है, अमुक नगरपालिका ने अपनी फर्ज अदायगी नहीं की है, राजस्थान सरकार या मन्त्री महोदय, संतुष्ट हो जायं तो उस नगरपालिका को भंग कर सकते हैं, उस नगरपालिका का अभिलंघन कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय इसके लिये कहेंगे कि हमने इनके लिये ट्रिब्यूनल बनाया है, और राजस्थान में ऐसी कौनसी नगरपालिका है। जिसको हमने इस तरह से भंग किया है, वैसे तो राष्ट्रपति महोदय को भी यह अधिकार दिया है। हो सकता है नगरपालिका अपनी फर्ज़ अदायगी में नाकामयाब हो, हो सकता है कोई नगरपालिका अपनी शैशवावस्था में होनेके कारण अपने यहां टैक्स लगाने में असफल हो, सफ़ाई कराने में असफल हो, रोशनी का इन्तज़ाम करने में असमर्थ हो और शहर का इन्तज़ाम करने के बारे में असफल रहे। आप उन्हें सुपरसीड और डिज़ोल्व करने का अधिकार अपने हाथ में लेना चाहते हैं। पर क्या आप समझते हैं कि उन नगरपालिकाओं का इन्तजाम आपके हाथों में आने के बाद अच्छा इन्तज़ाम हो जायगा ? आप उन सारे कर्त्तव्यों का पालन कर सकेंगे जिनको नगरपालिका नहीं कर सकी थी, जिसके कारण कि उनको भंग करने की

Page No.31

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नौबत आई। अगर आप यह समझते हैं तो मैं आपको दूर नहीं ले जाना चाहता, इसी शहर का जयपुर शहर का उदाहरण देना चाहता हूं, जयपुर की नगरपालिका डिज़ोल्व होने से वह नगरपालिका समाप्त हो गई और आज आपके द्वारा नियुक्त प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर जयपुर नगरपालिका पर हुकूमत करता है, आज शहर में सफ़ाई का क्या इन्तज़ाम है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चुनी हुई नगरपालिका के ज़माने में यद्यपि सफ़ाई ज्यादा अच्छी नहीं थी, पर जितना उसके समय में सफ़ाई का इन्तज़ाम था, रोशनी का इन्तज़ाम था, शहर का इन्तज़ाम चुनी हुई नगरपालिका के समय में, मैं समझता हूं आज की जयपुर शहर की स्थिति से कहीं ज्यादा बदत्तर है। इसके लिए सरकार की डायरेक्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है, डिज़ोल्व करने के बाद जो आपकी रेस्पोन्सिबिलिटी है उससे आप डिनाई करना चाहते हैं, एक तरफ़ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करते हैं, कानून की धाराओं के अन्तर्गत डिज़ोल्यूशन करेंगे और दूसरी तरफ़ विधान सभा में मन्त्री महोदय कहते हैं कि सफ़ाई के लिए सरकार ज़िम्मेवार नहीं है, अगर सफ़ाई के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं तो, एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने की ज़िम्मेदारी किसकी है ? जहां केन्द्र के रेल्वे मिनिस्ट्रर, रेलों की टक्करों के कारण, रेलों के एक्सीडेन्ट बढ़ने के कारण जिनसे लोगों की जान माल का नुकसान बढ़ने लगा, तो सेन्टर के रेल्वे मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि इन रेल्वे के एक्सीडेन्ट्स के लिये रेल्वे के गार्ड, ज़िम्मेदार नहीं, रेल्वे बोर्ड ज़िम्मेदार नहीं, यह केबिनेट और मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, मैं डायरेक्टली रेस्पोन्सिबल हूं, वहां से सैकड़ों मील दूर पर एक्सीडेन्ट्स होते थे, पर उन्होंने सैकड़ों मील दूर बैठे रहते हुए भी अपनी ज़िम्मेदारी समझ कर स्तीफा दिया था। पर आज आप राजधानी में बैठ कर राजधानी की सफ़ाई के लिये सदन में कहते हैं कि आप जिम्मेदार नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर आपने मुकर्रर किया है, सड़कों पर कुत्ते और बिल्लियां मरे पड़े रहें तो आप जिम्मेदार नहीं, शहर में एपेडेमिक, फैले तो उसके लिये आप जिम्मेदार नहीं, आपको कहना चाहिये था कि हम ज़िम्मेदार हैं, हम इन्तज़ाम करेंगे। जिन जिन नगरपालिकाओं को आप डिज़ोल्व करेंगे, सुपरसीड करेंगे, उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करेंगे इस सिद्धान्त को मान लिया गया तो, उन एडमिनिस्ट्रेटर्स के कुकर्मों के लिये, उनकी हरकतों के लिये राजस्थान सरकार जिम्मेदार नहीं रहेगी। चाहे शहर सड़ता रहे, सारे शहर में चाहे अन्धेरा रहे, बीमारियां फैल जायं, चाहे संक्रामक रोग फैल जायं, पर राजस्थान सरकार और मन्त्री महोदय इस बात को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं होंगे, कि इन सब चीजों की ज़िम्मेदारी सरकार की है।

अगर इस प्रकार का दृष्टिकोण, रवैया, और भावना है तो इस सारी क्लॉज़ के द्वारा क्या होगा, इससे तो यही अच्छा है कि वहां नगरपालिका ही वहां जैसा इन्तज़ाम करे करने दिया जाय, कौनसा ऐसा फर्ज़ हो सकता है जिसकी अदायगी नहीं करने के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो जाय ? हां, एक बात हो सकती है। राजस्थान की हुकूमत यह कह सकती है कि जो क्लॉज़ हमने रखा है और जिस पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट करते समय यह कहा

Page No.32

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है कि इस प्रकार के अधिकार दिये जाने आवश्यक हैं क्योंकि इस प्रकार की स्थिति कभी भी पैदा हो सकती है। इसलिये राजस्थान सरकार को अधिकार दिये जाने चाहिये। एक तरफ तो हम यह कहते हैं और दूसरी तरफ हम यह कहते हैं कि हमको इस प्रकार के कदम उठाने की नौबत नहीं आवेगी। जब आपको इस प्रकार के कदम उठाने की नौबत ही नहीं आवेगी, तो फिर इस प्रकार के प्रोविज़न को रखने की आवश्यकता क्यों है ? जब आप प्रोविज़न रखेंगे तो इस प्रकार की नौबत आ सकती है। माननीय मन्त्री कहेंगे कि इलेक्टेड म्युनिसिपैलिटीज़ अपने अपने क्षेत्र में यदि चुंगी कर लगाती हैं और जनता उसके लिये हड़ताल करती है और चुने हुए जनता के नुमायन्दे उस चुंगी कर को वापिस ले लेते हैं तो इसके लिये राजस्थान सरकार को यह अधिकार दे दिया जावे कि अगर वे इस प्रकार के कानून को वापिस लेते हैं या चुंगी के इम्पोज़िशन को विथ्ड्रॉ करते हैं तो उनको नहीं करना चाहिये। अगर करते हैं तो सरकार उसको अपने हाथ में ले लेगी। यह तो सभी जानते हैं कि जिस समय जनता पर टैक्स लगेंगे उस समय जनता उसका विरोध करेगी। जब जनता विरोध करेगी तो ऑक्ट्राय वापिस ले लिया जावेगा। आप यह कहेंगे कि बगैर टैक्सेज़ के म्युनिसिपैलिटी का काम कैसे चलेगा। उसका इन्तज़ाम कैसे होगा। यह बात आपके सामने है और आप इस प्रकार का एक बोझ उन पर स्वीकार करना चाहते हैं तो मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जयपुर की म्युनिसिपैलिटी ने १९५३ में चुंगी लगाई। उसके खिलाफ़ प्रबल जनमत खड़ा हुआ। जिस समय प्रबल जनमत ने उसका विरोध किया तो जनता के चुने हुए नुमायन्दों ने उस चुंगी को वापिस लिया। जिस समय उन्होंने चुंगी को वापिस लिया तो राजस्थान की सरकार ने राजस्थान की हकूमत ने उस म्युनिसिपैलिटी को सस्पेन्ड किया और उसको डिज़ोल्व किया। उसके बाद आपने चुंगी लगाई। मगर आप भी जनता के प्रबल विरोध के कारण उसको नहीं लगा सके तो आप भी उसको कार्यान्वित करने में असफल रहेंगे। जिस प्रकार १९५३ में म्युनिसिपैलिटी ऑक्ट्राय लगाने में असफल रही आप भी असफल रहे। आपने उस म्युनिसिपैलिटी को सस्पेन्ड किया क्योंकि वह नालायक थी, वह नाकाबिल थी। आपकी हकूमत ने जब १९५३ में इसको तय किया और १२ दिन तक शहर में हड़ताल हुई तो उसके बाद आपने उसको वापिस ले लिया। आपकी भी नाकाबलियत थी। आपको भी सेन्ट्रल गवर्नमेंट द्वारा सस्पेन्ड करना चाहिये क्योंकि आप जयपुर जैसे शहर में चुंगी इम्पोज़ नहीं कर सके। ऑक्ट्राय इम्पोज़ नहीं कर सके। आप जनता के प्रबल जनमत के सामने झुक गये। आपने उसके सामने घुटने टेक दिये, आपने उसके सामने माथा टेक दिया। ऐसी हालत में सेन्ट्रल गवर्नमेंट को भी यह कहना चाहिये कि आप इस प्रकार के छोटे से आन्दोलन के सामने झुक जाते हैं, लेकिन आपको सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने सस्पेन्ड नहीं किया। आपको भंग नहीं किया क्योंकि आपने वह कदम उठाना आवश्यक समझा और उठाया। इसलिये मैं समझता हूं कि इस युग में हम जनतन्त्र की बात करते है। चारों तरफ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ के नारे लगाते हैं और वायुमंडल में इसकी धूम गुंजायमान दिखाई देती है। इसके बिना

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हमारे कोई लेक्चर पूरे नहीं होते। जीवन के २४ घन्टे समाप्त नहीं होते तो आप बतायें कि इस डेमोक्रेटिक युग में राजनैतिक स्वायत्त शासन संस्थाओं को आप ज्यादा से ज्यादा अधिकार देना चाहते हैं, पंचायतों को आप ज्यादा से ज्यादा अधिकार देना चाहते हैं और आपने अधिकार दिये हैं। जब आप अधिकार देना चाहते हैं तो दीजिये। वे लोग किसी प्रकार असफल होंगे, ठोकरें खावेंगे, गिरेंगे, और फिर ऊपर उठेंगे। आपको क्या मतलब है उनको डिज़ोल्व कर देने से? आप उनको क्यों भंग कर देते हैं। इस प्रकार की नौबत आने लगे कि वह टैक्स नहीं लगा सकें। वे टैक्स लगाने में और प्रबल जनमत के विरोध को नहीं सह सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वे अपने फर्ज़ को पूरा करने में असफल रहे हैं। इसलिये राजस्थान की हकूमत यह कहे कि हम इसको डिज़ोल्व करते हैं। यह कह कर आपने उसको डिज़ोल्व कर दी और वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर कायम कर दिया और वह एडमिनिस्ट्रेटर वहां का इन्तज़ाम करेगा। इस प्रकार ऐसी गैर ज़िम्मेदार हकूमत के हाथ में कौन अपना इन्तज़ाम और अपने भाग्य को देना स्वीकार करेगा। मैं समझता हूं कि इसके लिये माननीय मन्त्री एक आर्ग्युमेंट देंगे कि हम जिस समय जिनको सस्पेन्ड करेंगे तो उनको मौका देकर करेंगे। हम उनको इस प्रकार की सारी परिस्थितियों में अपने डिज़ोल्व करने और सस्पेन्ड करने के पहले मौका देंगे। जहां तक डिज़ोल्यूशन का ताल्लुक है आपने अपने प्रोविज़न में यह रख दिया है कि आप उसके लिये जांच के लिये एक ट्रिब्यूनल बिठावेंगे जिसमें चेयरमैन के अलावा दो और सदस्य होंगे और एक चेयरमैन होगा। मैं यह कहूंगा कि राजस्थान की सरकार यदि किसी म्युनिसिपैलिटी को भंग करना चाहेगी तो वह उसके खिलाफ चार्ज लगावेगी और स्टेटमेंट ऑफ चार्जेज ट्रिब्यूनल के पास भेज देगी और वह उसको नोटिस देगी। इसमें राजस्थान की हकूमत ने बहुत बड़ी उदारता दिखाई है और आगे चल कर उन्होंने लिखा है कि जो ट्रिब्यूनल का निर्णय होगा उसके निर्णय में हम कोई हेरफेर नहीं करेंगे। अगर उसने कहा कि इसमें सदस्यों की गलती है म्युनिसिपैलिटी को भंग कर दो तो आप उसको भंग कर देंगे। अगर उसमें कह दिया कि म्युनिसिपैलिटी को मेम्बरों ने सही ढंग से अपनी ड्यूटीज़ का पालन किया है। इसलिये इसको भंग नहीं किया जाना चाहिये, इस प्रकार का निर्णय की चीज़ कर दी तो राजस्थान सरकार ने इसके लिये बड़ी उदारता से इसके लिये प्रोविज़न रख दिया कि हम इसको भंग नहीं करेंगे और वह प्रोविज़न है सब क्लॉज़ (२) का सब क्लॉज़ (१) मे। मैं समझता हूं कि आखिर ट्रिब्यूनल के चेयरमैन कौन होंगे। कोई हाई कोर्ट के जज़ तो होंगे नहीं। कोई डिस्ट्रिक्ट जज़ नहीं होंगे। मैं नहीं समझता कि कौन होंगे। इस ट्रिब्यूनल के सदस्य वे भी हो सकते हैं जिनके बारे में हमारे सदन में कई बार चर्चाएं आती हैं। वे भी लोग हो सकते हैं प्रामिनेन्ट पर्सनेलिटी के जैसे क.क और कोई दूसरे पर्सनिलिटी के भी हो सकते हैं तथा दूसरे भी कोई भी हो सकते हैं। आखिर इसके लिये कोई रूल्स नहीं है और राजस्थान के राज्य में मिडिल पास बी. डी. ओ. हो सकते हैं और जेब कतरे लेक्चरार हो सकते हैं तो किसी के लिये आप क्या कह सकते हैं? कोई भी सदस्य हो सकते हैं। आप उन्हीं को मेम्बर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बनावेंगे जो आपके कृपा पात्र होंगे। जो आपकी हां में हां मिलाना पसन्द करेंगे। जो आपके इशारों पर बन्दर की तरह नाचते रहेंगे और आपकी मर्जी के माफिक करते रहेंगे वे ही लोग सदस्य होंगे और चेयरमैन होंगे। या जो हमेशा आपके प्रोटेक्शन के लिये, इन्क्रीमेंट और प्रमोशन और ट्रान्सफर आदि के लिये आपका मुंह ताकते रहते हैं। इसी प्रकार आर.ए.एस.आई.ए.एस. और दूसरी बहुत सारी बातों के लिये आपका मुंह ताकते रहते हैं। क्या आप उन लोगों से यह आशा करते हैं कि वे लोग ट्रिब्यूनल के सदस्य होंगे और चेयरमैन होंगे जो हमेशा आपकी तरह मुंह ताकते रहेंगे क्या कभी आपके खिलाफ किसी प्रकार कदम उठा सकेंगे। राजस्थान में अधिकारियों की बात को छोड़िये। माननीय अध्यक्ष महोदय मैंने कई दफे कहा है आज इन ऑफिसर्स की बात छोड़ दीजिये। मैं साधारण मजिस्ट्रेट की बात आपको बताता हूँ कि उनकी क्या हालत है। वहां पर इस प्रकार का निर्णय देने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। माननीय मन्त्री जिसको चाहेंगे कि यह नगरपालिका जनसंघ की है विरोधियों की है इसलिये खत्म करना है तो इसके सिवाय कोई दूसरा अच्छा तरीका नहीं हो सकता। आखिर बहुत सी बातें हो सकती हैं। ५० बातें और ५० मौके आते हैं जिन पर प्रश्न पूछे जाते हैं और कई बार माननीय मन्त्री उसके बारे में सही उत्तर और सही जानकारी नहीं देते हैं। मैं मानता हूं कि सही जानकारी का उत्तर नहीं देना सदन में। सेन्ट्रल गवर्नमेंट इस पर विचार करे तो हकूमत को डिज़ोल्व कर सकती है। उसके लिये चेयर की तरफ से आपको वार्निंग दे कर छोड़ दिया जाता है। आप केवल वार्निंग देकर नहीं छोड़ते। चेयरमैन की जो भी फाइन्डिंग होगी उस पर आप अमल करेंगे। यदि उसकी राय यह होगी कि इसको भंग कर दी जावे तो आप उसे भंग कर देंगे और अगर यह फाइन्डिंग होगी कि इसको भंग नहीं किया जावे तो आप उसको भंग नहीं करेंगे। और मैं यह दावे से कह सकता हूं कि ट्रिब्युनल का जो तरीका निकला है। वह शायद बुद्धिमान आदमी ने सुझाया है। डाइरेक्टली आप कुछ मत करिये, सीधा जैसे मंत्री महोदय करते थे, डीग की नगरपालिका का सवाल खड़ा हुआ, भरतपुर की नगरपालिका का सवाल खड़ा हुआ कि वहां कदम उठाये या नहीं, जनप्रतिनिधियों का दबाव आता था, इसलिए यह तरीका निकला जिससे कि सांप भी न मरे और लाठी भी न टूटे, जिसको चाहे भंग कर दे और जिसको न चाहें न भंग करे, इसके लिए एक वाया-मिडिया निर्माण करना चाहते थे, एक इन्टरमिडियेरी निर्माण करना चाहते थे, इसलिए यह ट्रिब्युनल बना दिया। दूसरे के कन्धे पर धर कर बन्दूक चलाने की कोशिश की है। नाम बदनाम होगा तो ट्रिब्युनल के मेम्बर्स का होगा, गालियां जनता की ओर से मिलेंगी तो ट्रिब्युनल को मिलेगी। वह ट्रिब्युनल तो आपके इशारे पर काम करेगा। हमारे यहां राजस्थान में भी ऑफिशियल बोडीज़ हैं। ट्रान्सपोर्ट के परमिट्स के बारे में जयपुर ऑथोरिटी के बारे में डॉ० गंगवाल को अनऑफिशियल मेम्बर बनाया था जो सबसे ज्यादा ईमानदार व्यक्ति अल्ट्रावायर्स हो नहीं सकता। क्यों हटा दिया उनको? क्यों नहीं रखा उनको मेम्बर? इसलिए नहीं रखा कि वह आपकी हां में हां नहीं मिलाते थे। जिसकी ऊपर से फोर्मल

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सेन्क्शन होकर आगई. उस पर्मिट पर वो सेन्क्शन नहीं करते थे, इस प्रकार की कार्यवाही के खिलाफ वे प्रोटेस्ट करते थे। उनकी कलम टेलीफोन पर नहीं उठती थी, इसलिए वे आर० टी० ओ० के मेम्बर नहीं है, वे आपकी मर्जी के मुताबिक पर्मिट नहीं दे सकते थे। इसी तरह से आपके इस ट्रिब्युनल का हाल होगा। जो आपकी हां में हां मिलायेंगे वे ही उसके मेम्बर्स रह सकेंगे। जो नगरपालिका को भंग करने के आॅर्डर्स नहीं देंगे, वे नहीं रह सकेंगे। चेयरमैन बनाना, नगरपालिका को भंग करना यह सब आपके अधिकारों की बात है। यह ट्रिब्युन बनाने का तो एक ढोंग हैं, यह फोर्स है, नकली शक्ल लगा कर जामा पहन कर जैसे कोई होता है, वह इस ट्रिब्युनल की शक्ल है। कोई आदमी शेर की खाल पहन ले तो उससे कोई शेर नहीं हो जाता। वह शेर हो जाय और शेर के बीच में चला जाय तो शेर के हाथ में खाल जावेगी और खुद बच कर निकल जावेगा। आपने यही खाल इस ट्रिब्युनल को पहनाने की कोशिश की है। जैसे रामलीला में स्वांग रच कर, नाक, कान, काट कर या बढ़िया स्वरूप बनाकर जिस प्रकार रामलीला के पात्र आते हैं। उसी तरह राजस्थान को हुकुमत ने ट्रिब्युनल का स्वांग बनाया है। हम जितने डेमोक्रेटिक हैं, हम निर्णय नहीं देंगे। जो ट्रिब्युनल ने फैसला दे दिया वह हमको मान्य होगा। एक इंच न इधर जावेंगे और एक इंच न उधर जावेंगे। लेकिन ट्रिब्युनल को जो फैसला देना है वह आप जानते हैं, हम भी जानते है और ट्रिब्युनल भी जानेगा। अगर वह ट्रिब्युनल फैसलों को न जानेगा तो वह ट्रिब्युनल टिकेगा नहीं। इस विधान सभा में वे दिन दूर नहीं होंगे जब यहां पर इसके बारे में सवाल खड़े होंगे कि इस नगरपालिका को भंग कर दिया गया और उस नगरपालिका को इस तरह से नहीं किया गया। मौका अभी भी आया। भरतपुर म्युनिसिपैलिटी में भ्रष्टाचार फैला हुआ था, गबन था, एन्टी-करप्शन को केस दिया गया और एन्टी-करप्शन से फाइन्डिंग्स आगई। सरकार के सामने प्रश्न खड़ा हुआ कि इसको डिज़ोल्व किया जाय, सुपरसीड किया जाय। माननीय मंत्री महोदय खुद जानते हैं कि भरतपुर नगरपालिका में जितने करप्शन के चार्जेज़ हैं उतने शायद राजस्थान की दूसरी नगरपालिका में हों। लेकिन उसको डिजोल्व नहीं किया। सरकार जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेज़ हैं उस नगरपालिका को डिजोल्व नहीं करती है, जनता चिल्लाती है कि चेयरमैन को अपदस्थ करो, नगरपालिका को भंग किया जाय, लेकिन सरकार उसको सुपरसीड नहीं करती, सरकार उसको डिज़ोल्व नहीं करती। जयपुर नगरपालिका के प्रतिनिधि कहते हैं कि आॅक्ट्राय को वापिस ले लिया जाय, वे जनता के प्रतिनिधि हैं, जो जनता की आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाते हैं, वे जनता के चुने हुए नुमाइन्दे गवर्नमेंट को चुनौती देते हैं। सरकार उसको भंग करेगी और किया है। यह जो आपके प्रजातन्त्र के विचार हैं। इस प्रकार के क्लॉज़ आप इसमें रख कर राजस्थान के जनतन्त्र का गला घोंट देना चाहते हैं। राजस्थान में ११ साल में पलने वाले इस जनतन्त्र को शिशु काल में ही भ्रूण हत्या की है। स्वच्छन्दता के कारण सरकार के दबाव में आकर, सरकार का आकर्षण बन कर जो इस प्रकार के ट्रिब्युनल

Page No.36

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

होंगे वे जनता की आवाज़ के साथ काम नहीं कर सकते और वे अपने पैरों पर भी जनता के साथ खड़े नहीं हो सकते। लेकिन नगरपालिकाओं के वे सदस्य जो जनता की आवाज़ में आवाज़ मिला कर चलने वाले हैं, जो जनता के दुख दर्दों को दूर करने के लिए जनता से उनके प्रतिनिधि होकर आये हैं वे यदि जनता के कष्टों को दूर करने में और अपने कर्तव्यों का पालन करने में फैल होंगे तो वहां जनता जिसने उनको चुन कर भेजा है वह हटा सकती है। जनता चाहेगी उनको रखेगी और जनता नहीं चाहेगी उनको तो नहीं रखेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कितना दृष्टिकोण में फर्क है। आप इसको प्रोग्रेसिव कहते है। रूपवास से आने वाले माननीय सदस्य नहीं है वे बड़ी प्रोग्रेसिव बातें करते हैं। जयपुर में हाईकोर्ट आन्दोलन हुआ तब आपकी पार्टी के कई सदस्यों ने यह मांग रखी, कई प्रमुख सदस्यों ने मांग रखी कि हमको प्रेसिडेन्ट रूल की मांग करनी चाहिये। हाईकोर्ट आन्दोलन में सरकार द्वारा निर्ममता के साथ अन्याय किया गया, जनता के साथ अत्याचार किये गये, लोगों को जेलों में ठूंसा, लाठी चार्ज किये, अश्रु गैसें बेरहमी के साथ छोड़ी गई। लोगों के साथ अनाचार किये गये, जब वे दिन याद आते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय प्रमुख लोगों ने, आपकी पार्टी के प्रमुख व्यक्तियों ने भी, एक ड्राफ्ट बनाया कि इसके द्वारा मांग करनी चाहिये कि यहां प्रेसिडेन्ट रूल होना चाहिये। लेकिन जेलों में हमने कहा कि प्रेसिडेन्ट रूल की मांग नहीं होगी। हम तो जनमत का जागरण करेंगे कि राजस्थान की इतनी नामाकूल सरकार है कि जो मासूम बच्चों के डंडे लगाती है, उनके बालों को नोचती है, उन पर और घरों में जाकर अत्याचार करती है, अश्रु गैस छोड़ती हैं। जनसंघ ने कहा कि जनता के अन्दर जागरण करेंगे, जनता को जागरुक बनावेंगे और हमने प्रेसिडेन्ट रूल की मांग नहीं की। यह हमारा एक दृष्टिकोण था। हाईकोर्ट के आन्दोलन के समय। मच्छरों को मारने के लिए सरकार बहादुरी बताती है अपनी। यहां की नगरपालिका ने अपना कर्त्तव्य पालन किया तो उसको सुपरसीड कर दिया। यदि इस क्लॉज़ के द्वारा आगे भी कोई नगरपालिका अपने कर्त्तव्य का पालन करेगी तो उसको भी सुपरसीड कर दिया जावेगा। यह प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। आज के युग में इस प्रकार के क्लॉजेज़ की आवश्यकता नहीं है। आज के युग में स्वायत्त शासन संस्थाओं का जो ढांचा बनाया है तो आगे बढ़ने का मौका दीजिये, जनता को अपने फर्ज अदा करने दीजिये। मैं उसका स्वागत करता यदि आप यह लिख देते कि नगरपालिका के अध्यक्ष के खिलाफ या पूरी नगरपालिका के खिलाफ करप्शन के सीरियस चार्जेज़ होंगे तो उसको फौरन डिज़ोल्व कर दिया जाय। लेकिन इस युग में ऐसे कदम भी उठाने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन लिखा है कि नगरपालिकायें अपनी ड्युटीज़ में फैल होंगी तो उनको भंग कर दिया जावेगा। ड्युटीज़ में फैल होने का मतलब तो यह भी हो सकता है कि रोशनी का इन्तज़ाम नगरपालिका के हाथ में है, आप कहेंगे कि यहां १६ लाइट लगनी चाहिये, ४ ही लगी हैं इसलिए ड्युटीज़ में फैल हो गई और इसीलिए भंग कर दिया जाय। इस प्रकार के एक्सपेन्सिव, बढ़ने वाले रबर की गेंद की तरह इन्टरप्रिटेशन रखना

Page No.37

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ज्युडिशियली एक्सरसाइज़ नहीं होंगे और ऐसी परिस्थिति में यह कह कर ट्रिब्युनल के कारण से रेफर करेंगे। मैं मंत्री महोदय को पूछना चाहूँगा कि नगरपालिका को भंग करने के लिए रेफर कर दिया और सुपरसेशन के लिए? सुपरसेशन के लिए आप कहेंगे कि छः महीने का समय रखा है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि छः महीने का समय रखिये या चाहे नौ महीने का रखिये। सुपरसेशन को आपने ट्रिब्युनल को क्यों नहीं रेफर किया? छः महीने के लिए भी भंग करना क्या जुर्म नहीं है? डिज़ोल्वेशन में स्टेटमेन्ट ऑफ चार्जेज़ नहीं है जिसकी जरूरत है जिससे नगरपालिका अपना केस ट्रिब्युनल के सामने रख सके। किसी नगरपालिका ने टैक्स लगाया और उसको वापिस ले लिया तो उसको तो सुपरसीड किया जाता, यह हमारी मर्ज़ी की बात है। सुपरसेशन को भी ट्रिब्युनल के सामने रखते। आपने नहीं रखा है। राजस्थान में नगरपालिकाओं को डिज़ोल्वेशन करेंगे वही सुपरसेशन करेंगे। ट्रिब्युनल में मेटर जावेगा नहीं और इसीलिये चुनाव कराते जावेंगे तथा सुपरसीड करते रहेंगे। यह आपके लिए मुश्किल नहीं है। आज नगरपालिका के सदस्यों को हटा दिया जाता है। आपके पास अपील करते हैं इस अपील को आप नामन्जूर कर देते हैं। वे आगे जाते हैं हाईकोर्ट में रिट करते हैं हाईकोर्ट द्वारा फैसला होने के बाद नगरपालिका के सदस्य बनते हैं। केवल नगरपालिकाओं की बात नहीं हाईकोर्ट से दूसरा फरमान पहुंचता है, फिर भी कहा जाता है कि आपको नगरपालिका की सदस्यता से पृथक किया जाता है। आप हाईकोर्ट में जाइये हम आपको मेम्बर शिप से हटाते जायेंगे ज्यों ज्यों हाईकोर्ट आपको मेम्बर बनाता जायगा हम भी आपको मेम्बरशिप से हटाते जायेंगे। आप उदाहरण चाहते हैं तो मैं आपको मोहिनी स्वरूप का किस्सा बताऊं, आप उठें इसलिये मैंने आपको नाम बता दिया। मोहिनी स्वरूप का केस हमारे सामने हाईकोर्ट में रिट करने पर वह बहाल हुआ, लेकिन आपने उसे फिर हटा दिया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : यह बात आप गलत कह रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आपने हाईकोर्ट के फैसले के बाद नहीं हटाया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह गलत है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या जब वे दुबारा हाईकोर्ट में गये, उसके बाद नहीं हटाया?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बिल्कुल नहीं हटाया। दूसरी बार म्युनिसिपैलिटी का वहां इलेक्शन हुआ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वे तरीके तो सब आपके पास हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप एक भी उदाहरण नहीं दे सकते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको मैं एक नहीं कई उदाहरण दे सकता हूं। आपने जब कहा मैंने मोहिनी स्वरूप का नाम आपको बताया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप एक भी मिसाल नहीं दे सकते और न आगे भी दे

Page No.38

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

सकेंगे। आप लेक्चर दे सकते हैं। लेकिन जहां तक इससे सम्बन्धित उदाहरण का सम्बन्ध है आप न दे सकते हैं और न दे सकेंगे। मैं आपको चेलेन्ज करता हूं कि आप एक भी उदाहरण नहीं दे सकते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो मैं भी मानता हूं कि आप ही एक ऐसे आदमी केबीनेट में हैं जो ईमानदार हैं। लेकिन इसके बाद भी आपकी लाचारियां हैं, मजबूरियां हैं आपके लिमिटेशन है आप पर दबाव भी आता है। उसको भी आपको मानना पड़ता है अध्यक्ष महोदय, लोसल के केस के विषय में जहां लॉ डिपार्टमेन्ट की यह राय है कि इनको नोमीनेट नहीं कर सकते दूसरे आदमियों का नोमीनेशन नहीं कर सकते फिर भी आपने किया। परबतसर में आपने क्या किया। हो सकता है आपकी मजबूरियां हों।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं नोमीनेशन की बात भी आपको बतलाऊंगा सुपरसेशन की बात चल रही है कहां इसका मिस यूज़ हुआ। जयपुर की म्युनिसिपैलिटी का उदाहरण है आप एक भी मिसाल नहीं दे सकते। जयपुर म्युनिसिपैलिटी के सुपरसेशन के बारे में आप कह रहे थे....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह तो मैंने ऑक्ट्राय के बारे में कहा था। बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं है हां कुछ ज़रूर हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं आपको चेलेन्ज करता हूं कि आप एक भी मिसाल बतलाइये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लोसल के नोमीनेशन के बारे में बताया था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो नोमीनेशन की बात है आप सुपरसेशन का कोई उदाहरण दीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर म्युनिसिपैलिटी का किस्सा है वहां के चेयरमैन के खिलाफ करप्शन के चार्ज लगते हैं। भरतपुर की जनता ने मांग की इस म्युनिसिपैलिटी को भंग कर दिया जाय उसके बारे में आपसे डेप्युटेशन भी मिला। लेकिन आपने उसको डिज़ोल्व नहीं किया सुपरसीड नहीं किया, और दूसरी तरफ जयपुर के अन्दर आप सुपरसेशन की धारा लागू करते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एन्टी करप्शन विभाग से कोई भी रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई उनको केसेज़ दे रखे हैं हम उनसे तकाज़ा कर रहे हैं। आपने जो यह कहा कि एन्टी करप्शन की रिपोर्ट आने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं कहता हूं उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आयी, हम उसके लिये तकाज़ा कर रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने यह कहा कि यह मामला एन्टी करप्शन विभाग को गया हुआ है। लेकिन एन्टी करप्शन विभाग को मामले तभी जाते हैं जब गवर्नमेन्ट सेटिसफाइड हो, एन्टीकरप्शन के चार्जेज़ उनके खिलाफ प्रूव्ड थे तभी आपने एन्टीकरप्शन विभाग को दिया। प्राइमाफेसी सेटिसफेक्शन आपको था तभी तो आपने उनको दिया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो बात आपने कही वह गलत है एन्टी करप्शन विभाग को

Page No.39

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

जो शिकायत हमारे पास आई थी वह हमने उनके पास भेज दी ताकि इन्क्वायरी करके भेज दें, इसलिये प्राइमाफेसी केस जो था उसका सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एन्टी-करप्शन विभाग द्वारा जहां तक इस प्रकार के मामले को हाथ में लेने का सवाल है। जबतक उसके सामने प्राइमाफेसी फैक्ट्स न आये तब तक वह उसको लेता नहीं हर एक केस तो एन्टीकरप्शन विभाग में जा नहीं सकता, जब सरकार सेटिसफाइड होती है, तभी तो वह मेटर रेफर करती है। आप भी इस बात को जानते हैं। वहां के चेयरमैन के खिलाफ शिकायतें हैं, उन्होंने गबन किये हैं वहां नयार कचेमै भ्रष्टाचार में व्याप्त है, वहां की नगरपालिका के सदस्यों में भी जनता के पैसे का दुरुपयोग किया है ये सब बातें आप जानते हैं आपके दिमाग में ये सब बातें हैं लेकिन उनको आप यहां नहीं कहेंगे। इतना होते हुए भी वहां आपने डिज़ोल्व नहीं किया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यदि एन्टी करप्शन विभाग उनको जेल भेजने के लिए ही कहेगा तो भी मैं मन्जूरी दे दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जेल भेजने की नौबत जब तक आयगी शायद आप इस पद पर होंगे भी या नहीं, यह कौन जानता है।

एक माननीय सदस्य : यह कैसे गारन्टी है कि आप भी यहां रह सकेंगे या नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके बारे में शक हो सकता है हमारे बारे में नहीं मेरे तीन साल बाकी हैं उतने समय तक तो रहूंगा। आगे की आगे देखी जायगी। I am not on the pleasure of some body. इन सारी परिस्थितियों के अन्दर कुछ बातें ऐसी हैं। कुछ ऐसे उदाहरण भी हमारे सामने हैं कुछ अनुभव भी हमारे सामने आये हैं। यह हो सकता है वे कम आये हों, हो सकता है वे पन्द्रह पर्सेन्ट या बीस पर्सेन्ट ही हों माननीय मन्त्री महोदय अगर चाहें तो थोड़ी अनिच्छा के साथ इनको इसके लिये कॉम्पलीमेन्ट दे सकता हूं। आप जो कानून बनाने जा रहे हैं हो सकता है उसके अमल में आने तक शायद आप यहां विराजमान रहें। आपके बाद कौन आयगा किस कन्डीशन में आयगा किस इन्टीग्रेटी का आयगा। यह पोर्टफोलियो किस के पास जायगा। आज हम जैसी हालत पुलिस की देख रहे हैं, जब कि पुलिस की बागडोर आज जैसे कमजोर हाथों में है, अगर उसी प्रकार के कोई आगये तो मैं समझता हूं यह इस क्लॉज़ का प्रयोग कमज़ोर हाथों में चला जायगा तो जैसी हालत कमजोर हाथों में तलवार देने से होती है वही हालत इसकी होगी। जिस प्रकार हम रोज़ाना घर में देखते हैं, छोटे बच्चों के हाथ में ब्लेड या चाकू पड़ जाता है तो उसका उपयोग वे जानते नहीं उससे अपने हाथ और अंगुली काट डालते हैं। यह मैं मानता हूं आप ऐसा नहीं करेंगे लेकिन जो इसका प्रयोग नहीं जानते उनके हाथ में यदि चला जायगा तो जैसे ब्लेड से नाखून काटते काटते बच्चे अंगुली काट डालते हैं, उसी प्रकार होगा। इसलिये मैं कह रहा हूं आप इस तरह का प्रोविज़न रखते ही क्यों है? पहले रखते ही क्यों है जिससे आगे चलकर इसका दुरुपयोग हो सके

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आज भी कोटा और बारां नगरपालिका के उदाहरण हैं ऐसे आगे चलकर भी हो सकते है। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि इस प्रकार का जो प्रोविज़न रखा है आपने शक्ल बहुत अच्छी बनायी है नगरपालिका विधेयक पास हो जाय उसके लिये आपने उसकी तस्वीर अच्छी बनाने की कोशिश की है। इस समय क्लॉज़ २६१ पर विचार हो रहा है। क्लॉज़ ३८८ को आपने पास कर दिया आपकी तस्वीर एक प्रकार से पूरी हो गई गणेशजी की तस्वीर है। जिसके आपने हाथ कान नांक आंख सब लगा दी है। एक तरह से पूरी गणेशजी की तस्वीर आपने बनाकर रख दी लेकिन गणेशजी के सूंड लगाना बाकी रह गया, जो सूंड आगे लगाने की थी वह आपने पीछे लगा दी तो क्या हुआ गणेशजी बनने के बजाय वे बन्दर की तस्वीर बन गई। यही हाल इस क्लॉज़ के रखने से इस बिल का हुआ है क्या जरूरत है इस क्लॉज़ की। आपका मन्तव्य, आपकी भावना यदि स्पष्ट है, तो आप इसको निकाल दीजिये इसके लिये हम आपके साथ हैं, हम आपकी मदद करेंगे। हो सकता है इस प्रकार क्लॉज़ के निकाल देने से आपका दल में विरोध हो या आपने अपनी पार्टी की दृष्टि से ऐसी धारा को रखना उपयुक्त समझा हो। मेरा आपसे निवेदन है आप पार्टी के हित का ख्याल रखते हुए विचार मत करिये। क्योंकि यह बिल सब पार्टी की नगरपालिकाओं पर लागू होगा, इसलिये निवेदन करूंगा आपको किसी प्रकार भी अपने दल के मतभेद का ख्याल न रखते हुए सही रास्ता है वह अपनावे हम आपकी मदद करने के लिये तैयार हैं। डेमोक्रेसी में कहीं भी इस प्रकार की सर्कमस्टान्सेज़ नहीं आ सकती, जिसमें इस प्रकार के प्रगतिशील कदम का विरोध होगा। आपको मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ आपको इसका प्रयोग करने की नौबत नहीं आयगी अगर आ भी जाय तो इमरजेन्सी में आप ऑर्डिनेन्स निकाल सकते हैं। जिस चीज़ का उपयोग नहीं होगा आप उसको रखते ही क्यों हैं ? बन्दूक चलाना जानते नहीं तो आप बन्दूक का लाइसेन्स लेते ही क्यों हैं ? कहीं आप उसको औन्धी चलाकर खुद न मर जाय। जिस चीज को चलाना जानते नहीं जिसको चलाना नहीं आता जिसका उपयोग करना आता नहीं, ऐसी खतरनाक चीजें अपने पास नहीं रखे तो अच्छा, नहीं उसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। इसलिये माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा जो विचार मैंने रखे हैं उसको भी अपने सामने रखे। बारां की नगरपालिका डिज़ोल्व हुई थी.... लेकिन कम न हुई हैं ये बातें। बारां नगरपालिका डिजोल्व हुई इसी बारे में। आपको जानकारी नहीं हुई होगी। आप अपने दफ्तर से जानकारी कर लें। तो यह निवेदन करते हुए धारा २६१ को हटाने के बारे में प्रतिष्ठा का प्रश्न छोड़ कर, दल दबाव को छोड़कर आप इस बात को स्वीकार करें। मैं इन शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : आप इस पर बोल चुके हैं पहले ही। यह अमेंडमेंट भी पुराना है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह पुराना कहां है।

श्री अध्यक्ष : आप पहले बोल चुके

(श्री अध्यक्ष)

हैं। उस वक्त यह तै किया गया था कि यदि फोर्मल हो और सरकार स्वीकार करती है तो ठीक है नहीं तो सदस्य उन पर अब नहीं बोलेंगे। इस तरह वापिस सभी क्लॉज पर अगर बहस शुरू कर देंगे तो यह तो समाप्त नहीं होने वाला है।

श्री मुरलीधर व्यास : मिनिस्टर महोदय ने जो मुद्दे तथ्य रक्खे हैं उन्हीं पर कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : केवल अमेंडमेंट पर ही ?

श्री मुरलीधर व्यास : जी हां। अध्यक्ष महोदय, यह जो क्लॉज २९१ है। इस पर बहुत से सदस्य पहले ही बोल चुके थे और उस पर काफी वाद विवाद भी हुआ था। बाद में यह डेफर हुआ और उस वक्त यह जाहिर था कि सदन की राय को समझ कर उसमें क्या संशोधन आता है। इस दृष्टिकोण को रख कर बहस नहीं करने की बात कही गई थी और उसे डेफर कर दिया गया था।

अब जो संशोधन आया है उसको देख कर यह नहीं कहा जा सकता कि सदन की राय का उसमें समावेश हुआ है। ट्रिब्यूनल न्यायाधिकारियों के हाथ में रक्खा यह सबसे बड़ी बात कही गई थी। नगरपालिका के विधेयक में जो सबसे बड़ा सवाल है यह है कि मिसालों को कहां तक सरकार स्वीकार करती है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि या तो वे इस दलील में न जावें और अगर जाते हैं तो सारी घटनाओं को गहराई से देखें। आपने कहा कि कहीं पर भी कोई काम आपने ऐसा नहीं किया और जो कुछ भी किया है ठीक किया हैं और कोई गलत काम एकाध किया हो तो प्रमाणित करिये। यह स्पष्ट कहा। तो मैं इस पर सोचने लगा कि नगरपालिका और पंचायतों के मामलों में क्या क्या हुआ है ? उन घटनाओं को अगर रखने की कोशिश करूं तो काफी समय उसमें लग सकता है। मन्त्री महोदय स्वयं जानते होंगे कि उनके पास ऐसे कितने मौके आये होंगे। एक अगर गलत कानून वे बना जाते हैं। तो भविष्य में लोगों को उसका असर चिरकाल तक सहन करना पड़ता है और इतना ही नहीं, इसके लिए मन्त्री मण्डल को भी नाना प्रकार की दिक्कतों को सहन करना पड़ता है और अगर इनका समाधान सरकार को करना है और वह यह महसूस करते हैं कि ये दिक्कतें दूर हों तो इस प्रकार का अधिकार सरकार अपने हाथ में ही नहीं रक्खे। सरकार के हाथ में अगर यह सत्ता ही नहीं रहे तो मैं समझता हूं कि सरकार को काम करने में भी सुविधा हो जावेगी। अगर न्यायालय के हाथों में आप यह काम सौंप देते हैं तो आपका एक काम हल्का हो जाता है और फिर आपके चरित्र पर और आपके कारनामों पर कोई आक्षेप नहीं आ सकता। सब की राय थी कि भंग करने का सवाल आता है वहां मामला ट्रिब्यूनल को सौंपेंगे तो ठीक है। दिक्कतें खड़ी की गई थी। ट्रिब्यूनल को तो रेफर करने का काम आपके हाथ में है। इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं कि कई मामलों में निर्णय करते हैं कई में नहीं करते हैं। आपने फर्माया कि इस बात का कोई उदाहरण दिया जावे कि हमने किसी प्रकार से कोई काम ऐसा किया है, भंग करने के बारे में तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एक उदाहरण बहुत छोटा सा रखना चाहता हूँ कि आप किसी तरह से

Page No.42

(श्री मुरलीधर व्यास)

क्या करते हैं। एक बोर्ड को तो आप छोटी-सी बात पर भी भंग करते हैं और दूसरे बोर्ड पर ऐसे अनेकों कारण और लांछन होने पर भी भंग नहीं करते। क्योंकि आपका दृष्टिकोण ऐसा बन जाता है कि अपनी पार्टी के आदमियों को आप शील्ड करते हैं। उनके लिए आप पर दबाव आते हैं या नहीं, यह मैं नहीं कहता पर ऐसी परिस्थितियां अपने आप बन जाती हैं जब कि आप इस प्रकार के अधिकार अपने हाथ में रखते हैं, मैं निवेदन करूं आपसे कि बीकानेर में नापासर और डूंगरगढ़ की नगरपालिकाएं हैं। नापासर को आपने भंग नहीं किया है। हालांकि वहां के म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन ने कुछ बुरे काम किये। उसने ज़मीन की बिक्री गैर कानूनी तरीके से की। मनमाने तरीके से की। हाई कोर्ट में रिट गया फिर भी काम चल रहा है। किसी तरह से उसको कुछ आप नहीं कहना चाहते। परन्तु दूसरी ओर डूंगरगढ़ की नगरपालिका है। उसकी शिकायत आपके सामने है। यहां तक उसकी शिकायत की कि कलेक्टर हुक्म देता है कि इस प्रकार से जो शरणार्थियों पर अन्याय हुआ है उसको देखते हुए उनसे टैक्स वसूल नहीं किया जावे, और जो प्रोपर्टी उनकी ज़ब्त की गई वह उनको दी जावे। पर कलेक्टर का हुक्म नहीं मानते, वह बुलाता है तो जाते नहीं। बोर्ड ने हुक्म दिया उसको भी नहीं मानते और मनमानी तरीके से बिक्री करते हैं। ५८ से बिक्री के खिलाफ ऑर्डर पड़ा है, ५६ से बिक्री न करने के आदेश दिये गये। पर वे आदेश नहीं माने गये। इसके बाद में कई बार आदेश दिये गये उनको नहीं माना और मनमाने तरीके से काम किया जाता है। इसका कारण क्या है? हो सकता है आप पर दबाव पड़ता हो न पड़ता है या पड़ता है तो आप कहते नहीं। मैं इसका एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि आप पर किस तरह से दबाव पड़ता है। मैं एक पत्र पढ़कर आपको सुनाता हूं। उस दबाव में कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। वह पत्र लिखा जाता है मन्त्रियों को और फिर आपको कहा जाता है कि इस प्रकार की गड़बड़ी जहां होती है उनको रोकने के लिए आपके पास जनता के लोग शिकायतें लेकर आते हैं और उनको सही मानकर कहीं आप बोर्ड को भंग नहीं कर दें, इसके लिए नीचे से ऊपर तक सत्ताधारी पक्ष के लोग आप पर दबाव डालते हैं। क्योंकि उनकी पार्टी के लोग हैं, उनको बचाना है। आप कहते हैं कोई प्रमाण नहीं देता इन बातों का। मैं प्रमाण देता हूं। वह पत्र इस प्रकार से है :—

१ म० प०

अध्यक्ष महोदय, यह पत्र नगरपालिका श्री डूंगरगढ़ का है और वह श्री दौलतराम जी सारण जयपुर को लिखा गया। उस पत्र में यह लिखा है कि मैं आज सुबह यहां पर पहुंचा हूँ और शरणार्थी जयपुर में बताते हैं आप श्री बद्रीप्रसादजी के आते ही बात कर लें। कोई आदेश प्रसारित नहीं कर दें। नहीं तो ..

श्री जयसिंह राणावत (आसिन्द) : यह असली पत्र है?

श्री मुरलीधर व्यास : उसकी नकल है, हस्ताक्षर हैं और उसकी फोटो कापी है। इसमें आगे लिखा है वैसे चौधरीजी ने कहा

(श्री मुरलीधर व्यास)

ही था। अब यह चौधरीजी कौन हैं पता नहीं, उनको भी कह दिया है। लेकिन याद कम रखते हैं इसलिए कोई हुक्म नहीं देवें नहीं तो हमारी प्रतिष्ठा समाप्त हो जायेगी। शांति है, तीन दिनों से कोई प्रदर्शन जलूस नहीं निकाला जा रहा है, ज्यादा क्या लिखूं। टेलीफोन पत्र पहुँचते ही कर लें। कलेक्टर आज तक नहीं आया है। समाचार एक यह है कि जयपुर से एक सी० आई० डी० (डी० एस० पी०) थानेदार के खिलाफ ३०२ वाले की जांच करने आया है। मुझे रास्ते में चेतरामजी व किसनारामजी ने भी कहा था कि मेरे से वह मिलेगा, लेकिन वह मेरे से नहीं मिला है। वह तीन रोज से थाने में ठहरा हुआ है। रामसिंह जी भी जीप से यहां आया था, वापिस चला गया है। थानेदार ने रामलाल, कुम्भजी पीरोश, नत्थू को बुलाकर कहा कि तुम मेरी पैरवी करो, उनको जीप भेजकर बुलाया था। वे लोग जी-जान से कोशिश कर रहे हैं कि थानेदार का कुछ न हो और बयान भी उसके खिलाफ़ न दें। उस सी० आई० डी० ने रीडी सवार भेजकर रिश्वत देने वालों व ३०२ की शिकायत करने वालों को बुलाया, लेकिन सब इन्कार हो गए। इस पर आज वह जाकर आया है। बयान बैजनाथ के आसपास वालों के घर जाकर लिए हैं। देवाराम वहीं मौजूद था। यहां से गोविन्द की जीप गई थी, रामलाल भी गया था, रामलाल ने वहां बड़ी कोशिश की कि बयान नहीं देवें। गोविन्द से सब बातें मालूम हुई हैं। वहां लोगों ने बयान दिया है कि बैजनाथ की मांग ...

श्री अध्यक्ष : यह आप मेज़ पर रख दीजिए।

श्री मुरलीधर व्यास : रख रहा हूं।

श्री भैरोसिंह : दस्तखत किस के हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : यमुनाप्रसाद जो कि नगरपालिका के प्रेसीडेन्ट हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार जयपुर) : कहां से है ?

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने बताया कि श्री डूंगरगढ़ से है। आपने कहा कि इस मामले में नहीं होता मैं कहना चाहता हूं कि वहां के नगरपालिका के अधिकारी किस किस प्रकार से करते हैं। म्युनिसिपैलिटी के प्रेसीडेन्ट ने किस किस प्रकार से कोई ज़मीन दो आने और कोई ज़मीन तीन आने गज के हिसाब से बेची है। इसके मैं आपको प्रमाण देता हूं। ज़मीन तो बेची दो आने और तीन आने गज के हिसाब से और इसी हिसाब से म्युनिसिपैलिटी में पैसे जमा कराये और वास्तव में वह ज़मीनें बेची हैं एक रुपया गज और डेढ़ रुपया गज और इस प्रकार उन्होंने दो हज़ार ढ़ाई हज़ार रुपये अपने पास रख लिए और उसके लिए मैं प्रेसीडेन्ट के हस्ताक्षर सहित दो प्रतियां रखता हूं कि उन लोगों से दो दो और तीन तीन हज़ार रुपये लिये हैं। उन्होंने लिखा है कि जीवनराम से २००० रुपये और १६०० रुपये ज़मीन बेचान आज दिन प्राप्त हुए कुल रुपये ३६००, यमुनाप्रसाद। इसी तरह से यह दूसरा है। वह दो तीन आने गज की ज़मीन म्युनिसिपैलिटी ने बेची। वैसे सरकार का हुक्म है कि ज़मीन नहीं बेची जाये फिर भी बेच दी और भ्रष्टाचार करते रहे। नगरपालिका के हिसाब में दो तीन आने गज के जमा कराते रहे और रुपये डेढ़ रुपये के

(श्रीमुरलीधर व्यास)

हिसाब से चार्ज करके अलग पैसे लेते रहे। इसके लिए जनता ने शिकायत की। शरणार्थियों ने शिकायतें की उनके अन्याय के खिलाफ। उन्होंने छः छः दिन की हड़तालें की और इन लोगों ने ऊपर तक पहुँचकर दबाने की कोशिश की। उन्होंने लिखा है मैं सुबह पहुँचा हूं शरणार्थी जयपुर में बताते हैं। बद्रीप्रसादजी के आते ही बात कर लें कोई आदेश प्रसारित न कर दें। वैसे चौधरी जी ने कह दिया है। इसलिए हुक्म नहीं देवें नहीं तो हमारी प्रतिष्ठा समाप्त हो जायेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बद्रीप्रसादजी ये ही हैं या कोई और है ?

श्री मुरलीधर व्यास : ऐसे आदेश बद्रीप्रसादजी ही दे सकते हैं और दूसरा नहीं दे सकता। कहने का मतलब यह है कि आप इस बात को मानें या नहीं मानें लेकिन ऐसे एक ही नहीं बल्कि अनेकों उदाहरण दिये जा सकते हैं। बीकानेर में जब चुनावों के बाद पहिले पहल माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी पधारे उस समय बीकानेर के पांच हज़ार आदमियों ने प्रदर्शन करके उनके सामने सारी बातें रखीं कि बीकानेर की म्युनिसिपैलिटी की हालत ठीक की जाये। इसलिए कि वह गबन कर रहे हैं और ऑडिट रिपोर्ट में इसके अनेकों प्रमाण हैं। पर वह नगरपालिका क्योंकि कांग्रेस की थी इसलिए ऐसी नगरपालिकायें भंग नहीं होती और इसके विपरीत दूसरे बोर्ड जो कि विरोधी दल के होते हैं उनको छोटी मोटी बातों को लेकर मनमाने ढंग से भंग कर दिया जाता है। तो ऐसे अधिकार को रखने से इस प्रकार के सारे अन्याय होते हैं और इसको रोकने के लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक मेरे व्यक्तिगत विचारों की बात है मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ऐसे अधिकारों को वह अपने हाथ में न लें। परन्तु फिर भी जो समस्यायें होती हैं और जो राजनैतिक जनतांत्रिक व्यवस्था हमारे यहां पर बनी हुई है उसके कारण से मानता हूँ कि कई ऐसे कारण आ जाते हैं जहां उसके हाथ में अधिकार होने के बाद में वह अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते। कई घटनायें हो सकती हैं और मैं मान भी लूं कि नहीं भी हों पर इससे हमारे जनतंत्र का ढांचा सारा नष्ट भ्रष्ट हो रहा है और आम जनता की आस्था उठती जा रही है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं और मंत्री महोदय विश्वास करते हैं कि मुल्क में जनतंत्र को सफल बनाना है और जो यह बिल है इससे लाखों करोड़ों लोगों का संबंध रहेगा और वह संबंध जनतांत्रिक रहेगा और इसका नगरपालिका के चुनावों से बड़ा भारी संबंध रहेगा फिर अगर आप इस अधिकार को अपने हाथ में रखना चाहते हैं और इस अधिकार को अपने हाथ में रखकर अपने हाथ से जनतंत्र की हत्या करते हैं। अगर इस अधिकार को न्याय के हाथ में सौंप देते हैं, हाईकोर्ट के जज़ के पॉवर्स में रख देते हैं, ऐसे मामलों में उनके सामने कोई रिट पिटीशन जाये तो मैं कहता हूं कि आप जनतंत्र की बड़ी भारी रक्षा करते हैं। अगर इस मांग को आप ठीक समझते हैं तो इसे मान लेना चाहिए। आपने ट्रिब्यूनल की बात रखी, दूसरी बातें भी आपने रखीं और जो संशोधन आपने रखा है उससे आप इस अव्यवस्था को दूर नहीं कर सकते। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं और बहुत ही प्रमाणिकता के साथ में जो मेरी

(श्री मुरलीधर व्यास)

धारणा है उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह कानून जो आगे जाकर के सारे कानूनों में नगरपालिका विधेयक जो कि महत्वपूर्ण विधेयक है उसके अन्दर -२६१ का क्लॉज़ है और दूसरे नोमीनेट करने के क्लॉज़ में कोई सुधार आया है वह आ जाये और यह आ जाये तो हमारे कानून में चार चाँद लग जायेंगे। और आने वाला समय कहेगा कि हमारे मंत्री महोदय ने ऐसा प्रगतिशील कानून रखा। तो इसी दृष्टिकोण से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इस नगरपालिका के इस विधेयक के अन्दर चार चाँद लगाना चाहते हैं। तो आप इस विधेयक के अन्दर जो संशोधन मैंने रखा है उस संशोधन पर फिर विचार कर लें और विचार करके अगर आप इस मामले में नगरपालिका को भंग करने के संबंध में, यानि भंग करने का सवाल है यह सीधा हाई कोर्ट के जज़ के अधिकार में रखें और वह जो कुछ फैसला करे उस आधार के ऊपर वह फैसला होने दें। जिसको जो शिकायत करनी हो वह वहां पर करेगा जैसे कि आपके पास आज पहुंचते हैं। आप भी आखिर कानून और नियमों की जानकारी करके फैसला देते हैं। उसी आधार पर उनके हाथ में रहेगा। तो हमारा यह कानून एक महत्वपूर्ण कानून बन जायेगा और इससे सबसे बड़ी बात आज जो सारे इलाके के अन्दर पंचायतों के मामलों में और नगरपालिकाओं के मामलों को लेकर असंतोष है वह दूर होगा। न्याय के मामले में सब को समान न्याय मिल सकेगा और यह कानून जो कि भविष्य में सारे राजस्थान के अन्दर बहुत जल्दी ही लागू होने वाला है तो उनको भी काफी लाभ मिल सकेगा। तो हम इस कानून को प्रगतिशील कानून कह सकते हैं। अगर आपने नहीं रखा और ऐसे के ऐसे ही अधिकार अपने हाथ में रखे तो आपके लिए भी, जनतन्त्र के लिए भी और साथ ही साथ जनता के लिए भी अच्छा नहीं होगा। यही दृष्टिकोण में सदन के सम्मुख रखना चाहता हूँ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में जो माननीय सदस्यों ने दलीलें दी हैं उन दलीलों से यह बात जस्टीफाई होती है कि यह क्लॉज़ रहना चाहिए। एक माननीय सदस्य ने कहा कि भरतपुर के म्युनिसिपल बोर्ड में काफी गड़बड़ हुई लेकिन कोई एक्शन गवर्नमेंट ने नहीं लिया। दूसरे माननीय सदस्य ने कहा कि डूंगरगढ़ की म्युनिसिपैलिटी के सम्बन्ध में काफ़ी शिकायतें कीं लेकिन गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसी शिकायतें नहीं आई हैं कि उसका मिस यूज़ किया गया है। यह कहा गया कि अपोजिशनवालों का बोर्ड हो गया उसको सुपरसीड कर दिया गया और कांग्रेस का बोर्ड हो गया उसको सुपरसीड नहीं किया गया। लेकिन ऐसी कोई मिसाल सामने नहीं आई है। लेकिन यह शिकायत है कि गवर्नमेंट उनके बोर्ड के साथ में कार्यवाही नहीं करती है। तो मैं अर्ज़ करूंगा कि आप इस सेक्शन की खिलाफ़त करते हैं तो गवर्नमेंट किसी तरह से कुछ नहीं कर सकेगी। जब २६१ की धारा इस एक्ट में नहीं होगी, इस बिल में नहीं होगी तो गवर्नमेंट को किसी तरह का अधिकार नहीं होगा। यह मानते हैं कि मिस यूज़ नहीं किया गया है। [illegible] नेस से काम किया हो, बहुत दे

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

किया हो, उनके साथ में जो कार्यवाही करना चाहिए वह नहीं की, यह शिकायत हो सकती है। उसका भी मैं उत्तर दूंगा। यह शिकायत नहीं आई है कि मिस यूज़ नहीं किया है। इस पॉवर को यूज करना चाहिए था, लेकिन इस तरह के पॉवर को यूज़ नहीं किया तो फिर आपकी यह दलील ठीक नहीं है। यह शक्ति गवर्नमेंट के पास रहनी चाहिए वर्ना चाहे कोई भी म्युनिसिपैलिटी हो, चाहे डूंगरगढ़ की शिकायत हो, चाहे भरतपुर की शिकायत हो, गवर्नमेंट को कुछ करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसलिए इस क्लॉज़ को, मैं समझता हूँ, वैसे का वैसा ही रहने देना चाहिए।

अब सवाल गवर्नमेंट के इसको यूज़ नहीं करने का पैदा होता है। गवर्नमेंट ने उसे यूज़ नहीं किया, उसके बारे में मैं अर्ज़ करूंगा। इसके बारे में हाई कोर्ट के फैसले हैं। यह हमारे यहां पर मौजूद हैं। इसके बारे में हाई कोर्ट के कई बार फैसले हो चुके हैं कि इन पावर्स को गवर्नमेंट स्पेरिंगली यूज़ करे। जब तक कि कोई ग्रेव मिस यूज़ नहीं हो बोर्ड को सुपरसीड या डिजोल्व नहीं करे। मैं समझता हूं कि इसी दृष्टि को रखते हुए हमने ऐसा रखा है। ग्रेव मिस यूज़ का मतलब है कि कहीं पर मिस एप्रोप्रियेशन ऑफ फन्डस की गुन्जायश हो या क्रिमिनल ऑफेन्स बनता हो तो उस सूरत में एन्क्वायरी करके उसके बाद कार्यवाही करते हैं। ऐसी शक्ति गवर्नमेंट के पास में नहीं हो तो गवर्नमेन्ट काम नहीं कर सकती है। इसलिए मैं अर्ज़ करता हूं कि यह अधिकार जिस तरह का है उसको पास कर देंगे। जो कुछ डर हैं गवर्नमेंट की तरफ का कि म्युनिसिपैलिटीज़ के लिए इस तरह के पॉवर्स देना ठीक नहीं है तो सदन के बहुत से माननीय सदस्यों को मालूम है कि बहुत से म्युनिसिपल बोर्ड ने फन्ड्स वगैरह का मिस यूज़ किया उनके लिए शिकायतें इस तरह की हैं। यह जो क्लॉज़ है उसके अनुसार म्युनिसिपल बोर्ड के खिलाफ कार्यवाही बहुत कम कर सकेंगे। ट्रिब्यूनल में मामला जायेगा। वहां एक, दो साल लगेगा और तीन साल म्युनिसिपल बोर्ड की मयाद है। एन्क्वायरी करने में, नोटिस देने में और जानकारी करने में मामला ही खत्म हो जायेगा। पहले हम एन्क्वायरी करेंगे, बुलायेंगे और चार्ज शीट देंगे उसके बाद में ट्रिब्यूनल में भेजेंगे। वे उसकी एन्क्वायरी करेंगे और उसके बाद में कार्यवाही होगी। फिर हमारे यहां आयेगा और उसको हम लॉ डिपार्टमेंट में भेजते हैं। इस तरह से हमारे यहां ज़ाब्ते की कार्यवाही होती है। इसका नतीजा वही होने वाला है जो माननीय सदस्यों को अन्देशा है। इसलिए इसके मिस यूज़ होने का सवाल नही है। गवर्नमेंट इसका स्पेरिंग यूज़ करती है। हाई कोर्ट ने इस तरह के फैसले दिये हैं कि म्युनिसिपल बोर्ड को गलती करने का मौका देना चाहिए। इसलिए हमको इन पावर्स का स्पेरिंग यूज़ करना चाहिए। मैं सदन को इतना विश्वास दिलाता हूं कि इन पावर्स का हम स्पेरिंगली ही यूज़ करेंगे।

यह बात जरूर है कि भरतपुर के बारे में कहा है एक माननीय सदस्य ने। उनके सोचने के लिए अर्ज़ करूंगा कि भरतपुर का मामला एन्टीकरप्शन में गया है। उनको रिमाइण्ड किया है। फाइनेली क्या कहना

Page No.47

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

है ? उनको यह मालूम होना चाहिए कि इस सम्बन्ध में केस कोर्ट में चलाना चाहिए। जो कुछ करना है वह भेज दिया है और विश्वास है कि वे जल्दी ही फाइनेलाइज़ करनेवाले हैं। एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट कहता है कि केस प्रोसीक्यूशन के लायक है। तो वह गवर्नमेंट के पास आता है सेन्क्शन के लिए और गवर्नमेंट उसके प्रोसीक्यूशन की इजाज़ात देती है। अब जब तक वह एन्क्वायरी होती है और इस बीच में हम म्युनिसिपल बोर्ड को सुपरसीड कर दें, मैं अर्ज़ करता हूं कि मान लीजिये कि एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट कहता है कि कोई चार्ज उन पर साबित नहीं होता है तो...

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : उनको आप जल्दी एक्सपेडाइट करा सकते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट को इन्फ्लुएन्स करके डिले करा देते हैं उसको एक्सपेडाइट करना चाहिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिए कि एक्स-पेडाइट कराने की बहुत कोशिश करते हैं। मैंने उनसे पर्सनली भी कहा है और लिख कर भी कहा है। हमने बोर्ड को नोटिस दिया तो एक सिविल कोर्ट का इन्जेंक्शन ले आये कि गवर्नमेंट कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है। तीन चार म्युनिसिपैलिटीज़ के सदस्यों ने इस्तिफा दिया तो स्टे आर्डर ले आये। कानून आप खुद बनाते हैं आप स्ट्रिक्ट कानून बनाते हैं तो गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले सकती है। उसके बाद शिकायत होती है कि गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। आप किसी एक आदमी पर जिम्मेदारी नहीं छोड़ेंगे, विश्वास के साथ उसको पॉवर्स नहीं देंगे तब तक जैसा है उसी तरह की बात चलनेवाली है। मैं खुद इस बात में विश्वास करता हूँ कि म्युनिसिपेलिटी एक इलेक्टेड बोडी है उसको रिमूव करने का जनता को ही अधिकार हो। गवर्नमेंट उस पॉवर को स्पेरिंगली यूज़ करती है इस तरह माननीय सदस्यों को यह शिकायत पैदा हो रही है। मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि जहां पर फन्ड्स का मिस यूज़ होगा और जनता की तरफ से शिकायत होगी तो इस मामले में कार्यवाही करेगी। वह ट्रिब्यूनल के पास जायेगा। वह एन्क्वायरी करेगी। यह हमने बहुत स्ट्रिक्टली रखा गया है और जैसा कि संशोधन है उसको स्वीकर कर इस क्लॉज़ को पास कर दें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन मंत्री महोदय ने धारा २६१ में रखे हैं उनको स्वीकार किया जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, यह जो एमेंडमेंट २६१ का १७४ में एपॉइन्मेंटवाला है उसको रिकान्स्टिट्यूट कर दिया है। अब हमारे यहां कोई नोमीनेशन करने की बात नहीं होगी उसको मैं प्रेस नहीं करता हूं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : वह एमेंडमेंट आप वापिस ले लें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नोमीनेशन का प्रोविज़न नहीं रखा है तो इसको प्रेस करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : सिर्फ दूसरे वाला रखते हैं।

Page No.48

श्री भैरोंसिंह)

एक क्लॉज़ कोऑप्शन का रखा है उसके लिए the word 'appointment' has been used. जब क्लॉज़ ६ में एमेंडमेंट मूव किया गया है एपॉइन्टेड बाई कोऑप्शन तो एपॉइन्टेड तो फिर भी उसमें आयेगा। आप देख लें उसमें कोई कमी न रह जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसमें एपॉइन्टमेंट बाई कोऑप्शन उसके लिए यह है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : It is there in the sub-clause (5) of the amendment that you have moved to clause 9. "To every board there shall be appointed by co-option in the manner provided for by order published in the official gazette."

So there can be appointment by co-option also.

श्री भैरोंसिंह : 'एपॉइन्टमेंट' वर्ड उसमें रहेगा इस हिसाब से ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसको रहने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि दो संशोधन मंत्री महोदय ने रखे हैं उनको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

दोनों संशोधन स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ २६१ को स्वीकार किया जाय।

'हां' पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह : 'ना' पक्ष जीता।

कुछ माननीय सदस्य : 'ना' पक्ष जीता।

(विभाजन घंटी)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ २६१ को स्वीकार किया जाय ? जो इसके पक्ष में हैं वे 'हां' कहें और जो विपक्ष में हैं वे 'ना' कहें।

'हां' पक्ष जीता।

कुछ माननीय सदस्य : 'ना' पक्ष जीता।

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : खड़े करवा कर गिनती कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष : 'हां' पक्ष वाले 'हां' पक्ष की लॉबी में जायेंगे 'ना' पक्ष वाले 'ना' पक्ष की लॉबी में जायेंगे।

विभाजन के अनुसार निम्नलिखित सदस्य हैं।

श्री अमरा मीना रावत
श्री अमृतलाल पायक
श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
डॉ० बहादुरसिंह
श्री भैरवलाल 'काला बादल'
श्री भीमसेन
श्री भोलानाथ
डॉक्टर चन्द्रकला
श्री चुन्नीलाल

(श्री अध्यक्ष)

श्री देवा गिरासिया
श्री धन्नालाल हरित
श्री धर्मपाल पंवार
श्रीमती गौरीपूनिया
श्री गोकुलचन्द जाटव
श्री गुलाबसिंह
श्री ज्ञानचन्द मोदी
श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री
श्री जयसिंह रानावत
श्री जनार्दनराय नागर
श्री जेटमल बरवाड़
श्री किशनलाल शाह
श्री किशनसिंह बाटड़
श्री लालूराम टटवाड़िया
श्री महादेव प्रसाद बंका
श्री मांगीलाल
श्री मूलचन्द डागा
श्री नाथूराम
श्री नाथूराम मिर्धा
श्री निरंजन नाथ आचार्य
श्री परसराम मदेरना
श्रीमती प्रभा मिश्रा
श्री रामचन्द्र
श्री रामदान चौधरी
श्री शंकरलाल
श्री शिवनाथसिंह
श्री सोहनलाल भटनागर
श्री श्रीमानसिंह
श्री सुगनचन्द जैन
श्रीमती सुमित्रा
श्री तेजमल बापना

'ना' पक्ष

श्री अनोपसिंह
श्री बालमुकुन्द
श्री भैरोंसिंह (खाचरियाबास)
श्री दयाकृष्ण विजय
श्री गिरधारीलाल
श्री हीराभाई
श्री जगदीशप्रसाद माथुर
श्री कालूराम
श्री लादूराम सुलाणिया
श्री लक्ष्मीचन्द
श्री मोहरसिंह
श्री मुरलीधर व्यास
राव बहादुर रावल श्री नरेन्द्रसिंह
श्री पृथ्वीराज
ठाकुर श्री रघुवीरसिंह
श्री रिद्धिचन्द
श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
श्री श्रीराम बासोतिया
श्री वीरका
श्री बेनाराम गहलोत

श्री अध्यक्ष : 'हां' पक्ष में ४० मत और 'ना' पक्ष में २० मत। प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

(तालियां)

(संशोधित क्लॉज़ २६१ विधेयक का अंग बना।

अब क्लॉज़ ६ पर विचार होगा।

Page No.50

(श्री अध्यक्ष)

क्लॉज़ ६ व उससे जो सम्बन्धित क्लॉज़ हैं, उन पर मन्त्री महोदय की ओर से संशोधन प्रस्तुत किये जायेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : ६ 'ए' और है, इसको मूव कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : ६ और ६ 'ए' भी रखा हुआ है, इन दोनों को साथ ले लेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, लिस्ट नम्बर १० में जो अमेंडमेंट मैंने मूव किये हैं, उसमें इस क्लॉज़ ६ को, जिसका समावेश हमारे बिल में था, उसको री-ड्राफ्ट करके मैंने पेश किया है।

संशोधन इस प्रकार हैं:—

Clause 9.

For the existing clause, substitute the following:—

'9. Composition of boards. (1) Subject to the provision contained in the succeeding sub-sections, every board shall consist of such number of seats as may be fixed by the state Government from time to time by notification in the Official Gazette.

(2) In so fixing the total number of seats for a board, the state Government shall specify the number respectively of general seats and of seats reserved for members of the scheduled castes or for members of the scheduled tribes or for both as the State Government may in each case determine.

(3) The number of seats reserved as aforesaid shall in relation to the total number of seats fixed for a board, bear the same proportion as the population of the scheduled castes and scheduled tribes in the municipality bears to the total population thereof and such reservation shall be operative until the provisions of the Constitution relating to the reservation of seats for scheduled castes and scheduled tribes in the State legislative Assembly ceases to have effect.

(4) All the seats fixed for a board, general as well as reserved, shall be filled up by election held in the manner provided for by and in the order made under section 27.

(5) To every board there shall be appointed by co-option in the manner provided for by order published in the Official Gazette,—

(i) two persons belonging to the female sex if no such person has been returned to the board by election referred to in sub-section (4), or (ii) one person belonging to the female sex if only one such person has been returned to the board by such election, such co-opted person or persons being treated for all purposes of this Act as elected member or members of the board, and the number of seats fixed for that board under sub-section (i) being deemed to be increased accordingly.

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

Clause 9 A

2. After clause 9 insert the following new clause:-"9 A Composition of boards in certain exceptional cases:—

(1) Notwithstanding anything contained in section 9, in a municipality not being a city which is a hill-station or to which owing to the smallness thereof or the backward state or indifference of its inhabitants or for other similar exceptional reason, the state Government may, by notification in the Official Gazette, apply the provisions of this section, the Board shall consist of Members, partly elected and partly nominated, or, or the State Government may determine, wholly of nominated members and such nominated members shall be appointed by the State Government in such manner and subject to such conditions as it shall think fit to prescribe.

(2) It will be competent for the State Government at any time to alter or rescind any notification issued by it under sub-section (1) and, in the event of any such notification being rescinded, the Board affected thereby shall, from a date to be fixed in this behalf by the State Government be constituted in accordance with section 9.]

१.३०.म०प०

श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन

उपाध्यक्ष महोदय, री–ड्राफ्टेड क्लॉज़ ६ है उसमें दो बातें हैं, जिनका समावेश हुआ है, एक बात तो यह कि शिड्यूल्ड कॉस्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के सदस्यों का अब तक नोमीनेशन होता था, अब नोमीनेशन के बजाय उनकी रिज़र्व सीट्स हो गई हैं और जिस तरह से विधान सभा के चुनाव में उनकी रिज़र्व सीट्स हमने रखी हुई हैं, उसी प्रकार म्युनिसिपल बोर्ड में भी उनको आबादी के लिहाज़ से उनको चुनाव लड़ने का मौका प्राप्त होगा और चुनाव में जो लोग आ जायेंगे, वे म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्य माने जायेंगे, नोमीनेशन का सवाल अब नहीं होगा।

दूसरी बात यह थी कि मौजूदा जो परिस्थिति है और मौजूदा जो कानून है, उसके मुताबिक हम महिलाओं का नोमीनेशन करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह नोमीनेशन का प्रावधान रखा जाय या महिलाओं के लिए दूसरा प्रावधान रखा जाय। उस बारे में विचार करके जहां तक रिज़र्व सीट्स का सवाल है, वह महिलाओं के लिए हो नहीं सकता क्योंकि आबादी के लिहाज़ से महिलाओं की सीट्स रिजर्व हो जायं तो बोर्ड की आधी सीट्स हो जायंगी और एक मुश्किल हो जायगी। लेकिन फिर भी इस बात पर विचार किया गया कि महिलाओं का क्या हो? तो उसके लिए यह उपाय नजर आया कि नोमीनेशन यदि नहीं रखना है तो महिलाओं के लिए सिवाय इसके और कोई रास्ता नहीं हो सकता कि जब बोर्ड के चुनाव हो जायं, उसके बाद महिलाओं का कोऑप्शन करा करें। उसके लिए प्रावधान रखा गया है। अगर बोर्ड में लेडी मेम्बर चुनकर नहीं आयें तो दो सदस्याओं का कोऑप्शन कर

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

सकेंगे। यदि एक लेडी मेम्बर आ गई तो एक का कोऑप्शन होगा और अगर दो आ गई तो किसी का नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि यह रीज़नेबल बात है।. इसके अलावा जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के रिजर्वेशन के लिए प्रावधान रखा है, वह उस समय तक रहेगा जब तक कि भारत के संविधान में प्रावधान मौजूद है। मैं समझता हूँ कि जो भेदभाव हरिजनों और सवर्णों के बीच बना रखा है, वह भेदभाव भारत के संविधान में खत्म हो जायगा, तो म्युनिसिपैलिटीज़ के कानून में भी खत्म हो जायगा। इस विचार को सामने रख कर प्रोविज़ो रखा गया है कि विधान के साथ ही साथ यह रिज़र्वेशन का प्रोविज़न खत्म हो जायगा।

अब इसके अलावा ६ ए क्लॉज़ का अमेंडमेंट और पेश किया है वह यह है हिल स्टेशन के लिए है। हमारे यहां एक ही हिल स्टेशन है, वहां पर दो तीन महीने ज्यादा आबादी होती है और उस समय जो ज्यादा खर्चा होता है, वह गवर्नमेंट को करना होता है। वहां म्युनिसिपल बोर्ड में इलेक्टेड और नोमीनेटेड सुविधा के अनुसार चलेंगे। इस प्रकार का प्रावधान बम्बई में भी मौजूद था। हमारे यहां सिर्फ आबू है, उसके लिए प्रावधान किया गया है।

मैं समझता हूँ कि दफ़ा ६ में जो अमेंडमेंट रखा है, वह एक डेमोक्रेटिक कदम है और सदन के माननीय सदस्य इसे, जैसा यह है, उसी हालत में स्वीकार करेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी): आपने फर्माया कि रिजर्व सीट्स इस प्रकार से रहेंगी और जैसा कि असेम्बली के लिए सीट्स रिजर्व होती हैं, उनके लिए डबल मेम्बर कॉन्स्टिट्युएन्सी रहती है, उसी तरह रहेगी हमारे बोर्ड में या बोर्ड में रिजर्व सीट्स रह जायंगी, वहां दूसरा कोई खड़ा नहीं हो सकेगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: मैं अर्ज करूं कि इस बात पर विचार किया कि सिंगल और डबल मेम्बर कॉन्स्टिट्युएन्सी के सम्बन्ध में विचार किया। सिंगल मेम्बर कॉन्स्टिट्युएन्सी डिमार्केट हरिजनों के लिए कर देना उचित नहीं होगा, इसलिए डबल मेम्बर कॉन्स्टीट्युएन्सी, जैसा हमारे यहां आम तौर पर हैं, उसी तरह डबल मेम्बर कॉन्स्टिट्युएन्सी बनाने के लिए रखा गया है। इसमें आप देखेंगे कि ऐसे क्लॉजेज़ १२, १३, २३, २६ थे, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का नाम निकाल दिया गया है और डबल मेम्बर कॉन्स्टिट्युएन्सी का प्रावधान रखा गया है। डबल मेम्बर कॉन्स्टिट्युएन्सी में सबको मौका मिलता है और सिंगल मेम्बर कॉन्स्टिट्युएन्सी बना देते हैं तो जो शिड्यूल्ड कास्ट्स हैं उनको ही रिजर्व सीट्स के लिए खड़े होने का मौका मिलता है, बाकी के जो लोग हैं उनको उनका फन्डामेन्टल राइट नहीं मिलता है। इसलिए डबल मेम्बर कॉन्स्टिट्युएन्सी का प्रावधान रखा गया है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री महोदय ने सदन में प्रस्तुत किया है, उसके लिए मैं, उपाध्यक्ष महोदय, उन्हें निश्चित रूप से बधाई दूंगा....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : किन्तु ?

श्री भैरोंसिंह : आखिर डेमोक्रेसी ने कई माननीय सदस्यों की एकांकी मनोवृत्ति के ऊपर विजय प्राप्त की है । इस विजय में माननीय मंत्री महोदय का जिस प्रकार का सहयोग रहा है, मैं ऐसा समझता हूँ कि सदन उस सहयोग को नहीं भूल सकता है । प्रश्न यह आता है कि जिस प्रकार का क्लॉज ७ है या क्लॉज़ में जिस प्रकार का संशोधन पेश किया गया है । वह उसी प्रकार स्वीकार किया जाय या उसमें भी कुछ संशोधन की आवश्यकता है । जहां तक इसके मूल सिद्धान्त का प्रश्न है कि किसी भी नगरपालिका में नामजद सदस्य नहीं लिए जायेंगे । इस भावना का विरोध करने वाला सदस्य, मैं ऐसी आशा करता हूँ, आज विधान सभा में नहीं है । तो उस पर अब किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है । अब इसमें दो प्रश्न आते हैं कि नामजदगी के मसले को हमने जिस प्रकार से तय किया है, या इसका जो फोर्मुला हमने सबस्टीट्यूट किया है वह फोर्मुला कितना न्याय संगत, न्याय संगत नहीं कहना चाहिये, कितना व्यवहार संगत है, अगर इस प्रकार की बात, मैं कहूँ तो ज्यादा अच्छा होगा । सरकार ने व्यवस्था की है रिजर्व सीट्स के लिए । नामजदगी के मुकाबले में अगर इस व्यवस्था की तुलना की जाय तो निश्चित रूप से यह कहा जायगा कि यह व्यवस्था बहुत ही उचित है लेकिन नगरपालिका की संख्या निर्धारित करने में जो फोर्मुला एप्लाइ किया गया है वह मैं समझता हूं फ्लेक्सीबल है....

फ्लेक्सीबल किस प्रकार से होगा, सरकार किसी नगरपालिका की संख्या निश्चित करेगी, संख्या निश्चित करने में रिजर्व सीट्स कितनी होंगी इसका आधार सरकार ने माना है कि उस नगरपालिका के क्षेत्र में जितनी जन संख्या पर सदस्यों की संख्या है । उसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स शिड्यूल्ड ट्राइब्स की कितनी जन संख्या है । उसके आधार पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेन्शन होगा । जितना प्रोपोर्शन आता है उसके आधार पर रिजर्व सीट्स की संख्या फिक्स की जायगी । मैं समझता हूं इस फोर्मुला का इस स्थान पर विरोध किया जाय तो उचित नहीं होगा हालांकि इसमें भी इस प्रकार की बात है कि हम उस आधार पर नगरपालिका में रिजर्वेशन को महत्व नहीं दे सकते । आज इस बात से कोई इन्कार नहीं करता, स्वयं हरिजन भी इन्कार नहीं करते कि उनको आज साधारण समाज में आना है, उनको शनैः शनैः अपनी इस प्रकार की स्थिति बनानी है कि सरकार यदि रिजर्वेशन की बात को छोड़ दे तो वे अपने आप इतने सशक्त हो जायं कि इलेक्शन में अपने चुनाव क्षेत्र में खड़े हो कर विजय प्राप्त कर सकते हैं । यहां इस प्रकार की व्यवस्था करके आपने उनके दिमाग में इस प्रकार का कम्पलेक्शन पैदा कर दिया कि एक शिड्यूल्ड कास्ट का या शिड्यूल्ड ट्राइब्स का व्यक्ति रिजर्व सीट से इलेक्शन कन्टेस्ट करे यदि इस प्रकार का कम्प्लेक्शन उनके दिमाग में बना रहा तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आज जिस चीज़ को हम दूर करना चाहते हैं वह दूर नहीं हो कर, उनके दिमाग में घर करती जायेगी ।

आज ऐसी स्थिति नहीं है कि शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब का व्यक्ति इन्डि-

(श्री भैरोंसिंह)

पेन्डेन्टली खड़ा हो कर अच्छी पोज़िशन में जीत कर आ सकता हो, इस चीज को रिप्रे-जेन्टेशन के द्वारा पूरा कर लिया है। इस चीज़ से कोई इन्कार नहीं करता कि नगरपालिकाओं में शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स का रिप्रजेन्टेशन होना चाहिये। पर प्रश्न यह है कि रिप्रेजेन्ट कितना होना चाहिये, एक आदमी भी रिप्रेजेन्ट कर सकता है, दो भी रिप्रेजेन्ट कर सकते हैं और तीन भी कर सकते हैं। पर संख्या कितनी होनी चाहिये? तीन हरिजनों की जयपुर नगरपालिका में आवश्यकता है पर तीन कैसे आ सकते हैं तो सीधा तरीका तो यह है कि चुनाव जीत कर आयें पर हम यह जानते हैं कि चुनाव जीत कर तो नहीं आ सकते तो इस प्रकार की व्यवस्था की जाय, कि दो तो इस प्रकार रिजर्वेशन से आ जायं और एक चुनाव जीत कर आ जाये, यदि सब रिजर्वेशन से आये तो फिर वे चुनाव जीतने की कोशिश नहीं करेंगे। वह संख्या भी इस ढ़ंग से निर्धारित की जाय कि जितनी उनकी पोपुलेशन है। उसके आधार पर कुल पोपुलेशन के आधार पर रिप्रेजेन्टेशन हो। इससे उनके दिमाग में रिजर्व सीट की बात नहीं रहेगी, एक सीट सरकार रिजर्व कर दे। इससे यह होगा कि हरिजनों का रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिये वह हो जायगा, बाकी जितना रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिये वह चुनाव जीत कर आयेंगे वे करेंगे। इससे जो रिप्रेजेन्टेशन की बात चाहते हैं, उनके लिये भी अच्छी बात होगी। आज समाज में इस प्रकार की बात सुनने में आती है कि अगले चुनावों में रिजर्वेशन की प्रथा तोड़ दी जाय तो उस कठिनाई का सामना करने के लिये, उनको ऐसी आदत बनानी चाहिये कि वे चुनाव जीत कर उचित रिप्रेजेन्टेशन नगरपालिका में कर सकें।

दूसरा प्रश्न महिलाओं का है, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री ने महिला समाज पर कृपा तो नहीं की, ऐसा कहना चाहिये पर ध्यान दिया है, पर ध्यान देने में अधिक ध्यान दिया है, ऐसी बात मुझे लगती है। उन्होंने रखा है, आज तक जितनी नगरपालिकाएं थीं उनमें एक महिला को नामज़द करने की व्यवस्था है, सन् १६३६ से १६५६ तक २० वर्षों के अर्से में इस प्रकार की व्यवस्था रही है, उस समय महिलाएं पढ़ी लिखी भी नहीं थीं, सभाओं में आकर भाषण नहीं देती थीं, महिलाएं सरकारी नौकरियों में भी नहीं थीं, सरकार समझती थी कि एक महिला के नगरपालिका में होने से नगरपालिका में महिलाओं का रिप्रेजेन्टेशन हो सकता है, तो जिस समय महिलाएं ज्यादा पिछड़ी हुई थीं उस अर्से में एक महिला को नगरपालिका में रख कर महिलाओं के रिप्रेजेन्टेशन के लिये काफ़ी समझा तो क्या १६५६ में जब कि हम इस बात का दावा करते हैं कि हमने महिला समाज को उन्नत बनाया है महिलाएं सभाओं में जा कर भाषण देती हैं, महिलाएं चुनाव लड़ कर नगरपालिकाओं, विधान सभाओं और पार्लियामेन्ट तक में जा सकती हैं वहां महिलाओं के रिप्रेजेन्टेशन के लिये पहले से अधिक व्यवस्था की है। कुछ परिस्थितियों के कारण और इस कारण कि नगरपा-लिकाओं का जो क्षेत्र है। वह एक छोटा सा चुनाव क्षेत्र है, कोई महिला मान लिया जाय चुनाव नहीं लड़े और चुनाव लड़ कर भी एक भी महिला चुनाव में विजयी नहीं हो सके तो इस प्रकार नगरपालिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व ही नहीं रहे। इस

(श्री भैरोंसिंह)

लिये महिलाओं के प्रतिनिधित्व करने के लिये व्यवस्था करना आवश्यक है। कितना प्रतिनिधित्व हो इस पर विचार किया जाय तो ३६ से ५६ तक जो व्यवस्था थी कि एक महिला अच्छी तरह महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर सकती है, उसी बात को स्वीकार कर लेते तो उचित बात ही थी, कोऑप्शन के ज़रिये एक महिला की संख्या काफ़ी है । मैं यह नहीं कहता कि एक महिला से ज्यादा नगरपालिका में नहीं आ सकती। चुनाव के आधार पर चुनाव जीत कर सारी की सारी महिलाएं ही आ जायं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, महिलाओं में से ही अध्यक्ष हों इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं पर इस सारी स्थिति में इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि आज भी क्या इस बात की आवश्यकता है कि एक दो सीट महिलाओं के लिये जरूर रिजर्व रखी जायं। जो कोऑप्शन के ज़रिये उनका एपॉइन्मेन्ट होगा तो वहां नगरपालिका की संख्या की फ्लेक्सिबिलिटी का प्रश्न आता है। इसमें रखा है कि एक महिला जीत गई तो एक महिला को नामजद किया जायगा, एक भी महिला चुनाव में नहीं आये तो दो को नामजद किया जायगा और अगर चुनाव में जीत कर दो महिलाएं आ गईं तो एक को भी नामजद नहीं किया जायगा।

तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारी नगरपालिकाओं की संख्या फ्लेक्सिबल है । गजट में नोटिफिकेशन हो गया कि ८ सदस्यों की नगरपालिका होगी, उसमें सरकार यह निश्चित नहीं कर सकती कि नामज़दगी से एक महिला को लिया जायगा या दो महिलाओं को लेने की आवश्यकता पड़ेगी। ८ सदस्यों के चुनाव का गजट में नोटिफिकेशन निकाल दिया अब यदि बदकिस्मती से एक भी महिला जीत कर नहीं आई तो बोर्ड के सदस्यों की संख्या ६ हो जायगी, और यदि एक चुनकर आई तो बोर्ड के सदस्यों की संख्या ६ हो जायगी, और यदि चुनाव में दो महिलाएं या इससे ज्यादा महिलाएं चुन कर आ गईं, तो बोर्ड के सदस्यों की संख्या ८ ही रहेगी । महिलाओं को सुविधा मिले इस पर आपत्ति नहीं, पर इससे अड़चन पैदा हो सकती है, नगरपालिकाओं के वर्किंग में अड़चन पैदा हो सकती है कानूनी अड़चन पैदा हो सकती है । जहां तक रिजर्व सीट का रखा है उसमें हमको एक दृष्टिकोण को अपनाना पड़ेगा कि कम से कम एक व्यक्ति उस तबके का जिसको हम रिप्रेजेन्टेशन देना चाहते हैं। नगरपालिका में पहुँच जाय, यदि चुनाव जीत कर नहीं पहुँच सके तो रिजर्व सीट रख कर हम उनको रिप्रेजेन्टेशन का मौका दें । अगर इन तबकों के लोग जिनको कि हम रिप्रेजेन्टेशन देना चाहते हैं, चुनाव में जीत कर छः, सात या आठ की संख्या में पहुँच जायं तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं, इसी तरह की व्यवस्था में महिलाओं के बारे भी चाहूंगा, नामजदगी के बारे में मैं यह चाहूंगा कि एक महिला को कोऑप्ट किया जाय । और शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये रिजर्व्ड सीट का जहां सवाल है, वहां उनके लिये एक सीट रिजर्व रखी जाये, बस ये दो नम्बर काफ़ी हैं। इससे ज्यादा हो तो वह थोड़ा सा अनुचित होगा । यू० पी० में कोऑप्शन का प्रश्न रखा है पर बोर्ड की मर्जी पर रखा है, एल्डरली मैन पर रखा है, बोर्ड की मर्ज़ी पर रखा है। परन्तु हमने यह संख्या निर्धारित की है। मैं समझता हूं कि

Page No.56

(श्री भैरोंसिंह)

संख्या निर्धारित करने और नम्बर बढ़ाने में कई प्रकार की आपत्तियें हो सकती हैं। आज कोई छोटी सी म्युनिसिपैलिटी है। आज भी माधोपुर की म्युनिसिपैलिटी है उसमें ८ मेम्बर हैं। उसमें एक महिला अगर चुन कर नहीं आवेगी तो आप दो महिलाओं को नोमीनेट करेंगे और एक सीट रिजर्व तय हुई है। इसलिये उसकी कुल संख्या हो गई ११। ८ मेम्बरों की म्युनिसिपैलिटी में ११ सदस्य होंगे। इसमें से आपके तीन नोमीनेटेड मेम्बर होंगे। एक बोर्ड जिसकी संख्या ११ हो गई उसमें से १।३ व्यक्ति यानि ३ तो आपके नोमीनेटेड होंगे। यदि एक बोर्ड जिसमें ११ सदस्य हों और उसमें एक तिहाई सदस्य आपके नोमीनेटेड हो या कोऑप्टेड हो या प्रिविलेज़्ड हो तो यह क्या उचित होगा डेमोक्रेसी में इस प्रकार नॉमिनेटेड, या कोऑप्टेड या प्रिविलेज्ड व्यक्तियों को रखना। अगर आप इस तरह से करेंगे तो जो व्यवस्था डेमोक्रेसी में आप लाना चाहते हैं वह नहीं ला सकेंगे और उसमें कमी ही महसूस होगी। इसलिये मैं माननीय मन्त्री महोदय को आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार की कृपा आपने महिलाओं के साथ की है, मैं उनकी इस कृपा के साथ किसी प्रकार का द्वेष या जलन रखने वाला नहीं हूँ परन्तु मैं यह निवेदन करूंगा कि उनको भी जनरल सीट पर कोन्टेस्ट करने के लिये या लड़ने के लिये मौका दिया जाना चाहिये और उनके लिये भी प्रचार होना चाहिये और प्रावधान हो ताकि वे भी सक्रिय होकर अपना काम करें। हमें उनको भी एक प्रकार का काम करने का मौका देना चाहिये और स्ट्रेंक्शन देना चाहिये। यदि हमने उनको कुछ स्ट्रेंक्शन देकर उनको फिल्ड में लाने का प्रयास नहीं किया तो उनके लिये कोई फ़ायदा नहीं होगा। यदि हमने उनके लिये रिजर्व सीट रखी तो मैं समझता हूँ कि वे अवश्य आगे आवेंगे। हरिजन और महिलाएं आगे आवेंगे और एक एक नम्बर जो आपने नोमीनेशन का रखा है उसके लिये सारी दिक्कत दूर हो जावेगी। इतना सब कुछ करते हुए भी माननीय मन्त्री महोदय ने जो संशोधन पेश किया है और उसमें नामज़दगी के बजाय रिज़र्वेशन रखा है उसके लिये धन्यवाद देता हूँ और उसके साथ साथ मैं अपने दो संशोधनों को भी पेश करता हूं।

(श्री गोकुलचन्द के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): इस पर माननीय सदस्य का कौनसा संशोधन है।

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन नहीं है विचार है।

(श्री रामचन्द्र के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री रामचन्द्रजी अपना स्थान ग्रहण करें।

(श्री गोकुलचन्द से, आप बोलें)

श्री गोकुलचन्द जाटव (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने म्युनिसिपल एक्ट में जो माननीय मंत्री महोदय ने अपनी तरफ से संशोधन प्रस्तुत किये

(श्री गोकुलचन्द जाटव)

हैं उसमें अपने विचार व्यक्त किये हैं और माननीय मंत्री महोदय ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने बहुत पवित्र भावना का प्रदर्शन किया है कि हरिजनों को इस तरह का रिप्रेजेन्टेशन देना उनको अनुत्साहित करना है। वास्तव में बात तो बहुत बढ़िया है और ऊंचे विचार है। मैं उनकी भावना का आदर करता हूं पर वास्तव में अभी तक का जो इतिहास हमारे सामने है। उसको देखते हैं तो मालूम होता है कि कितने ही साम्राज्य यहां हुए हैं। कितने ही राजाओं के राज्य हुए, लेकिन कभी किसी भी राज्य में इस तरह का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि हरिजनों को किसी ने जागीरें बख्शी हों या उनके कमाई के साधन बढ़ाये हों या सरकारी सर्विसेज़ में उनको रखा गया हो और उनके लिये कोई प्रावधान रखा गया हो। इस प्रकार का पिछला इतिहास देखते हैं तो हमें मानना पड़ता है कि अगर इसी तरह की व्यवस्था नहीं रखी गई, तो कोई हरिजनों की हैसियत बढ़ने वाली नहीं है और न उनको कुछ मिलने वाला है। मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि यही व्यवस्था रखी जानी चाहिये। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय सब ने मिल कर स्वतन्त्रा की लड़ाई लड़ी और विदेशी सरकार को उन्होंने हटाया। अब प्रश्न यह रहता है कि किस प्रकार शासन की व्यवस्था की जावे। हां यह जरूर कहा जा सकता है कि छूआछूत जो उनके साथ पहले चलती थी वह कम हो गई है लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि शिड्यूल्ड कास्ट के साथ बरती जाने वाली असमानताऐं बिल्कुल समाप्त हो गई हैं और उनके साथ कोई ऊंच नीच का व्यवहार नहीं होता ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिये ऐसी परिस्थिति में यह जरूरी है। माननीय सदस्य ने जो किसी दल विशेष से सम्बन्ध रखते हैं बराबर हरिजनों के संवृद्धि की बात कहते रहते हैं। लेकिन यह भी देखा कि उन्होंने हरिजनों को काका कह दिया या दादा कह दिया है इससे ज्यादा क्या उनके लिये किया या उनको क्या दिया यह कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि आज की हालत मे उन्होंने उनके लिये क्या किया, मैं समझता हूं कि कुछ नही किया, कि कहीं कोई हरिजन दूध मलाई और मिठाई की दूकान खोले। अपने साथी जो उनके साथ बैठे हैं कितनी बार उनके साथ खाना पीना करते हैं। इसलिये मैं यह कहूंगा कि अब भी वे बातें नहीं गई हैं। यह तो एक उनको पीछे धक्का मारने की बात है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह चीज़ भारतीय संविधान में जब तक है तब तक टीक है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी इसकी मियाद बढ़ेगी। इस बात को विधान सभा के और पार्लियामेंट के सदस्य मानते हैं कि हरिजनों की हालत में सुधार ज़रूर हुआ है मगर इतना नहीं हुआ है जितना आप कहते हैं। मेरा कहना है कि यह रिज़र्वेशन जरूर रहना चाहिये। पिछली हालत याद आती है तो हमें दुःख होता है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि हमारे बाप की मिलकियत है और इसमें हमारा भी हिस्सा है और वह हमें मिलना चाहिये।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, म्युनिसिपैलिटी की क्लॉज़ ९ में माननीय मंत्री की ओर से जो संशोधन पेश किया गया है उसके लिये मैं यह प्रकट करना उचित समझता हूं कि यह संशोधन जो मान-

(श्री रामचन्द्र)

नीय मंत्री महोदय ने रखा है वास्तव में इस बात को साबित करता है और सबूत देता है कि राजस्थान सरकार शनैः शनैः अपने कर्त्तव्य को पूरा करने में कितनी कामयाब हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, आज से १० वर्षों पहले जब कि यह रिज़र्वेशन हरिजनों के लिये रखा गया उस वक्त यह प्रश्न आया कि म्युनिसिपैलिटी में हरिज़नों के लिये क्या रिप्रिजेन्टेशन का तरीका है। उस वक्त आम तौर से राय हुई कि आज हरिज़नों की अवस्था ऐसी है कि उनको यदि रिजर्वेशन के आधार पर सीट देकर चुनाव लड़ाया जावे तो म्युनिसिपैलिटी में ये लोग नहीं आ सकेंगे इसलिये यह मुनासिब समझा गया कि नोमीनेशन के आधार पर ही उनका प्रतिनिधित्व रखा जाए। लेकिन साथ ही साथ सरकार इस बात के लिये जागरूक थी कि शनैः शनैः उसमें सुधार किया जावे और इसके बाद सरकार इसमें लगी रही। आज १० वर्ष के बाद उस प्रणाली में परिवर्तन किया गया है कि रिज़र्व सीट लेकर चुनाव लड़ाया जावे। इसमें साफ़ तौर से प्रकट है कि आज हरिजन समाज इतना दयनीय दशा में नहीं है और निश्चय रूप से उनके सुधार में प्रगति हुई है। इसलिये आज नोमीनेशन के बजाय रिज़र्वेशन रख कर चुनाव का संशोधन पेश किया है। वह वास्तव में बड़े गर्व की बात है और इसके लिये मैं माननीय मंत्री महोदय को और राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं।

(हर्षोल्लास)

दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि इसमें हमारे में वह परिवर्तन होने वाला है कि अब तक हम लोग अयोग्य समझे जाते थे और इसके कारण बिना चुनाव लड़े ही हमें म्युनिसिपैलिटी में प्रतिनिधित्व दिया जाता था।

२. म० प०

लेकिन इस तरह यह हमारे ऊपर एक प्रकार का कलंक था, हममें एक प्रकार की कमज़ोरी की भावना बनी हुई आ रही थी कि हम लोग निष्क्रिय है, हमारे में इतनी शक्ति नहीं है कि हम पब्लिक में खड़े होकर चुनाव लड़ सकें। इसलिए हमारे में एक प्रकार की इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स घर कर गई थी वह इस संशोधन के द्वारा दूर हो जायगी अब हम आम जनता के सामने खड़े होकर कह सकते हैं कि अब हम इतने कमजोर नहीं रहे हैं जितने १० वर्ष पहले थे। अब सुरक्षित आम सीट पर हम इलेक्शन लड़ सकते हैं यह हमारे जीवन में एक नवीन बात होगी। रिज़र्वेशन जैसा कि भारत सरकार ने दिया है वह केवल दसवर्ष का है। यह करीब करीब खत्म होने वाले है और सन् ६० में, जैसी आवाज़ आ रही है कि यह रिज़र्वेशन समाप्त हो जावेगा जब रिज़र्वेशन समाप्त होगा तब हम लोगों को मैदान में आकर आम जनता के साथ जनरल इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, तो इस लड़ाई के वास्ते अर्थात् इस अहम काम का मुकाबला करने के लिए अब हमारी यह कोशिश होगी कि हम आम जनता के मुकाबले जनरल सीट के लिए इलेक्शन लड़ सकें। इसलिए अब यह आवश्यक समझा गया है कि भविष्य में किसी व्यक्ति विशेष की मर्ज़ी पर हम हमारा नोमीनेशन न रख कर हमारे लिये सीटों का रिज़र्वेशन कराया जाय और जैसे आम तौर पर रिज़र्व सीटों पर इलेक्शन होते हैं। उसी तरह म्युनिसिपैलिटी

(श्री रामचन्द्र)

के चुनाव में इलेक्शन लड़ाया जाय यह भी एक अच्छी भावना है, यह एक तरह की हमारे लिए ट्रेनिंग है। जिसको हम कर, यदि कामयाब हो गये तो आयन्दा जनरल इलेक्शन में चुनाव लड़ने के लिए हम काफी मजबूत जावेंगे। इसलिए सरकार ने हर तरह से इस मसले पर विचार करके हरिजनों के वास्ते पोपुलेशन बेसिस पर रख कर चुनाव लड़ने के लिए जो संशोधन रखा है। उसके लिए पुन: राजस्थान सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं और इस संशोधन को मैं पूर्ण रूप से सपोर्ट करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी) : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने क्लॉज़ ६ में जो संशोधन रखा हैं जहां तक इसके समर्थन का सम्बन्ध है मैं समझता हूँ कि सब ही माननीय सदस्य उसका स्वागत करेंगे। ऐसा भी अवसर होता है कि जब कुछ क्लॉज़ें रखी जाती हैं तो रखने के बाद उसमें क्या परिवर्तन होंगे, खामियां रहेंगी और उनको दूर कैसे किया जा सकता है, उन क्लॉज़ों से क्या लाभ हुआ है, क्या दिक्कतें हैं और कमियां हैं, उनके बारे में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं।

जहां तक नामजद करने का सवाल था सरकार ने अधिकार रखा था और उसके अनुसार सरकार अपनी इच्छानुसार किसी को भी नामज़द करती थी और उसमें जो भी पिछड़े वर्ग के लोग थे। जिनके राइट्स को रिज़र्व करना चाहती थी तो, उसमें वे लोग नामज़द होते थे और सरकार के द्वारा उनके राइटस रिजर्व रखे जाते थे। फिर भी सबसे बड़ी खराबी थी वह यह थी कि यह दूसरों की मर्ज़ी पर था। वे गुलाम थे आज़ाद नहीं थे। गुलामी को दूर करने के लिए इसमें से वह क्लॉज़ हटा कर यह संशोधन रखा है कि रिजर्व सीट पर चुन कर आ सकते हैं। यह उन लोगों को आज़ादी मिली है। एक सम्मानीय सदस्य ने बात रखी कि रिजर्व सीट रहनी चाहिये। वो रिजर्व सीट तो रहेगी लेकिन गुलामी के तौर पर नहीं, दूसरों की मर्जी पर नहीं, जो गुलामी करेंगे, या उनके पास जावेंगे, लोगों की ओर से सिफारिशें जावेंगी ऐसो को नामज़दगी सरकार कर देगी। यह एक अच्छा तरीका नहीं था, बुरा था। यहां तक गुलाम बनाया जाता था लोगों को कि बोर्ड में बुरे दृष्टिकोण से सोचने वाले लोग थे। इस प्रकार नाम बेच कर, दुरुपयोग करते थे उनके नाम का। वे लोग अनपढ़ हैं, अज्ञानी हैं, वे लोग उन लोगों का फायदा उठाते थे और इसीलिए उन लोगों को अपनी तरफ रखते थे कि जिससे वे उनके वोट का फायदा उठा सकें। यह एक सबसे बड़ी बुराई थी उस कानून में। आज वह टूट गई है। रिज़र्व सीट पर सदस्य हैं वे रखे गये हैं। जो अपना नाम तक नहीं लिख सकते उनको म्युनिसिपल बोर्ड का प्रेसिडेन्ट नामजद करावें क्योंकि यह मेरी मर्ज़ी के अनुसार काम करेंगे तथा उसका लाभ वे लोग उठा देते थे। एक आदमी जो बोर्ड में पॉवर में इस प्रकार होता था। लेकिन उसको गुलाम बनाकर रखते थे और उसका फायदा वे लोग उठाते थे, गवर्नमेंट नामजद करती थी। इस तरह का जो दृष्टिकोण था वह हट गया है। यह एक बड़ी चीज़ हॉसिल हुई। हरिजनों के लिए खास कर रिजर्व्ड सीट थी, अपने मौहल्लों वे चुन कर आते थे और दूसरों के भी, इस तरह से

(श्री मुरलीधर व्यास)

दूसरों को उनकी गुलामी करनी पड़ती थी, ऐसे भी कई मौहल्ले हैं। उस इलाके से चुन कर जावेगा, सीट रहेगी। लेकिन एक दिक्कत है। कितना पर्सेन्ट रिजर्वेशन होगा। डबल मेम्बर कॉन्स्टिट्युएन्सी किस पर्सेन्टेज़ पर होगी। पर्सेन्टेज़ हो जाता कि १।१० होगा। तो मैं समझता कि चार चुन कर आ सकते थे। इसके साथ साथ आजादी के साथ खड़े होकर आना चाहते तो आ सकते थे। पर्सेन्टेज़ हो जाता तो अच्छा होता।

इसके अतिरिक्त दूसरी बात है महिलाओं के सम्बन्ध में। जैसे पहले हरिजन गुलाम थे, इसमें महिलाओं को कोऑप्ट करने के पॉवर्स रखे हैं। लेकिन कानून की दृष्टि से उनको भी गुलाम बनाने का यह दृष्टिकोण रखा है। उसमें उनको आजादी नहीं रहेगी। कोई महिला न आवे, आने का तो अधिकार है परन्तु जिस प्रकार से एक माननीय सदस्य ने दिक्कत खड़ी की, बोर्ड दस सदस्यों का हो, समझ जाओ, बाद में दो कोऑप्ट कर ली गई, १२ हो जावेंगी, दो चुन कर आजावेंगी तो दस का ही रह जावेगा। उसका क्या हाल होगा, इस पर भी विचार करना चाहिये और मैं समझता हूँ कि इसका एक हल है कि कोऑप्ट करने का अधिकार रखा है, उसकी जगह पर पर्सेन्टेन्ज़ के आधारा पर रिजर्व सीट कर दें। कुछ वार्ड में यह महिलाओं के लिए रख दिया जावे. वे गुलामी नहीं रहेंगीं, वैसे जनरल पर चुन कर आ सकते हैं। वार्ड को इधर उधर बदल सकते हैं आगे जाकर। वे एक हक के साथ आवेंगी। यह होगा कि सरकार ने हमारे लिए दो वार्ड ऐसे रखें कि इस प्रकार से चुन कर जा सकती हैं। आपने महिलाओं के लिए म्युनिसिपल बिल में ऐसा प्रावधान नहीं रखा है कि किसी प्रकार वे चुन कर जा सकें और इस प्रकार एक दिक्कत इसको रखने से दूर हो सकती है.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : इसको आधार क्या हुआ ?

श्री मुरलीधर व्यास : इसका आधार मैं बताता हूँ। आप चाहते हैं कि दो महिलायें चुन कर आजावें। आप संख्या बोर्ड के सदस्यों की १२ चाहेंगे तो जो मैंने सुझाव दिया है उससे १२ ही रहेगी और कम नहीं होगी। कोऑप्ट करने से यह ठीक नहीं रहेगा। डबल मेम्बर कॉन्स्टिट्युएन्सी होगी और वे चुन कर आ जावेंगी। १० का बोर्ड है और उसमें से दो कम हो जावेंगी तो उसके लिए क्या करेंगे। इसमें कम ज्यादा नहीं हो सकता जिस प्रकार दूसरी जगह रिजर्व सीट रखी हैं। उसी प्रकार महिलाओं के साथ कर दी जायगी तो यह दिक्कत दूर हो जायगी। आजादी के साथ उनको खड़ा होने का आधार मिल सकेगा। वैसे तो हर वार्ड में वे आ सकती हैं महिलायें चुनकर। एक सम्मानीय सदस्य ने जो सुझाव दिया था उस पर मैंने भी यह संशोधन रखना उपयुक्त समझा है आशा है मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय की ओर से जो संशोधन आया है उसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूँ, समर्थन करने का प्रमुख कारण यह है कि जब से नगरपालिका विधेयक पर विचार प्रारम्भ हुआ है, उस समय से क्लॉज़ ६ एक बहुत ही विवादग्रस्त क्लॉज़

Page No.61

(डॉ० बहादुरसिंह)

रही है इस बारे में अनेकों सुझाव आये और संशोधन भी आये उन पर काफी वाद विवाद हुआ और वाद विवादों के फलस्वरूप मूल धारा को परिवर्तित किया गया और जिस परिवर्तित रूप में आज हमारे सामने है। मैं समझता हूं उसके लिये हमें माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहिये यह परिवर्तन करने का श्रेय उन्हीं को है। उनके ही प्रयत्नों से जो राजस्थान के अन्दर एक प्रथा थी। नामज़द करने की उस अप्रजातान्त्रिक पद्धति को समाप्त किया गया है। इस धारा के अन्तर्गत जितने भी नगरपालिका के सदस्य निर्वाचित होंगे वे चाहे शिड्यूल्ड कास्ट के हों या शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हों उन सब का चुनाव होगा। आज हम इस धारा के अन्तर्गत महिलाओं को नामज़द नहीं करेंगे और अब उनका को-ऑप्शन ही होगा जिस प्रकार निगम के लिये एल्डर मेन चुने जाते हैं। उसी प्रकार नगर-पालिका के जो निर्वाचित लोग होंगे वे ही उन महिलाओं का निर्वाचन करेंगे।

एक सवाल यह भी था कि इनके लिये भी सीटें रिजर्व कर दी जाय मैं इसको अव्यवहारिक मानता हूं ? महिलाओं के चुनाव के लिये किस आधार पर वार्ड्स बनेंगे महिलाओं के मत किस प्रकार से रिजर्व करेंगे। हम इस प्रकार का क्लासी-फिकेशन नहीं कर सकते किस वार्ड में महिलाओं की संख्या अधिक है बहुत सी ऐसी बातें है जिनके बारे में सम्भवतया सोचा ही नहीं जा सकता।

एक माननीय सदस्य ने यह भी चार्ज लगाया कि हम महिलाओं को कोऑप्शन करने उनको गुलाम बनाने जा रहे हैं। यह कहना मातृ शक्ति का अपमान है यह तो बिल्कुल सोचने की ही बात नहीं हैं। हम महिलाओं को कभी भी गुलाम नहीं बना सकते खास तौर से भारतवर्ष की यह परम्परा रही है और राजस्थान जैसे प्रान्त में तो यह सोचा ही नहीं जा सकता। लेकिन कोऑप्शन वाली बात है वह ज़रूर है उसके सम्बन्ध में एक छोटी सी व्यवहारिकता की बात आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। बोर्ड का इलेक्शन होता है उसमें दस मेम्बर निर्वाचित हो गये जिस वक्त चेयरमैन का इलेक्शन करेंगे उससे पहले दो महिलाओं का कोऑप्शन किया जायगा। अगर दो महिलायें निर्वाचित होकर आगई तो उनको कोऑप्ट करने का प्रश्न नहीं रहेगा। पहले यह व्यवस्था थी हरिजन या महिला सदस्य आ जाते चुनाव में तो उनका नोमीनेशन नहीं होता था। लेकिन इसमें दो महिलाओं का होना आवश्यक है। बोर्ड के अन्दर कोऑप्शन की जरूरत उस समय आयगी जब कि महिला सदस्या कोई चुनकर न आई हो अगर एक सदस्या आजाती है तो एक का कोऑप्शन होगा दो महिलायें रखने का भी एक कारण है। आज राजस्थान के अन्दर महिला समाज काफी पिछड़ा हुआ समाज है, विशेषकर जिस वक्त महिला अकेली होती है तो किसी भी मीटिंग में जाना कम पसन्द करती हैं। क्यों कि बोर्ड में चुनाव राजनैतिक आधार पर होते हैं। अपनी राजनीति के दांव पेच के कारण इस प्रकार का दाव उपस्थित हो जाय जिसमें महिला अपने स्वाभाविक लज्जा के कारण उसमें जाना पसन्द नहीं करती चुपचाप उठकर चली जायगी। इस प्रकार का

(डॉ० बहादुरसिंह)

वातावरण मीटिंगों में अक्सर हो जाया करता है। और खास तौर विरोधी दल की ओर से वे जानते हैं कि महिला उस पक्ष की है जिस पक्ष का बहुमत म्युनिसिपल बोर्ड में है तो वे ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं। जिससे वह महिला सदस्या वहां से उठ कर चली जाय अगर दो महिला सदस्या होती हैं तो कैसी भी परिस्थिति हो हिम्मत के साथ बैठ सकती हैं। इन सब बातों पर विचार करके ही इस प्रकार की यह क्लॉज़ रखी है। इन शब्दों के साथ मैं इस क्लॉज़ का समर्थन करता हूं।

श्री **जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्लॉज़ कोई विवादास्पद धारा नहीं है। जहां तक महिलाओं को रखने का सवाल है। यह वास्तव में इस प्रकार का प्रश्न है कि जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिये। कई स्थानों पर हमें देखने का अवसर मिलता है। जो छोटे स्थान हैं उन स्थानों पर महिला सदस्या नहीं मिलती आखिर सरकार के सामने यह प्रश्न पैदा हो जाता है कि किस महिला को नामज़द किया जाय। कई बार नामज़दगी तो कर देते हैं किन्तु वे किसी भी मिटिंग में भाग नहीं लेती है। यहां पर देखने की बात हैं जैसे जयपुर की नगरपालिका है। यह पांच लाख लोगों की नगरपालिका है और इसी के पास मनोहर पुरा की नगरपालिका है जिसके केवल आठ हो सदस्य है वहां पर भी हम दो महिला सदस्या को कोऑप्ट करेंगे और जयपुर जैसी बड़ी नगरपालिका के लिये भी दो महिला सदस्याओं को कोऑप्ट करेंगे यह तर्क संगत बात नहीं बैठेगी। आपका वर्तमान में जो नगरपालिका का एक्ट है उसके अन्दर भी चार को नोमीनेट करने का है इस प्रकार मेरा निवेदन है कि पोपुलेशन की बेसिस पर ही यह रखे तो ठीक रहेगा। जिस प्रकार शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के लिये हम कर रहे हैं, उनको पोपुलेशन के आधार पर तय करेंगे। कई स्थान ऐसे हैं, जहां पोपुलेशन ज्यादा होगी वहां से ये ज्यादा आयेंगे। इस धारा की मन्शा यह है कि पोपुलेशन को आधार मानते हुए सीटें तय होनी चाहिये। उसमें एक दो और तीन भी हो सकती हैं। उसी आधार पर महिलाओं को भी हमें प्रतिनिधित्व देना चाहिये। यह नहीं करें कि हर स्थान पर दो ही हों। विशेष रूप से मेरा सुझाव है कि जितनी भी कौन्सिल्स हैं। हमने नगरपालिकाओं के दो भाग किये हैं कौन्सिल्स तो सिटीज़ में होंगी और टाउन्स में नगरपालिकायें। जहां छोटी म्युनिसिपैलिटियां है वहां एक महिला प्रतिनिधि रखी जाय और यह कम्पलसरी रख दे कि चाहे चुनकर भी आ जाय उसके बाद भी एक महिला सदस्या ली जायगी। और सिटीज़ के अन्दर दो रख दें तो भी किसी प्रकार अव्यवहारिक बात नहीं होगी। जिस प्रकार हमने फंक्शन्स का विभाजन किया है। उसी प्रकार हम सीटों का भी विभाजन कर सकते हैं। मेरा ऐसा निवेदन है कि टाउन्स के लिये एक के बजाय दो सीटें दे सकते हैं और सिटीज़ के लिये चार और ज्यादा से ज्यादा ६ तक दे सकते है। महिलाओं के लिये सिटीज़ म्युनिसिपैलिटीज़ में ज्यादा स्थान रक्खें, दो से ज्यादा रखते हैं तो कोई अनुचित नहीं होगा। वैसे सिटीज़ में रहने वाली महिलायें ज्यादा प्रगतिशील हैं। चुनाव में भी भाग लेकर आ सकती हैं। लेकिन उन स्थानों

Page No.63

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

पर ज्यादा स्थान भी हम देते हैं तो किसी प्रकार भी आपत्तिजनक नहीं होगा। सिटिज़. पोपुलेशन की बेसिस पर भी दे सकते हैं इसमें भी कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। इस प्रकार यदि रखा जाय जो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : जो संशोधन माननीय मन्त्री महोदय ने पेश किया है, मैं तो समझता था कि उसको सारा हाउस स्वागत करेगा, मगर शायद आज कुछ मेरे सथियों को वाद विवाद के लिये कोई ऐसी धारा नहीं मिली तो इसी धारा को उन्होंने एक वाद विवाद का पॉइन्ट बना लिया।

एक माननीय सदस्य जो काफी सीनियर हैं और जो जन संघ के नेता है उन्होंने इस क्लॉज़ का स्वागत करते हुए और जो क्रिटिसाइज़ करने के लिये ऑर्ग्युमेन्ट्स दिये वे मेरी समझ में नहीं आये। सबसे पहले जो वूमैन को रिप्रेजेन्टेशन के लिये कहा गया उसमें उनके खुद के ही ऑर्ग्युमेन्ट्स को अगर लिया जावे तो, जो अगर सारा बोर्ड लेडीज़ का बन जाता तो आपको कोई आपत्ति नहीं थी, पर दो के एक लेडीज़ के कोऑपट करके या एक सरकार या बोर्ड की तरफ से कोआप्ट करके आ गई तो आपत्ति हो गई। मेरी समझ में नहीं आया सारा बोर्ड लेडीज़ का बनाने को तैयार हैं पर एक दो लेडीज़ को लाने के लिये तैयार नहीं। हो सकता है, मैं उन पर आरोप नहीं लगाता शायद उन्होंने माइनोरिटीज़ के रिप्रेजेन्टेशन के सिद्धान्त को समझा नहीं है। एक तो प्रगतिशील सोशलिस्ट समाज़ के सदस्य ने यह कहा कि यह महिलाओं को गुलाम बनाने का तरीका है। इससे लगता है किस तरह के ऑर्ग्युमेन्ट्स दिये जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि हमें विरोध करना था इस लिये विरोध किया है। जब कहते थे कि माहिलाओं को रक्खो नोमीनेट करो तो कहा करते थे कि कांग्रेस पार्टी के माफिक होगी कोई तो लावेंगे दूसरे को नहीं यह अनडेमोक्रेटिक है। यहां सिद्धान्त की बात करते थे, यह सिद्धान्त के विपरीत है और इसमें सारे सिद्धान्तों का बखान हो जाता था। अब कोऑप्शन जो पार्टी मेजोरिटी में है उसको दिया गया राइट तो उसका विरोध करते हैं। आखिर आपका सिद्धान्त क्या है? यह जो पिछड़े हिस्से हैं उनको आगे लाने के लिये उनको प्रिविलेज़ देना है और इस तरह का प्रिविलेज़ डेमोक्रेटिक प्रिविलेज़ है। अनडमोक्रेटिक नहीं है। तो क्या कम्पलीटली वूमनै को डाउन कर कर दें, उन के क्या पोलिटिकल राइट्स हीं नही हैं।

एक माननीय सदस्य ने कुछ कहा, बहुत सुन्दर यूनिक सजेशन है। बहुत से माननीय सदस्य ऐसा सोचते हैं। कुछ इन्डिविजुअल और यूनिक सजेशन देना चाहिए चाहे फिर वह अनप्रेक्टिकेबल ही हो। उन्होंने कहा कि महिलाओं की पोपुलेशन बेसिस पर सीटें रिजर्व की जावें। यह शायद यूनिक समझा जाता है, इन्डिविजुअल की इस पर छाप है। पर मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल अनप्रेक्टिकेबल है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी) : आपने गलत समझा है। पोपुलेशन पर नहीं कहा। कुछ एरिया उनके लिये छोड़ दिये जावें जिनसे पुरुष चुनाव लड़कर न आवें तो ज्यादा अच्छा। यह मतलब है मेरा।

Page No.64

श्री श्रीमानसिंह : यह चुनाव कराने की भी जिम्मेदारी मन्त्री महोदय पर होनी चाहिये। आप यह चाहते हैं। दर असल में यह सब ज़िम्मेदारी होनी चाहिये पोलिटिकल पार्टीज़ पर। कितनों को जनसंघ ने टिकट दिया ? कितनों को रामराज्य ने और कितनों को माननीय सदस्य की पार्टी ने टिकट दिया ? बतावें तो सही। हम तो अपोज़िशन में यहां सिवाय एक महिला के देखते नहीं। आप अधिक से अधिक को अपनी पार्टी से जिता कर लाइये। कौन मना करता है। कोई प्रतिबन्ध इस पर नहीं है। आप अपनी एग्ज़ीक्यूटिव में तै करके महिलाओं को अधिक टिकट दो और जिता कर लाओ। कांग्रेस का तो यह सिद्धान्त है, वह तो अधिक से अधिक को लाती है। जहां आपकी तरफ से तो कई माननीय सदस्य महिलाओं का अपोज़िशन करके उनको हराकर आये हैं और जनसंघ के नेता की तो महिलाओं का अपोज़िशन करने की आदत पड़ी हुई है। वे जनरल इलेक्शन में महिला को हराकर आये हैं और अब जब कि उनके खिलाफ इलेक्शन पिटीशन फाइल की गई तो उसका भी प्रोटेस्ट करते हैं।

(हंसी)

तो यह मामला चल रहा है।

एक माननीय सदस्य ने, जब यह बिल शुरू शुरू में पेश होरहा था तो वे यहां विराजमान थे, उन्होंने कहा कि आठ हजार की तो म्युनिसिपैलिटी होगी नहीं। जिस इन्स्टान्स से, जिस प्रोमिसेज़ से कन्क्लूज़न ड्रा किया, मैं आपको अम्बली निवेदन करूं कि आपका आॅब्वीयसली का कन्क्लूज़न रोंग था। तो इसलिये जब कि हम महिलाओं को राइट प्रिविलेज दे रहे हैं तो उसमें सहयोग देना चाहिये।

हरिजनों की रिजर्वेशन सीट के लिये माननीय सदस्य ने एक आॅब्जेक्शन रेज किया और हर बार फार फेर कर यह कहा कि इससे कम्प्लेक्स डवेलप हो जावेगा। नोमीनेशन से तो डवेलप होती थी वह तो ठीक था पर अब रिजर्वेशन से चुनाव लड़ कर आवेगा तो कम्प्लेक्स कैसे डवेलप होगा ? इन्फीरियर, सुपीरियर या इक्विटेबल कम्प्लेक्स मालूम नहीं कौन सा कम्प्लेक्स बताते हैं। पर एक कम्प्लेक्स डवेलप हो जावेगा। आखिर क्या होगा ? एक माइनोरिटी जब तक जिस हद तक हमारे बराबर नहीं आ जाती उस हद तक प्रोटेक्शन उसको देना है और रिजर्वेशन का सिद्धान्त संविधान ने भी इसी दृष्टि से मन्जूर किया है।

एक आॅर्ग्युमेंन्ट यह दिया जाता है कि कॉआप्शन का रिजर्वेशन का लेडीज़ के के लिये तो नहीं है। पर यहां सबने इसके लिये नेशन को रेस्पोन्सिबल माना है। जब तक हम उनको साथ लेकर आगे नहीं चलेंगे उनको इम्प्रूवमेन्ट की फेसीलिटी नहीं देंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते आपकी नेशन प्रोग्रेस नहीं कर सकती। अब तक आप शायद ही कोई एग्ज़ाम्पल दे सकेंगे जब कि किसी म्युनिसिपैलिटी में महिला जनरल चुनाव जीतकर आई हो। अभी तक तो कोआॅप्शन से या नोमीनेशन से आई है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उदयपुर में जनसंघ की ओर से जीतकर आई है।

श्री श्रीमानसिंह : एक उदयपुर में,

Page No.65

(श्री श्रीमानसिंह)

जीतकर आई है। हमारे सामने यह क्लीयर पिक्चर है। पर दूसरी तरफ बड़ी मुश्किल से हम जनरल चुनाव में महिलाओं को खड़ा करते हैं, तो लोग उनको हराने की कोशिश करते हैं, उन का मुकाबला करते हैं। फिर किस तरह से उनको रिप्रेजेन्टेशन दिया जा सकता है। शिडयूल्ड ट्राइब उन्नति कर रहा है, स्टेन्डर्ड पर आया। उन को डवेलप करने के लिये रिजर्वेशन रखना पड़ा। इसी तरह महिलाओं को हमें नोमीनेट करना पड़ेगा। हरिजनों को पहले नोमीनेशन देते थे तो यह कहा कि कांग्रेस जहां अल्पमत में है वहां हरिजनों को नोमीनेट करके अपने को बहुमत में कर लेती है। तो इस लांछन से बचने के लिये जब रिजर्वेशन की बात रक्खी तो वहां जनरल चुनावों को अनेलिसिस किया जावे तो बहुत कम हरिजनों को जनसंघ ने भी टिकट दिया है। अव्वल तो दिया ही नहीं, और कहीं गले पड़ गये तो नहीं देने दी उन्होंने। तो यह अनेलिसिस है। अब कई शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि जो रिजर्वेशन उनको ६० तक दिया गया है उसको आगे बढ़ाया जावे तो मैं इसके विरोध में हूं। आखिर कब तक यह करना पड़ेगा। आपको खुद को आगे चुनाव लड़ना चाहिये। पिछली जनरल इलेक्शन के वक्त रिज़र्व सीट वाले स्वतन्त्र रूप से चुनाव लड़कर और जीत कर आये है। स्टेटिस्टिक्स मौजूद हैं तो इस क्लॉज से जो अगर शिड्यूल्ड कास्ट और प्ली बना ले कि यह ६० में खत्म हो रहा है वह न हो तो मैं यह नहीं मानता।

तो यह जो अमेन्डमेंट रक्खा है मैं उसका स्वागत करता हूं। यह बहुत डेमोक्रेटिक है। यह बहुत अच्छी व्यवस्था लाने वाला है। और जो नोमीनेशन की व्यवस्था को हटाने में माननीय मन्त्री महोदय ने बोल्ड और करेज़ियस स्टेन्ड लिया है उसके लिये उनको धन्यवाद देता हूं। इस डेमोक्रेटिक प्रणाली को स्ट्रोक एक से बोर्ड में इन्ट्रोड्यूस कर दिया और अन्त में निवेदन करूंगा कि इसको इम्प्लीमेन्ट करने में, इसको पास करने में सभी पूर्ण सहयोग देंगे।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री महोदय की ओर से आया है उसके बारे में जो माननीय सदस्यों ने विचार रखे हैं उसमें सैद्धान्ततः एक बात जरूर है और यह बात मानी गई है कि जितने भी म्युनिसिपैलिटीज़ के चुनाव हमारे राजस्थान में हुए उन चुनावों में अक्सर यह देखा गया है कि पिछड़ी हुई जातियों के प्रतिनिधि चुनावों के द्वारा कम संख्या में आते थे और जिन जिन वार्डों में पिछड़ी जाति के लोग चुनाव लड़ते थे, उम्मीदवार की हैसियत से खड़े होते थे और आर्थिक स्थिति के कारण और भी कई कारण हो सकते थे जिनके कारण वह सफल नहीं हो पाते थे चुनावों के अन्दर और हर स्थिति में उनको पीछे रहना पड़ता था। उन्हें समय दिया गया और जब यह पाया गया कि अभी तक राजस्थान में पिछड़ी हुई जाति के लोग चुनावों में कामयाबी हासिल नहीं कर पाते हैं और इसके कारण एक ऐसी धारणा बन गई थी कि जिस पार्टी की सरकार बनती है वह सरकार किसी न किसी रूप में उन आदमियों को नामज़द कर देती है। जो उनके पक्ष में होते हैं और लोगों ने यह माना कि जहां कहीं भी कांग्रेस की

(श्री मूलचन्द डागा)

सरकार ने म्युनिसिपैलिटीज़ में लोगों को नामज़द किया तो वहां लोग वे होते थे जो कि उनकी पार्टी को मदद कर सकें और उसका समर्थन कर सकें। उस स्थिति में कानून में एक प्रगतिशील परिवर्तन हुआ और वह परिवर्तन यह हुआ कि जो सीट सुरक्षित हैं कुछ शहरों में, कस्बों में जहां म्युनिसिपैलिटीज़ हैं वहां कुछ सीटें पिछड़ी हुई जातियों के लिए सुरक्षित कर दी गई। हम यह मानते हैं कि इसके कारण कुछ छोटी जातियों में तनाव बढ़ेगा क्योंकि वह लोग आपस में टकरायेंगे। लेकिन सिद्धात की बात यह है कि हम यह चाहते हैं कि रिज़र्वेशन खत्म कर दिया जाये। तो हम पहले ही इसका अवसर दें कि जिसके आधार पर वह चुनाव क्षेत्र में उतरें और जो लोग काबिल हैं वह चुनावों में आयें। इसमें एक बात जरूर है कि जन गणना के समय हमें सावधानी रखनी होगी क्योंकि कई जातियां ऐसी हैं कि जो जातियां अपने आपको छोटी जातियों में गिनती हैं। जैसे मुसलमानों में जुलाहे हैं। उनके लिए सवाल पैदा हुआ था कि क्या जुलाहे छोटी जातियों में गिने जाते हैं और मेरे साथ बैठने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि जुलाहों को पिछड़ी हुई जातियों में गिना ही नहीं है। आप शिड्यूल्ड कास्ट में किन किन जातियों को लेते हैं और शिड्यूल्ड ट्राइब्स में किन किन जातियों को लेते हैं, इसे जन गणना करते समय ध्यान में रखना पड़ेगा और इसके लिए सावधान रहना पड़ेगा। आपने विधान के द्वारा मान लिया है। लेकिन कुछ जातियां ऐसी हैं जैसे मुसलमानों में जो कि मुसलमान धर्म को मानते हैं और काफी पिछड़े हुए लोग हैं तो उनको आप शिड्यूल्ड कास्ट में लेंगे या नहीं। तो इसका एक सवाल पैदा हुआ था कि म्युनिसिपैलिटी में एक ऐसे आदमी को नामज़द किया कि वह पिछड़ी हुई जाति का व्यक्ति ही नहीं था। तो एक बात जरूर है कि मत गणना करते समय एक बड़ी भारी जागृति होगी और वह जागृति यह होगी कि नीची जातियों के लोग नाम लिखाने में सावधान रहेंगे। कई पुरुषार्थी लोग जो कि राजस्थान में सैटिल हो गये हैं और बड़े बड़े कस्बों में जो सैटिल हो गए हैं उनके अन्दर ऐसी जातियां हैं जिन जातियों का जिक्र अभी नहीं हुआ है। वह भी कहते हैं कि हम भी पिछड़ी हुई जाति में हैं। तो क्या यह होगा कि जो पुरुषार्थी लोग पिछड़ी हुई जाति में हैं वह भी शिड्यूल्ड कास्ट में शुमार किये जायेंगे या नहीं? यह भी एक प्रश्न है। लेकिन यह बात जरूर है कि इन बातों के रूल्स बनाते समय उनके अन्तर्गत अगर यह बात हो जाती है तो हम समझते हैं कि जो सुरक्षित वार्डों से चुनाव होंगे उससे एक बड़ी भारी दिक्कतें दूर हो जायेंगी और लोग यह आरोप नहीं लगा सकेंगे कि पार्टी वालों को सपोर्ट कर दिया और नोमीनेशन का झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जायेगा। एक बात जरूर है कि आज ऐसे लोग आ जाते हैं कि जिनमें ताकत नहीं होती है। जो चुनावों से आते हैं उनमें एक ताकत होती है और वह अपना ठीक प्रदर्शन कर सकते हैं। तो रिज़र्वेशन के बारे में जो क्लाज़ रखा गया है वह बहुत विस्तृत है, उसमें सारी बातें साफ़ की गई हैं। एक म्युनिसिपैलिटी में शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग भी हैं और उसी में शिड्यूल्ड कास्ट के लोग भी हैं तो उस पर भी सरकार का क्या निर्णय होगा यह भी विचारणीय प्रश्न है। जो बहुमत में होगा वह आयेगा। तो मैं समझता हूं कि जो क्लॉज़ लाया गया है और उसमें संशोधन रखा गया

Page No.67

(श्री मूलचन्द डागा)

है वह मान लेना चाहिए। मेरे ख्याल से इससे सभी जगह यह चर्चा होगी कि जो संशोधन हुआ है उसका आधार प्रजातांत्रिक है और उससे हमें ज्यादा फायदा मिल सकता है।

श्री उपाध्यक्ष: Yes, Hon'ble Minister..

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अमेन्डेड क्लॉज़ रखा गया है उस पर दो तरह की आपत्तियां की गई हैं। एक तो यह कि हरिजनों का रिज़र्वेशन हो जाने के बाद उनको हमेशा के लिए हरिजन बनाने की कोशिश की जायेगी और इसलिए यह रिज़र्वेशन नहीं रहना चाहिए और साथ ही यह भी कहा गया कि उनको जनता में से इलेक्ट होकर आना चाहिए और उनके संबंध में जो को-ऑप्शन का प्रावधान रखा गया है वह उचित नहीं है। जहां तक को-ऑप्शन का संबंध है और रिज़र्वेशन का संबंध है इस बात पर सभी माननीय सदस्य एक मत हैं....

श्री उपाध्यक्ष : कोरम नहीं है।

(गणपूरक घंटी के पश्चात)

Yes.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तो उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अमेन्डेड क्लाज़ है इसमें यह बात दृष्टिगोचर होती है कि एक ओर जहां हमने पोपुलेशन के बेसिस पर रिज़र्वेशन सीट रखने का प्रावधान किया है पर साथ ही लिमिटेशन्स भी हैं। यह क्लाज़ म्युनिसिपैलिटी के लिए अनलिमिटेड नहीं है। यह व्यवस्था उसी पीरियड के लिए है जब तक कि भारत के संविधान में यह प्रावधान रहता है जिस दिन भारत के संविधान में रिजर्व सीट का प्रावधान नहीं होगा और जिस समय पार्लियामेन्ट आदि में यह रिज़र्व सीटें खत्म हो जायेंगी तो उसके मुताबिक हम जो नया कानून बनाने जा रहे हैं। म्युनिसिपैलिटीज़ का उसमें भी रिज़र्व सीट का कोई प्रावधान नहीं होगा क्योंकि यह प्रावधान भारत के संविधान के प्रावधान के अनुसार ही चलेगा। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि हमने जो प्रावधान किया है और भारत के संविधान को ही दृष्टि में रखते हुए यह अमेन्डमेन्ट यहां पर हमने रखा है। उस में भारत का जो हमारे विधान है उसमें रिजर्व्ड सीटें पोपुलेशन के बेसिस पर पार्लियामेंट और विधान सभा में प्रोवाइडेड हैं। जितनी राजस्थान में हमारी सीट्स हैं राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट्स की जितनी पोपुलेशन है उस बेसिस पर विधान सभा में हैं और उसी तरह से पार्लियामेंट में है। जो विधान का प्रोविज़न है उसके मुताबिक यहां पर प्रोविज़न किया है। और साथ ही जो दूसरा प्रोविज़न भारतीय विधान का था कि १० साल के लिये रिज़र्वेशन था, उस टाइम की बात को, उस टाइम फैक्टर को भी यहां पर मानते हैं। हमारे यहां जो यह क्लॉज़ है वह सारे हिन्दुस्तान के विधान के मुताबिक है। जब विधान के मुताबिक क्लॉज़ है तो किसी भी माननीय सदस्य को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। किसी भी माननीय सदस्य को आपत्ति नहीं हो इसीलिये संविधान की धारा, संविधान के प्रावधान के मुताबिक यहां पर यह प्रोविज़न किया है।

Page No.68

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

दूसरी बात महिलाओं के संबंध में है। मैं नहीं समझता कि महिलाओं के लिए जिन माननीय सदस्यों ने आपत्ति की है वे भी दिल में तो शायद महिलाओं के लिए उतनी इज़्ज़त नहीं करते हों जितनी कि इस तरफ बैठे हुए माननीय सदस्य करते हैं, और यदि उनसे पूछा जाय, महिलाएं जाकर उनसे प्रश्न करें तो वे शायद कहेंगे कि महिलाओं को ज्यादा सुविधा प्रदान करना चाहिए....

श्री उपाध्यक्ष : महिला सदस्यों ने कोई प्रकाश डाला नहीं इस पर।

(हंसी)

श्रीबद्रीप्रसाद गुप्ता: इससे जाहिर होता है कि महिल सदस्यों के लिएजो प्रावधान किया गया है उससे उनकी सहानुभूति, आपत्ति नहीं है। जिनको आपत्ति होनी चाहिए उनको आपत्ति नहीं है और लोगों को आपत्ति है। महिला सदस्यों को संतोष है जो मैने प्रोविज़न किया है उससे।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि जिन्होंने आपति की है कि महिलाओं को तो जनरल सीट से चुनाव लड़कर आना चाहिए। मैं इस बात को मानता हूं कि हमारा जो भारत का विधान है उसमें इस बात का प्रोविज़न नहीं है। लेकिन अभी तक तो हमारे यहाँ का प्रोविज़न था नोमीनेशन करने का। उसमें महिलाओं को स्थान दिया था। इस बात के लिए जो दलीलें दी गई कि महिलाओं को बड़ी तकलीफ़ है। तो हिन्दुस्तान बड़ी तरक्की कर रहा है। हिन्दुस्तान में सामाजिक क्रान्ति आ रही है। यदि महिलाओं को कोऑप्शन का प्रावधान हो गया तो इस बात से यह मौका आयगा कि हमारे समाज का जो पिछड़ा हुआ अंग है वह आगे आयेगा। यदि यह दलील है जैसी कि दलील दी गई तो, उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि सामाजिक दृष्टि से हरिजनों को और महिलाओं को हमारे समाज में उपयुक्त स्थान मिलना चाहिए वह स्थान आज नहीं मिला है। यह बात तो आज हमारी विधान सभा में मालूम हुई है। यदि पोपुलेशन की दृष्टि से आप देखें तो महिलाओं की पोपुलेशन आधी है, मैं समझता हूं कि राजस्थान में तो आधी से ज्यादा होगा, लेकिन उनकी पोपुलेशन को देखते हुए हमारी विधान सभा में जितना कि उनका रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिए था, वह रिप्रेजेन्टेशन आज यहां पर नहीं है। वह बात सब जगह देखी जा सकती है। सर्विसेज़ में देखें या म्युनिसिपल बोर्ड्स में तो शायद राजस्थान में म्युनिसिपल बोर्ड्स ३,४ ही ऐसे होगें, शायद उदयपुर में, अलवर या बीकानेर में इस तरह है। जहां बराबर का नारा दिया लेकिन बराबर का स्थान कानून में दिया, लेकिन समाज में जो बराबर का व्यवहार मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। यह बात सब को माननी पड़ेगी। जब इस बात को मानते हैं और साथ ही साथ इस बात को मानते हैं कि उनकी प्रगति होनी चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिये, लेकिन उनके लिए जहां कोऑप्शन का प्रोविज़न का प्रवधान रखा गया है, मैं समझता हूं और कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं था, तो इस तरह की बात करते हैं। या तो जैसा कि पहले था वैसा नोमीनेशन करते। जहां तक नोमीनेशन की बात थी, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों की सब की इस तरह की राय थी कि नोमीनेशन नहीं

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

होना चाहिए, यह बात आजकल नहीं चलनी चाहिए, तो हमने इस बात को स्वीकार किया कि आज के प्रजातन्त्र के ज़माने में पुराने ज़माने के जो कानून बने हुए थे। उनको उसमें जो प्रोविज़न रखे गये हैं उनको अनडेमोक्रेटिक प्रोविज़न को नहीं मानना चाहिए। इस तरह की सब माननीय सदस्यों की राय थी और इसी लिए हमने इस बात पर विचार किया। जैसा कि पहले मैंने अर्ज़ किया था कि नोमीनेशन करना या कोऑप्शन करना, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है, और यह बात माननी पड़ेगी, मैं समझता हूं कि यह दलील यहां पर नहीं दी गई है, कि नोमीनेशन के मुकाबले में कोऑप्शन ज्यादा डेमोक्रेटिक है, और उसका प्रावधान करके हमने इस मामले में डेमोक्रेटिक स्टेप आगे लिया है। मैं तो इस बात का स्वागत करूंगा जब कि विधान सभा में, हमारी म्युनिसिपैलिटीज़ में, हमारी पंचायतों में महिलाएं चुनकर आयेंगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदस्यों को यह जानकार अफसोस होगा। कि हमारी पंचायतों में, सारे राजस्थान की पंचायतों में सिर्फ एक या दो पंचायतें ऐसी होंगी जिन पंचायतों में चुनकर महिला सदस्य वहां आई है। वहां पर नोमीनेशन का प्रोविज़न नहीं रखा गया है। हरिज़न सदस्यों को इलेक्ट करने का प्रवाधान रखा गया है। मौजूदा परिस्थिति यह है। चाहे प्रचार की दृष्टि से या एक थ्योरी की दृष्टि से या चाहे किसी भी दृष्टि से थ्योरिटिकली महिलाओं को समानता का स्थान दिया है। संविधान में प्रावधान किया गया है। थ्योरिटिकली यह बात ठीक हो सकती है। प्रेक्टिकल दृष्टि से इस बात को अगर देखा जायगा तो मानना पड़ेगा कि महिलाओं को हमारे समाज में जितना उचित स्थान मिलना चाहिए उतना नहीं मिला है। इसके अलावा दूसरा प्रस्ताव बतलाते कोऑप्शन के अलावा तो उसका मैं स्वागत करता। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि कोऑप्शन होगा उनके द्वारा जो बोर्ड के सदस्य चुनकर आ जायेंगे। वे ही कोऑप्ट करेंगे। उनको कोऑप्शन का राइट दिया है। मैं समझता हूं यह डेमोक्रेटिक राइट है। इसको एकमत होकर मानना चाहिये। तो मैं समझता हूं कि मुझे आज इसके उत्तर में ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। हमने बड़ा सोच समझ कर बहुत विचार करके यह प्रावधान रखा है। मैं समझता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने इसका स्वागत किया है, उनको अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। ट्रेज़री बेन्चेज़ को जिन्हांने धन्यवाद देने की कोशिश की है, जिन्हांने इसका स्वागत किया है उनको मैं धन्यवाद देता हूं, और जिस तरह से यह रखा गया है उस तरह से इसको पास कर देंगे यही मेरा नम्रतापूर्वक निवेदन है।

श्री **उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६ एज़ सब्स्टीट्यूटेड स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६ एज सब्स्टीट्यूटेड स्वीकार किया गया। क्लॉज़ ६ ए।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६ ऐ....

श्री **भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : यह कौन सा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दोनों साथ ही साथ मूव कर दिये थे। दिल स्टेशन के लिए

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

इसमें प्रोविज़न लगाया गया है। हिल स्टेशन में दो तरह के प्रावधान हैं। यह मानी हुई बात थी।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६ ए स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६ ए विधेयक का अंग बना। क्लॉज़ १२।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १२, १३, २३ और २६ को रिओपन करने की बात थी। लेकिन १२ को रिओपन करने के साथ साथ यह आवश्यकता हुई कि रिजर्व सीट के लिए जो नोमीनेशन का ऑलरेडी रखा था। उसमें एमेंडमेंट मूव कर दिया था जब कि इस क्लॉज़ पर विचार हुआ रिजर्व सीट का कोऑप्टेड मेम्बर्स का प्रावधान नहीं रखते हैं रिजर्व सीट रखते हैं। इसलिए रिओपन करने की बात हुई। क्लॉज़ १२ में रिओपन करने के बाद जो मेरा एमेंडमेंट है वह में मूव कर देता हूँ:—"Substitute the following as sub-clause (1)—

"(1) For purposes of election to a Board, a municipality shall be divided into as many wards as there are general seats fixed for the board under sub-clause (2) of Section 9."

अभी तक १२ में जो प्रावधान रखा गया है वह सिंगल मेम्बर कॉन्स्टिट्यूएन्सी के लिए है....

श्री भैरोंसिंह : रिओपन नहीं होगा क्योंकि क्लॉज़ मंजूर कर ली गई है। उसमें केवल एडीशन होगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : क्लॉज़ पास होगई है इसीलिये तो रिओपन की गई है। क्लॉज़ १२ जो पास की थी उसमें प्रावधान रखा था सिंगल मेम्बर वार्ड्स का। अब रिजर्व्ड सीट रखते हैं, इसलिये हमको डबल मेम्बर्स वार्ड्स बनाने पड़ेंगे। मेरा निवेदन था कि क्लॉज़ १ को रिओपन कर दिया जाय औरजो एमेंडमेंड सब क्लॉज़ (१) में पेश किया है उस को स्वीकार कर लिया जाय। और इसी दृष्टि से धारा १३,२३ और २६ को रिओपन करने की बात है। जिस तरीके का पहले क्लॉज़ था, रिजर्वेशन का प्रावधान था उसी तरह रहना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ १२,१३,२३ और २६ पर पुनर्विचार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ १२, १३, २३ और २६ पर पुनर्विचार करना स्वीकार किया गया।

क्लॉज़ १२

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री बद्री-प्रसाद गुप्ता ने क्लॉज़ १२ में पेश किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२ संशोधित

Page No.71

(श्री उपाध्यक्ष)

रूप से स्वीकार की जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १२ संशोधित रूप से विधेयक का अंग बना ।

क्लॉज़ १३

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके पार्ट (डी) में यह अमेन्डमेंट है : "In sub-clause (1) after part (c) insert, in place of the original part (d), the following:- '(d) the number of seats, if any, reserved for members of the scheduled castes or scheduled tribes, as the case may be, in any ward.' यह भी शिड्यूल कास्ट एंड शिड्यूल्ड ट्राइब्स के रिजर्वेशन के संबंध में अमेंडमेंट है, इसे स्वीकार कर लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह कि क्लॉज़ १३ में जो संशोधन मंत्री महोदय ने पेश किया है उसे स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३ संशोधित रूप से स्वीकार की जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १३ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना ।

क्लॉज़ २३

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें इतनी सी बात है कि जैसा क्लॉज़ पहले था उसी तरह से स्वीकार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ २३ में मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २३ संशोधित रूप में स्वीकार की जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २३ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना ।

क्लॉज़ २६

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसकी सब क्लॉज़ (१) का पहले 'ओमिट' किया था उसे रेस्टोर करने का यह अमेन्डमेंट है । इसलिये इसे स्वीकार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २६ पर जो संशोधन मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २६ संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २६ संशोधित रूप से विधेयक का अंग बना ।

क्लॉज़ ५६

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री): [(I) In sub-clause (1), part (a), insert whichever in the Longer period "after general meetings."

(2) In sub-clause (2) for the words "to a tribunal consisting of a chairman and not less then two members constituted by the State Government in the prescribed manner "substitute" by a judicial officer of the rank of a District Judge to be appointed by the State Government for the purpose".

(3) In sub-cause. (3) substitute "judicial officer so appointed", for "tribunal so constituted", omit "before it" in line 3, substitute "his" for "its" and substitute "he" for "it" in line 4.

(4) In sub-clause (5) after the worbs "under this section", insert "shall be published in the Official Gazette and".] उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा ऐसा ख्याल है कि मैं अमेन्डमेन्ट मूव कर चुका हूं। मेरा अमेंडमेंट लिस्ट नं० १ के पेज़ २ पर है। इसे स्वीकार कर लिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाज़ार जयपुर) अमेन्डमेन्ट कहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : लिस्ट नं० १ के पेज़ २ पर है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a point of information Sir. इसमें चेयरमैन..

श्री उपाध्यक्ष : There are more amendments, दूसरे अमेन्डमेन्ड भी हैं सब को मूव कर लेने दीजिये।

श्री पी. के. चौधरी

(अनुपस्थित)

श्री श्रीमानसिंह।

(अनुपस्थित)

डॉ० चन्द्रकला।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : [The following be added as part (v):- (v) been recalled by three-fourth of the voters of his ward'] उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ५६ की सब-क्लॉज़ (२) में मैंने अपनी तरफ से एक संशोधन रखा है। सदस्यों को हटाने के संबंध में यह धारा है। यदि कोई सदस्य किसी प्रकार की गलती या अनियमितता का काम करता है तो ऐसी हालत में उस सदस्य को हटाने का अधिकार सरकार ने अपने हाथ में रखा है। कोई आदमी गलत काम करता है तो उसको हटाना चाहिये। लेकिन उसको किस प्रकार से हटाया जाय इस संबंध में मेरी अपनी राय है कि उसको हटाना का अधिकार सरकार को अपने पास नहीं रखना चाहिये। बल्कि किसी हाई कोर्ट जज या न्याय अधिकारी के हाथ में यह अधिकार होना चाहिये ताकि वह वस्तु स्थिति की जांच करके उसे हटा सके। लेकिन फिर भी किसी प्रकार से उसका मिस कंडक्ट है, नाकाबिल है या और कुछ बात है तो उसकी

(श्री मुरलीधर व्यास)

छानबीन करनी पड़ेगी । क्लॉज़ में यह है कि किसी प्रकार से उसका मिस कंडक्ट हो, नाकाबिल हो अयोग्य हो तो उसको हटाने का प्रावधान रखा है । लेकिन जो लोग चुनकर भेजते हैं और जो जनता के नुमायन्दे बन कर जाते हैं उनके हाथ में किसी प्रकार का अधिकार नहीं रखा । मैंने अपने संशोधन में यह बात रखी है कि कोई सदस्य गलती करता है तो उसको हटाने का जो अधिकार सरकार ने अपने हाथ में रखा है । उसके बजाय जो जनता उसको वोट देती है, अपना प्रतिनिधि बनाती है उसके हाथ में किसी प्रकार का अधिकार नहीं रखा है जनता के हाथ में यह अधिकार होना चाहिये । नं० ५ में एक शब्द जोड़ दिया जाय कि यदि उस सदस्य के वार्ड के वोटर्स में से तीन चौथाई हिस्सा मांग करता है कि उक्त सदस्य को हटा लिया जाय, यह नगरपालिका में हमारे वार्ड को सदस्य की हैसियत से नहीं बैठ सकता । तो उसे हटा लेना चाहिये । सरकार ने अपने हाथ में यह अधिकार रखा है । लेकिन जो उसको चुन कर भेजते हैं उनको हटाने का अधिकार देना चाहिये । पॉवर ऑफ रीकॉल उनको होना चाहिये । कोई सदस्य अपने वार्ड में काम नहीं करता है, लोगों की दिक्कत को हल नहीं करता है, लोग चिल्लाते हैं फिर भी उनकी दिक्कत के बारे में सोचता नहीं है तो उसको हटाने का अधिकार उन वोटर्स को होना चाहिये जो उसे चुन कर भेजते हैं । यदि वह लगातार बोर्ड की ३ मीटिंग्ज़ में नहीं जाता है तो उसको हटा सकते हैं । उसका मीटिंग में जाना न जाना इतना महत्व का नहीं है, लेकिन जो आदमी उसको चुन कर भेजते हैं । उनकी सुनता नहीं है, और मुहल्ले की दिक्कतों को दूर करने के बारे में सोचता नहीं है तो आखिर उनको हटाने का अधिकार क्यों नहीं दिया जाय । मैं सोचता हूं कि डेमोक्रेसी में प्रगतिशील कदम को और ज्यादा सफल बनाना है । तो सबसे बड़ा अधिकार जनता के नुमायन्दे जाते हैं उनके वोटर्स के हाथ में रहना चाहिये कि वे चाहें तो उनके द्वारा चुने हुए मेम्बर को वापिस बुला सकें । इसलिए मैंने अपना संशोधन उप खंड (डी) के पार्ट (१) (२) (३) और (४) में मिस कंडक्ट आदि की बात है उसके संबंध में यदि मौहल्ले के लोगों का तीन-चौथाई भाग मिल कर कहता है कि यह सदस्य हमारे मुहल्ले में काम नहीं करता है इसलिए इसको हटाया जाना चाहिये । यह अधिकार वार्ड्स के वोटर्स को मिलना चाहिये । यह मैंने नं० ५ में बढ़ाने के लिये सुझाव रखा है, इसे बढ़ा दिया जाय । यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कोई अड़चन हो । डेमोक्रेसी को कामयाब करना है तो जनता के हाथ में अधिकार रहना चाहिये । तीन चौथाई सदस्य मुश्किल से एक राय के मिलते हैं लेकिन कोई सदस्य बहुत बदनाम हो जाय और लोगों की शिकायत का ख्याल रखे तो

३ म० पू०

तो ऐसी हालत में आखिर बोर्ड के लोगों को क्या अधिकार दिया है, उसको कोई अधिकार नहीं है । वह आपकी मर्जी पर है, आप चाहें तो करें या न करें । अगर कोई शिकायत करें, उस पर आप सोचें या न सोचें । यदि इतना अधिकार उनके हाथ में रहेगा, तो उनके हाथ में एक अंकुश हो जायगा । डेमोक्रेसी में जो लोग चुने जाते हैं, उनकी लगाम उनके हाथ में दे दी जाती

(श्री मुरलीधर व्यास)

है तो ठीक तरह से काम चलता है। लगाम आप अपने हाथ में रखें और सवारी की जगह वे बैठे, यह ठीक नहीं। तो लगाम, जो मोहल्ले के लोग चुनने वाले हैं, उनके हाथ में रहनी चाहिए। जो सदस्य उस मोहल्ले से चुन कर गया है, अगर वह ठीक तरह से काम नहीं करता है तो उसको ३ । ४ वार्ड के वोटर्स हस्ताक्षर करके अगर मांग करते हैं कि ऐसी हालत में वापिस बुलालेंवे। इस प्रकार का अंकुश रखें तो मैं समझता हूं कि जो सदस्य बोर्ड में निष्क्रिय हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं, मनमानी करते हैं, उन पर अंकुश रहेगा और ऊपर की जितनी क्लॉज़ें हैं। जिनको आप लगाना चाहते हैं, उन धाराओं को लगाने का मौका नहीं आयेगा। अगर इतना अंकुश आपने दे दिया है वोटर्स के हाथ में तो वे स्वयं इतने सतर्क और जागरुक रहेंगे और जो चुन कर जायगा वह सतर्क और जागरुक रहेगा। क्योंकि अगर वह जनमत के खिलाफ़ हो गया तो कहीं हस्ताक्षर केम्पेन चला कर उसे वापिस न बुला लें। अगर कहीं हस्ताक्षर कम्पेन चला भी तो वह ठीक ढ़ंग से काम करने लग जायगा। इस प्रकार का सुझाव रखा है। आपने सारी पॉवर्स अपने हाथ में रखी है परन्तु उनके हाथ में भी कुछ पॉवर्स रखनी चाहिये। यह एक प्रगतिशील कदम है, मैं समझता हूं, इसको मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अमेंडमेंट पेश किया गया है, वह ज़ाहिरा तौर पर बहुत ही डेमोक्रेटिक है और मैं समझता हूँ इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि रिफ़रेन्डम और रीकॉल का प्रावीज़न है, वह बहुत ही डेमोक्रेटिक डवेलपड सोसाइटीज़, कंट्रीज़ के लिए हैं, उनमें ही इसका अमल होता है। जहां तक मेरी जानकारी है शायद रीकॉल का प्रोविज़न, जैसा कि माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है, यह शायद स्विटज़रलैंड में प्रावीजन है, वहां पर मेम्बर की रीकॉल करने का राइट है। यह बात उसूल के तौर पर, जो इसके पीछे उसूल है कि डेमोक्रेसी में जनता चुनती है, उसको रीकॉल करने का राईट होना चाहिए, यह उसूलन ठीक मालूम होता है। लेकिन इसमें मुझे दो आपत्तियां हैं, एक तो यह है कि हमने म्युनिसिपैलिटी का टाइम तीन साल का रखा है। तीन साल के बाद जनता को लुक आफ्टर करने का राइट है। तीन साल पूरे हुए तो उसको रीकॉल करने का सवाल नहीं होगा। वह जनता के सामने अपने आप जायेगा। अगर टाइम तीन साल से ज्यादा रखा होता, या ऐसा होता कि एक दफ़ा इलेक्ट होने के बाद हटाया नहीं जायगा तो रीकॉल करने का प्रोविजन रखना अच्छा होता। हमने तीन साल के टाइम का प्रोविज़न रख रखा है, इस स्थिति में अगर हम इस प्राविज़न को मान लेंगे तो जो लोग हार गये हैं, और जो इलेक्टेड हो गये है, हारे हुए लोग सिगनेचर कम्पेन शुरू कर देंगे। मैं समझता हूँ जो गरीब मेम्बर चुन कर गया है; वह तीन साल के अवसर में कोशिश करता रहेगा कि मेरे खिलाफ़ ३ । ४ वोटर्स न हो जाय और उधर वह सिगनेचर कम्पेन जारी रहेगा। मैं समझता हूं कि जिन माननीय सदस्य ने इस बात का अमेंडमेंट रखा है, इससे शायद इनके यहां ही दिक्कत आने

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

वाली है । बीकानेर ज़िले में म्युनिसिपल बोर्ड में जो इलेक्ट हो कर आजाते हैं, उनको आराम से, जो हार जाते हैं, वे काम नहीं करने देते हैं । मेरा यह अनुभव है । और मैं स्वयं भी, उपाध्यक्ष महोदय, एक बार बीकानेर डिविज़न में गया । वहां मैं शाम के टाइन में पहुँचा, उस वक्त बारिश हो रही थी और मुझे थोड़ा देर ठहर कर चले जाना था । इतने में मुझे जलूस आता हुआ दीखा । मैंने पूछा कि किसका जलूस है तो कहा कि दूसरी पार्टी के लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं । मैंने कहा कि जलूस लाने की क्या जरूरत थी, मुझसे वैसे ही मिल सकते थे । वे लोग जलूस लेकर आये और मुझे बारिश में एक घंटे तक घुमाया । वहां तीन साल से म्युनिसिपल बोर्ड के खिलाफ़ कम्पलेन्ट जारी हैं और मेरे पास भी कई कम्प्लेन्ट आती रहती हैं कि किसी तरह यह म्युनिसिपल बोर्ड हट जाय, अगर नहीं हटे तो यह बदनाम हो जाय । अगर इस प्रोविज़न को रख लें तो यह अर्थ होगा कि सिगनेचर्स कम्पेन चालू होगा । हमें विधान सभा में अनुभव हुआ, मैं मानता हूँ कि यह प्रोविज़न डेमोक्रेसी की दृष्टि से बहुत एजूकेटेड, बहुत हाइली एजूकेटेड सोसाइटीज़ के लिए उपयुक्त होगा । हमने ज्यादा समय नहीं रखा है, इसलिए उन्हीं को तीन साल तक आराम के काम करने का मौका मिलना चाहिए । अगर रखें तो एक व्यक्ति को जनता से विश्वास प्राप्त हुआ, उसके खिलाफ दूसरे दिन से सिगनेचर कम्पेन शुरू हो जायगा, क्योंकि कुछ लोग खिलाफ होते ही हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि सेन्ट पर्सेन्ट खिलाफ़ हैं । वे १ । ३ वोटर्स के सिगनेचर्स करा लेंगे और फिर अखबारों में छापेंगे कि ३ । ४ वोटर्स के सिगनेचर्स पूरे हो गये हैं तो इससे बड़ी मुश्किल हो जायगी...

श्री मुरलीधर व्यास, (बीकानेर सिटी): फिर आपने क्लॉज़ ५६ क्यों रखा है । अगर समय तीन साल का है तो आप क्यों हटाते हैं, चाहे कोई योग्य हो या अयोग्य हो ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमने उसमें रखा है कि जुडिसियल ऑफिसर कहेगा कि मिस कन्डक्ट किया या नहीं । पर इसमें जांच करते नहीं है और अगर ३।४ वोटर दस्तखत कर दें तो उसको हटा दिया जाय । You don't want any enquiry or anything. जो सिगनेचर कम्पेन है, उसका मतलब यह हो जायगा कि दस्तखत हो जायं तो मेम्बर को वापिस आ जाना चाहिये । लेकिन इसके साथ ही यह भी है कि जब गवर्नमेंट के पास कम्पलेन्ट आई, इसकी इन्क्वायरी करने वाला चाहिये । फिर एक व्यक्ति कहेगा कि ३।४ वोटर्स के दस्तखत हो गए, दूसरा कहेगा नहीं हुए ! इससे जो पोजीशन है वह कन्फ्यूजन वर्स्ट कनफाउन्डेड हो जायगी, इससे पर्पज हल नहीं होने वाला है । इसलिए मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि आपकी जो भावना है, उसके बारे में मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन हमारी जो समस्या है, हमारी परिस्थितियां हैं, उसके मुताबिक म्युनिसिपल बोर्ड को ओनेस्टली काम करने का तीन साल का मौका मिलना चाहिये । मैं निवेदन करूंगा कि आप अपना अमेंडमेंट विथड्रा कर लें ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): विथड्रा कर लें साहब, विथड्रा करें ।

Page No.76

श्री उपाध्यक्ष : विथड्रा कर रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, जो जवाब दिया है उसमें इस बात पर जोर दिया है कि हमारा देश इतना डवेलपड नहीं है। यह मान्य कर लिया है कि हम डवेलपड नहीं है। फिर भी इसमें एक क्लॉज रखा है और जरा सी बात पर सरकार ने मेम्बर्स को हटाने का प्रावधान रखा है। परन्तु यदि जनता हटाना चाहती है तो इस प्रकार का प्रावधान आप नहीं रखना चाहते हैं। ऐसी हालत में जो भी इस प्रकार का संशोधन रखा है, यद्यपि मैं मानता हूं और मन्त्री महोदय भी मानते हैं कि यह प्रगतिशील कदम है पर कुछ समस्यायें हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां है कि जिनके कारण इसको स्वीकार नहीं कर सकते। वैसे मैं महसूस करता हूं कि अगर इसे स्वीकार कर लेते....

श्री उपाध्यक्ष : आप विथड्रा कर रहे हैं या नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कह कर करना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि यह ३।४ वोटर्स के सिगनेचर्स का मामला है। आप इस तरह समझ जाओ कि एक हज़ार वोटर्स हैं, उसमें से जब तक ७७५ हस्ताक्षर न करें, तब तक नहीं हो सकता। हस्ताक्षर कराना भी बड़ा कठिन काम है, यह सिर्फ अंकुश के रूप में रखा है। इससे काम अच्छा होगा और जो सदस्य चुन कर जाते हैं वे सतर्कता से काम करेंगे। यही मकसद था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसको इम्प्लीमेन्ट कैसे करेंगे। इसकी जांच हो इसकी इन्क्वायरी हो, यह एक और नई परेशानी हो जायगी।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं निवेदन करूं कि बड़ा मुश्किल है ३।४ वोटर्स के हस्ताक्षर कराना। हस्ताक्षर कम्पेन जैसे ही चलेगा, मेम्बर सतर्क हो जायगा, वह जागरूक हो जायगा, इसके साथ ही बहुतलोग हस्ताक्षर भी नहीं करेंगे। यह अंकुश के रूप में रह सकता है। परन्तु जैसा कि मन्त्री महोदय ने यह कहा हैं कि अभी हम इतने प्रगतिशील नहीं हैं, इसलिए ऐसी हालत में इसको रखना वे उपयुक्त नहीं समझते। ऐसी हालत में जो मैंने संशोधन प्रस्ताव रखा है, मैं उसको वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज ५६ पर श्री मुरलीधर व्यास ने प्रस्तुत किया है, उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ५६ में मन्त्री महोदय ने प्रस्तुत किये हैं, उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५६ संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

क्लॉज़ ५६, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

क्लॉज़ ६१।

श्री बद्रीप्रसादगुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, इसलिये इसको है वैसा ही पास किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६१ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६१ विधेयक का अंग बना।

क्लॉज़ ७२

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें भी मेरा कोई अमेंडमेंट नहीं है, क्लॉज़ ६ तय नहीं हुआ था इसलिये इसको डेफर कर दिया गया था, अब क्लॉज़ ६ पास होगया है, इसलिये इसको है जैसा ही पास कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीश प्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७२ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ७२ विधेयक का अंग बना।

क्लॉज ७६

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (In sub-clause (2) after the words "on convictioninsert" by a Magistrate of the first class) उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा तो सिर्फ इतना अमेंडमेंट है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इसमें और एड कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लून करनसर) : (After sub-clause (1) insert the following new sub-clause:- "(IA) Notwithstanding any thing contained in this section or in any other provision of this Act, every sweeper or seavenger who is discharged, dismissed or removed from employment under any provision of this Act may apply, for setting aside the order of such discharge, dismissal or removal, to such officers as the State Government may from time to time appoint in this behalf") उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ७६ में सब-क्लॉज़ १ (ए) सबस्टीट्यूट करने का मेरा अमेंडमेंट है। इस क्लॉज़ में डिस्चार्ज का प्रोविजन है, बोर्ड के हरिजनों को और स्केवेन्जर्स को डिस्चार्ज करने के जो पॉवर्स दिये हैं उसके खिलाफ़ रेमिडी सीक करने का प्रावधान मैं इस अमेंडमेंट के द्वारा रखना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३०६ हम पास कर चुके हैं, उसमें चेयर मैन को पॉवर्स दिये हैं कि स्वीपर्स को अपॉइन्ट करे और किसी कारण से उनको डिसमिस भी कर सकता है।

(श्री भीमसेन)

उसमें हमने अपील का प्रावधान बोर्ड के समक्ष रखा है। जो बोर्ड का चेयरमैन होता है उसके निर्णय के विपरीत उस बोर्ड में अपील हो तो जहां तक मैं समझता हूं जो चेयरमैन का निर्णय होगा, वैसा का वैसा निर्णय अपील के बाद भी रहेगा। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास रेमिडी सीक करने का प्रावधान रखा जाय। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इसे स्वीकार करें।

डॉ० **बहादुरसिंह** (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, जो अमेंडमेंट श्री भीमसेनजी ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं......

श्री उपाध्यक्ष : There are still two more amendments.

श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय, (छबड़ा) : मेरा इसमें संशोधन है कि दूसरा क्लॉज़ है उसको डिलीट किया जाना चाहिये, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सेकिन्ड क्लॉज़ में जिस बात को रखा है उससे मुझे गहरी आपत्ति है। हम जब अपनी सामाजिक व्यवस्था को देखते हैं और इसमें जो हरिजनों का स्थान है उसकी ओर देखते हैं तो, आज तक हमारी सामाजिक व्यवस्था में ऐसा प्रयत्न किया गया है कि हरिजनों को ऊंचे से ऊंचा स्थान दें, हर तरह की सुविधा उनको मिलती रहे। स्वतन्त्रता आन्दोलन में आज़ादी लेना एक महत्वपूर्ण प्रश्न था, वहां दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी था कि हरिजन जिनको गिरे हुए कक्ष में ले सकते हैं, उस गिरी हुई जाति को ऊंचा उठाने का प्रश्न हमारे महात्मा गांधी ने स्वतन्त्रता आन्दोलन के साथ उठाया था। पर जब हम आज कोई कानून बनाते हैं तो इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। महत्तर का मतलब यह होता है कि सबसे बड़ा, उसकी स्त्री महत्तरानी को कभी भंगी नहीं कहा, उसे कोई अपशब्द नहीं कहा, तथा यह न कहा कि तू गन्दा काम करता है इसलिये तेरे लिये अपशब्द कहा जायगा, ऐसा कभी हमारे समाज ने नहीं किया। जिन्होंने ऐसी सेवा का भार अपने ऊपर लिया है उनकी रक्षा का भार हमने हमारे ऊपर लिया है।

सेकिन्ड क्लॉज़ में लिखा है कि यदि कोई हरिजन एब्सेन्ट रहता है, एक दिन या दो दिन या चार दिन, कुछ भी कहीं जिक्र नहीं, एक दिन गैर हाज़िर रहने पर भी उस पर ५० रुपया जुर्माना कर सकते हैं, आपने लिखा है : "without reasonable cause, resign his employment or absent himself from his duties..."

कितने दिन एब्सेन्ट रहता है इस प्रकार का विचार आपने इसमें नहीं रखा, इसका मतलब यह हुआ कि एक दिन भी यदि कोई हरिजन काम पर नहीं आता है तो चेयरमैन ऑफ दी बोर्ड को पॉवर रहेगा कि ५० रू० का जुर्माना उस पर कर सकता है और १ महीने की सज़ा दिलवा सकता है। जिस काम को हरिजन करता है, उसकी कल्पना करते हैं तो जो आपका शौचालय है, उसमें हरिजन प्रवेश करता है। समाजवाद की बातें करते हैं, समाजवादी भाईयों से पूछता हूं कि इस प्रकार का काम करने वालों के लिये आपके पास क्या ऑल्टरनेटिव है,

(श्री दयाकृष्ण विजय)

खुद हट जायं और दूसरा काम करे, यह समाजवाद है ? गांधीजी कहते थे कि अपना काम आप करना चाहिये, खुद की टट्टी खुद साफ करें, इस प्रकार की बात आयें तो समाजवाद है, वरना आप निकृष्ट काम नौकरों से करवाना चाहते हैं, आज लालफीताशाही से नौकरशाही घिरी रहती है। तो हम देखते हैं कि कोई आदमी यदि समाजवाद की बात करता है, इसका अर्थ यह नहीं कि उसके घर पर नौकर नहीं, हमेशा उसने अपने पैसों से आदमी खरीदे हैं और उनकी सेवाओं का लाभ उठाया है, आर्थिक कमज़ोरी को पैसे से खरीदा जाता है और दुरुपयोग किया जाता है, जो मनुष्य ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है, जो नर नारायण बन सकता है, उससे टट्टी साफ कराने का काम लेते हैं; यह सबसे घृणित कार्य है। मैं बताना चाहता हूँ कि यदि वह गैरहाज़िर रहता है तो ५० रुपया उस पर जुर्माना कर सकते हैं, एक महीने की सज़ा दे सकते हैं, यह क्या न्याय है ? हमारी समाजिक व्यवस्था में हमारी संस्कृति में इस तरह की जबरदस्ती की बात नहीं मिलती, कोई इस प्रकार का उदाहरण नहीं मिलता। यदि इस प्रकार का एक भी उदाहरण मन्त्री महोदय जानते हो तो बतायें। सामन्तवाद को छोड़ दीजिये, हमारे यहां कभी किसी से जबरदस्ती काम नहीं कराया गया। हरिजन भाई जिनके पास पैसे नहीं है, अपने बच्चों के लिये पुस्तकें तक खरीदने के लिये पैसे नहीं, हरिजनों को छात्रवृत्तियां नहीं, दे दी होंगी कोई दो चार को, हरिजनों को पढ़ाने और उनकी उन्नति करने की बात करते हैं पर जब तकावी का प्रश्न आता है तो हरिजनों को तकावी नहीं देते, आप कहते हैं कि जमानत देने वाला चाहिये, जमानत देने वाला होता तो वह तकावी क्यों लेता ? कहां से लाये वह जमानत देने वाला ?........

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत शासन मंत्री) : तकावी का इससे सम्बन्ध नहीं, झाडू के लिये तकावी थोड़े ही दी जायगी।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं तो आपकी सारी उन्हीं बातों पर आ रहा हूँ। म्युनिसिपैलिटी सफ़ाई कराती है, सफ़ाई के सम्बन्ध में सारी बातचीत है उस विषय पर मैं आ रहा हूं।

मैं निवेदन कर रहा था कि कोई भी स्वीपर आपके यहां पर है वह पढ़ा लिखा नहीं है "employed by the board, in the absence of any written contract authorising him..."

जो व्यक्ति पढा लिखा नहीं है वह क्या आपसे रिटन कोन्ट्रेक्ट करेगा। वह तो जो आप लिखेंगे उस पर अपना अंगूठा लगा देगा क्योंकि उसको नौकरी करना है। उससे तो आप एक ब्लैंक चैक पर अंगूठा लगवा लेंगे जो आपने लगाना चाहा वह लगवा लेंगे और वह खुशी से लगा देगा। जिस समय उसको आप कोर्ट में खड़ा करेंगे और कहेंगे कि क्या यह तुम्हारा अंगूठा है ? तो वह यही कोर्ट में कहेगा कि यह अंगूठा मेरा ही है। जिस समय उससे यह पूछा जावेगा कि क्या तुमने इसमें लिखी हुई बातों को स्वीकार किया था ? उस समय वह यह कहेगा कि उसको कुछ मालूम नहीं कि इस कागज में क्या क्या बातें लिखी हैं। उसको तो पेट की भूख सता रही थी, उसको अपने बाल बच्चों का पेट पालना था। इसलिये उसने अपने पेट की ज्वाला को शांत करने के लिये कागज़ पर दस्तखत कर

(श्री दयाकृष्ण विजय)

दिये। मुझे मालूम नहीं कि इस खाली कागज़ में क्या लिखा है ? मुझे मालूम नहीं कि इसमें ये शर्तें लिखी हैं। यदि कोर्ट इसको कोई जुर्म समझती है तो मैं इस बात को मानता हूं कि मुझे दण्ड दे दिया जावे। मैंने अंगूठा किया है। बेचारे को सज़ा मिलेगी। या तो उस पर जुर्माना होगा या एक महीने की जेल होगी। वह सिर्फ़ इसलिये कि वह पढ़ा लिखा नहीं है। इसके अलावा नोटिस की बात है। नोटिस बिना राइटिंग के नहीं हो सकता। इसलिये उसको किसी न किसी मुंशी के पास जाना पड़ेगा। मुंशी उससे लिखाई के ८ आने के पैसे ले लेगा। अगर वह एक दो दिन की छुट्टी लेता है तो उसको नोटिस देने का मतलब यह हुआ कि उस पर लिखाई का एक रूपये का जुर्माना कर दिया। इसके अलावा आप जब कभी उसको अलग करें तो एक निश्चित रूप से यह तय करें कि इतने दिन नहीं आएगा अथवा आप जब चाहे उसको तो उसको अलग कर सकते हैं। अगर उसको छुट्टी लेनी होती है तो पहले दिन वह अपने आप आपको कह जाएगा कि फलां कारण से मैं कल नहीं आ सकूंगा। अगर वह ज्यादा दिन तक नहीं आता है तो आपको चाहिये कि उसको ज्ञान की बात बतावें कि तुमको इस प्रकार से नहीं करना चाहिये। लेकिन आपको इस प्रकार की ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिये कि अगर वह काम नहीं करता है तो उस पर ५०) जुर्माना होगा। आप ही सोचिये कि आखिर आप उसको देते क्या हैं? जिस समय हरिजन मांग करते हैं कि सर्दी के दिन हैं हमको वर्दी मिलनी चाहिये आप उनको वर्दी देते नहीं। एक साल में इनेगिनों को वर्दी दी जाती है। मुझे कोटा की याद है। हरिजनों को वर्दी दी जानी चाहिये आखिर बेचारे हरिजन जिनके पास पहिनने के लिये कपड़े नहीं आपकी सेवा के लिये सर्दी में ५ बजे उठ कर काम करने के लिये आते हैं। आप उनको देते क्या हैं फिर भी वे आपकी सेवा करने के लिये सुबह ५ बजे उठ कर आते हैं। जिस समय आप सर्दी में आराम से सोते रहते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उनके साथ इतनी कठोरता से पेश नहीं आवें, यदि हम चाहते हैं कि हमारे यहां पर सफ़ाई रहे जो हमारा स्वास्थ्य है तो आपको हरिजनों के साथ इतनी कठोरता नहीं करनी चाहिये। यदि आज आपका हरिजन काम करने के लिये इन्कार कर दें तो आपको दूसरे लोग इस काम को करने के लिये कोई नहीं मिलेंगे। आप जयपुर की ही मिसाल को ले लें। जितने नाले बहते हैं, तीन दिन तक यों ही सड़ते रहे किसी की हिम्मत नहीं कि वह झाड़ू ले कर उसको स्वयं साफ़ कर ले। आज जगह जगह हड़तालें होती हैं। उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं होता और जिस समय ज्यादा हड़तालें होती हैं तो आपने उनको एक रुपया या दो रुपये बढ़ा दिये। आपने उनके जीवन के भरण पोषण का कोई ध्यान नहीं दिया है। आपके यहां आपने जुर्माने का कॉलम रखा है। आपने यह जुर्माना रखा है क्योंकि कलम आपके हाथ में है। हमने हमेशा दूसरों को गुलामी में रखना चाहा है। हमेशा शासन करने की बात हमारे दिमाग में रखते हैं। हमारे घरों में हम नौकरों से बर्तन मजवाते हैं, झाड़ू लगवाते हैं। नौकर चाय के प्याले उठा कर लाते हैं। क्या आप इस प्रकार से नौकर रख कर समाजवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं ? मैं इन बातों को कह कर यही निवेदन

(श्री दयाकृष्ण विजय)

करना चाहता हूँ कि इसमें जो नोटिस की बात है उसको निकाल दें। इसके बजाय आप यह रखिये कि इतने दिन अनुपस्थित रहने पर इस प्रकार की कार्यवाही कर सकते हैं। जो आपने इसमें कहीं पर भी नहीं बताया है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं यही कहूंगा कि क्लॉज़ २ को निकाल देना चाहिये और जब यह क्लॉज़ २ निकल जाती है तो फिर ३ क्लॉज़ रहता ही नहीं। इसलिये २ और ३ क्लॉज़ हरिजनों पर बड़े भारी कुठाराघात हैं वे पढ़े लिखे नहीं हैं। इस आधार पर मैं यह कहता हूं कि इसको यहां से निकाल देनी चाहिये।

श्री धर्मपाल पंवार (नौहर मु०) : Substitute—

(a) 'twenty' give for fifty an (b) fifteen days for one month.

माननीय उपाध्यक्ष, इस क्लॉज़ पर मेरा भी संशोधन है। जो खंड दो में है। जहां ५० रुपये जुर्माना रखा है उसकी जगह आधा कर दिया जाए यानि २५) का रखा है। जहां पर एक महीने की सज़ा का प्रावधान रखा है उसकी जगह मैंने १५ दिन का रखा है। इसके साथ साथ मैं यह बता देना चाहता हूं कि इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे माननीय मन्त्री ने रखा है मगर जो रखा है यह ठीक नही रखा। इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं महसूस करता हूं कि उनकी मान्यता को देखते हुए थोड़ी बहुत संकटकालीन अवस्था में....

श्री उपाध्यक्ष : उनके सम्मान के रूप में रख लेना चाहिये।

श्री धर्मपाल पंवार : सम्मान होता है उसका क्या होता है। सर्दी के दिनों में जिस समय हमारे अधिकारी और दूसरे लोग रज़ाइयों से ऊंगली भी बाहर नहीं निकालते उस समय वे गन्दी नालियों को साफ़ करने में लगे रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर श्री दयाकृष्ण विजय ने काफी प्रकाश डाला है।

श्री धर्मपाल पंवार : इस पर भी उन पर जुर्माने की सज़ा रखी जाती है होना तो यह चाहिये कि जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं उनके लिये इनाम रखना चाहिये, ताकि वे समझने लगे कि यदि हम कुछ अच्छा काम करेंगे तो हमें इनाम मिलेगा। वहां पर उन पर जुर्माना रखा जाता है। इस प्रकार से यह एक भय की भावना रखी जाती है यह उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि इसको कम से कम स्वीकार किया जावेगा। दूसरा संशोधन जो लूणकरणसर से आनेवाले माननीय सदस्य ने रखा है उसका मैं समर्थन करूंगा। उन्होंने बताया है कि उनके लिये कोई अपील की गुंजायश नहीं है इसलिये कोई अपील की गुंजायश होनी चाहिये। जब चेयरमैन महोदय आॅर्डर दे देते हैं तो उसके आगे उनको कोई अपील करने की गुंजायश नहीं होती। इसलिये मैं समझता हूं कि उनको अपील करने का समय अवश्य दिया जावे।

श्री मुरलीधर व्यास, (बीकानेर सिटी): उपाध्यक्ष महोदय,

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप पहले बोल चुके हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : इस पर नहीं बोला हूं। अगर कोई हरिजन सदस्य काम करने वाला झाड़ू फेंक देता है तो उसके लिये आपने जुर्माने का प्रावधान रखा है। जहां तक मैं समझता हूं, इस धारा की कोई आवश्यकता नहीं है। इस धारा को बिल्कुल ही हटा देना चाहिये और झाड़ू फेंकने के लिये सज़ा देना इसलिये बताया है कि लोगों के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता है। मैं यह कहूंगा कि जहां पर ५०० आदमी काम करते हैं और एक आदमी झाड़ू फेंक देता है। तो ऐसी हालत में कोई असर नहीं पड़ता और उसको १५ दिन या एक महीने को सज़ा देना भी उचित नहीं होगा। एक आदमी किसी भी हालत में झाड़ू फेंक देता है तो एक आदमी के झाड़ू फेंक देने से गन्दगी हो जावेगी और दूसरों के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा यह बात भौतिक दृष्टि से नज़र नहीं आती। इसका उपयोग तो तभी हो सकता है कि एक साथ ५० आदमियों ने हड़ताल कर दी हो और झाड़ू फेंक दिये हो ऐसी हालत में यह अधिकार अपने हाथ में रख कर उनको दंड दिलाने के लिये और सज़ा दिलाने के लिये यह रखा है। सो आप दिला सकते हैं और जुर्माना करा सकते हैं। लेकिन जब इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आपके यहां पर मौजूद है। उसमें यह साफ़ है कि बिना नोटिस दिये कोई भी हड़ताल नहीं कर सकता है और काम बन्द नहीं कर सकता है, और अगर करता है। तो उसके खिलाफ़ कार्यवाही करने का आपको हक है तो फिर आपने इस धारा को इसके अन्तर्गत क्यों रखी ? अगर कई आदमी बिना नोटिस दिये अपने झाड़ू फेंक देते हैं। तो आपने जुर्माना रखा है मगर इसका कोई उपयोग नहीं है। मैं यह कहूँगा कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। इस प्रकार की तलवार लटकाकर आप उनके मूलभूत अधिकारों पर कुठाराघात करते हैं। वे लोग कानूनी तरीकों को तो समझते नहीं जब गांव के आदमी मिल कर हरिजनों को सताते हैं तो २०–३० वे मिल कर यह सोचेंगे कि गांव वालों ने हमको सताया है, इसलिये कल से काम बन्द कर दो। म्युनिसिपल बोर्ड को नोटिस तो दिया नहीं और काम बन्द कर दिया बगैर नोटिस के तो उस पर यह कार्यवाही करेंगे। यदि कोई हरिजन बिना नोटिस के काम बन्द कर देता है। तो प्रावधान मौजूद है और कार्यवाही हो सकती है। इल्लीगल स्ट्राइक करने पर जुर्माना है, सज़ा है। जो चीजें सब पर लागू हैं वे उन पर भी लागू हैं। खास हरिजनों के लिए इस प्रकार का कानून बना कर क्यों आप प्रतिबन्ध लगाते हैं ? इसका दुरुपयोग होगा। जो अशिक्षित लोग हैं, समाज द्वारा गिराये गये हैं, समाज में प्रतिष्ठित नहीं है और समाज में जो दूसरे लोग हैं। उनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार नहीं करते, प्रगतिशील जो हैं उनके लिए छोड़ दीजिये आम तौर पर समाज में प्रतिक्रियावादी लोग हैं उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। छोटी सी बात को लेकर यदि हरिजन काम पर नहीं आया तो झट आपसे उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं वे इतने अज्ञानी हैं कि उनको पढ़ना लिखना आता नहीं, लिखने के लिए कुछ देते नहीं, वे लिख सकते नहीं, किसी कारण वश काम पर नहीं आ पाये तो झट से कहेंगे कि इस कार्यवाही के लिए क्यों न जुर्माना कर दिया जाय ? और करोगे। कोर्ट में जावेंगे। वे जुर्माना आदि कर सकते हैं। इसके लिए इन्डस्ट्रियल ट्रिब्युनल एक्ट बना हुआ है, लेकिन इसमें जो यह प्रावधान रखा है वह हरिजनों को केवल गिराने के लिए ही है। उससे उनके ऊपर कुठाराघात

(श्री मुरलीधर व्यास)

होगा तथा इस प्रकार रखा नहीं हो सकेगी। जो रिजर्व सीट्स से आने वाले सदस्य हैं उनको आप बुलाते और पूछते कि कहां तक यह ठीक है या नहीं। वे भी अपनी राय देते और मैं समझता हूँ कि यदि उनकी राय ली जाती तो वे जरूर यह राय देते कि ऐसा प्रावधान नहीं रखा जाय। उनको तो तब बुलाया जाता है कि हाथ रखना कुर्सी जाने वाली है। जब उनसे सम्बन्धित कानून बनाने का सवाल आता है तो उनको पूछा तक नहीं जाता। इस प्रकार की चीजें उनसे पूछी जानी चाहिये थी। बुलाते तो कहते कि इस प्रावधान को कोई मंजूर नहीं करेगा और यह इसकी भावना के विपरीत भी है। सम्मानित सदस्यों ने खुले लफ्ज़ों में तो नहीं कहा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि ठीक नहीं समझता। आप यह समझावें कि इसको इस कारण से रखा है कि यह लाभ हो जावेगा। एक व्यक्ति अगर कल काम पर नहीं आता है बिना नोटिस दिये चला जाता है, किसका स्वास्थ्य बिगड़ जावेगा। आप कहते हैं कि यह लोगों के स्वास्थ्य के लिए रखते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति का स्वास्थ्य नहीं बिगड़ा तो सब का नहीं बिगड़ेगा। यदि कोई हरिजन गैर कानूनी कार्यवाही करता हैं। तो उसके लिए इन्डस्ट्रियल ट्रिब्युनल एक्ट मौजूद है। इसलिए यह क्लॉज़ हटा दिया जावे।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : काफी बहस हो चुकी है इस पर। Much has been said on both the sides.

श्री गिरधारीलाल : हरिजनों का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : May I know whether you have moved an amenment

श्री गिरधारीलाल : अमेन्डमेंट है,

श्री उपाध्यक्ष : Then where is the right ? You have moved an amendment and you have spoken on the issue.

श्री गिरधारीलाल : थोड़ा सा बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : As a matter of fact you have lost the right. You will please resume your seat.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ ७६ के सम्बन्ध में कुछ गलतफ़हमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है और मैं यह बात जवाब देने के लिए नहीं कहता हूं कि किन्तु जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। वह कैसे की जा रही है कि हरिजनों के साथ इस क्लॉज़ से बड़ा अत्याचार, अन्याय, जुल्म होने वाला है, जैसे कि जुल्म करने वाले इधर ही बैठे हैं। और उधर वाले प्रोटेक्शन देने के लिए बैठे हैं। इस प्रकार कोशिश की जा रही है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यह ऑलरेडी कानून में है और उसका अमल हो रहा है। माननीय सदस्य ने कहा कि इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एक्ट में मौजूद है तो फिर क्यों रखा जाता है? कहा गया कि इसका मिसयूज़ होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने कोई मिसाल ऐसी नहीं दी कि कहां इसका

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

मिसयूज़ हुआ है । कहां जाकर हरिजनों के साथ अन्याय हुआ कोई मिसाल नहीं दी गई जिससे कि इसको न रखा जावे ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : एग्ज़ाम्पल तो अजमेर का दिया गया है ।

श्री मुरलीधर व्यास : कई एग्ज़ाम्पल दिये गये हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अजमेर का अलग है । टाउन म्युनिसिपल एक्ट का है वह अलग है । Ajmer Municipal Board is not governed by the Town Municipalities Act of Rajasthan.

तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि दफ़ा ७६ पर विचार करें कि ज्यादती करने की बात क्या है ? यह प्रावधान रखा है कि म्युनिसिपल बोर्ड किसी हरिजन को हटाना चाहे तो वह उसको एक महिने का नोटिस दे देगा । इसके साथ ही यह प्रोविज़न रखा है कि हरिज़न भी अगर चाहे तो एक महीने का नोटिस देकर छोड़ सकता है । दूसरी तरफ यह दलील दी जाती है कि नोटिस नहीं देगा तो उस पर एतराज क्यों ? हम कहेंगे कि जाना है तो नोटिस देकर चले जाओ । आपकी मर्ज़ी हो तब तक रहें और बिना मर्जी के ही चले जाओ; यह तो उचित नहीं है । यदि हमने यह प्रावधान रखा होता कि म्युनिसिपल बोर्ड कभी भी हटा दे, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है यह कहना और आपत्ति रखना तो ठीक हो सकता था । लेकिन हमने तो दोनों को ही समान स्तर पर रखा है । म्युनिसिपल बोर्ड को और हरिजनों को । म्युनिसिपल बोर्ड को आवश्यकता न हो तो उसको एक महीने का नोटिस दे दे और हरिजन जाना चाहे तो एक महीने का नोटिस दे दे ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : तो फिर ऐसा ही दूसरी सर्विसेज़ के लिए कानून क्यों नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उनके लिए नोटिस की आवश्यकतानहीं है । उनको तो मिसकन्डक्ट में डिस्चार्ज किया जा सकता है । जब एम्प्लॉयर और एम्पलाई दोनों को ही समान स्तर पर रखा है । तो फिर आपत्ति कहां हो सकती है । राजस्थान के अलावा और प्रान्तों के कानून हैं उनमें तो दो तीन महिने का समय रखा है । जब इस क्लॉज़ पर विचार हुआ तो एक महिने का किया गया है । माननीय सदस्यों ने रखा है कि ५०) की जगह २५) और दो महीने की जगह एक महीना कर दिया जाय । आप यह कहें कि उतना जुर्माना हो जायगा, मजिस्ट्रेट उतना जुर्माना कर देगा, यह बात नहीं है, यह तो टू दी एक्स्टेन्ट रखा है, गुण दोष को देख कर ही तो मजिस्ट्रेट जुर्माना करेगा । किसी कानून में जुर्माना ५००) का प्रोवाइड किया है तो टू दी एक्सटेन्ट है, कम किया जाता है । इसलिए इस सारी चीज़ को मजिस्ट्रेट की मर्जी पर छोड़ दिया गया है । यह म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकार में नहीं रखा है । ऐसे केसेज़ को कवर करने के लिए जहां म्युनिसिपल बोर्ड में पांच-सात हरिजन ही हैं, जहां लेबर यूनियन बनी हुई नहीं है । लेकिन जहां है वहां इन्डस्ट्रियल ट्रिब्युनल एक्ट के अनुसार कार्यवाही होगी । आज आये और बिना नोटिस के ही चल दिये, म्युनिसिपल बोर्ड किस प्रकार सफ़ाई की व्यवस्था करेगा । तो यह केवल छोटे २

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

म्युनिसिपल बोर्ड को कवर करने के लिए है। राजस्थान भर के लिए यह कानून बना रहे हैं। केवल माननीय सदस्य के वार्ड के लिए नहीं। मैं समझता हूं कि इसमें कोई ज्यादती नहीं है और आज तक इसका अमल राजस्थान में होता रहा है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : On a point of explanation Sir, एक लाइन है इसमें "...absents himself from his duties without giving one month's notice...." एक दिन के लिए भी वह गैर हाज़िर रहता है तो क्या उसको स्वप्न आ जावेगा एक दिन पहले कि मैं कल गैर हाजिर रह रहा हूं इसलिए वह नोटिस कैसे दे देगा एक महीने का ?

एक महीने पहले वह कैसे जान सकेगा ? यदि आप नौकरी छोड़कर जाना चाहते हैं तो दूसरा इन्तज़ाम करने के लिये एक महीने का नोटिस दीजिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वैसे तो छुट्टी दी जाती है। इसमें कोई रुकावट नहीं है। पर बोर्ड की नौकरी छोड़कर जाना चाहता है तो यह बात है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : एब्सेन्ट का मतलब नौकरी छोड़ना नहीं है। "Absents himself from his duties without giving one month's notice" Absence can mean one day's absence also, leave also ....यह सारी चीजें हैं तो इस पर विचार करिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एब्सेन्ट को पॉइन्ट करने के लिए ही तो रक्खा है। और उनमें से दस में से खाली दो नहीं आये तो एब्सेन्ट तो हो गया, बिना छुट्टी के गैर हाज़िर हो गया। इसको रोकने के लिये यह प्रावधान रखा है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सिंगल डे की एब्सेन्स के लिए क्या उसको कोर्ट में चालान कराया जावेगा ? यह भी तो अच्छा नहीं रहेगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक दिनकी एब्सेन्स के लिये नहीं है। यह तो इमर्जेन्सी वगैरह के लिये है। इसका कहीं भी मिसयूज़ नहीं हुआ है। मैंने अपने जवाब में इसके बारे में काफ़ी अर्ज कर दिया है। इसलिये यह क्लॉज़ स्पष्ट है।

एक आॅग्युमेन्ट और रखा गया, बिना नोटिस दिये हटा दिया तो क्या होगा। इस अमेन्डमेन्ट को मैं स्वीकार करता हूँ और दूसरा २५) वाला और १५ दिन की सजा वाला अमेन्डमेंट भी स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पहले कौनसा स्वीकार कर रहे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : १६० पूरा ही ओमिशन'का। दूसरा और जुरमाने का पचास से पचीस का है वह मान लिया है और महीने का जो सजा का प्रोविज़न था वह १५ दिन का मान लिया है। माननीय सदस्य आधा करना चाहते हैं तो इसमें मुझे आपत्ति नहीं है। यह तो इमर्जेन्सी पॉवर का प्रोविज़न है।

श्री गिरधारीलाल : एक महीने की जगह १५ दिन रक्खा है न ?

श्री उपाध्यक्ष : जी हां, और ५०) की जगह २५) भी कर दिया है। और दोनों चीजें भी कम्पलसरी नहीं हैं।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : On a point of clarification Sir. He has not clarified one point. He did not clarify the most reprehensible part of this clause. This other part, the giving of notice on either side, is not so reprehensible as the Part where you have taken a statutory right to prosecute convict him which is never done. If he absents himself you can recover any amount from his provident fund, gratuity etc. but you should not prosecute or convict him. This is the most reprehensible part of the clause.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : प्रोविडेन्ड फण्ड का प्रोविज़न म्युनिसिपल बोर्ड में नहीं है। अब आप नौकरी छोड़कर जाना चाहते हैं तो नोटिस देकर चले जाइये, दिक्कत कहां है। रीज़न देने में क्यों इन्कार करते हैं? यह तो मजिस्ट्रेट के देखने की बात है। अगर रीज़नेबल है तो मजिस्ट्रेट छोड़ भी सकता है। मैं कहता हूं इसका मिसयूज़ नहीं हुआ है। फिर गलतफहमी कहां है?

श्री पी० के० चौधरी : गलतफ़हमी का सवाल नहीं है। यह कोई कम्युनिस्ट कन्ट्री तो है नहीं, वहां कन्विक्ट किया जाता है एब्सेन्टी को। Give a single instance of a Municipality where you have these powers.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : और बहुत से ऐसे प्रोविन्सेज़ हैं, यू. पी. का एक्ट बताता हूं, उसमें है। फिर इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में है। इसका तो नहीं कहते?

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें तो देने का है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीश प्रसाद माथुर।

प्रश्न यह कि क्लॉज़ ७६ पर श्रीजगदीश प्रसाद ने जोसंशोधन प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

डॉ० बहादुरसिंह

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन डॉ बहादुर सिंह ने प्रस्तुत किया वह स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री गिरधारीलाल।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री गिरधारीलाल ने क्लॉज़ ७६ पर प्रस्तुत किया वह स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी : I may be permitted to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने प्रस्तुत किया है, ७६ पर उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my motion.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने प्रस्तुत किया वह स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री भीमसेन

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भीमसेन ने प्रस्तुत किया वह स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन ७६ पर श्री दयाकृष्ण विजय ने प्रस्तुत किया उसको स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री धर्मपाल पंवार

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री धर्मपाल पंवार ने प्रस्तुत किया वह स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७६ को संशोधित रूप से स्वीकार किया।

(स्वीकृत)

संशोधित क्लॉज़ ७६ विधेयक का अंग बना।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, सेकिन्ड शिड्यूल में मेरा इतना अमेंन्डमेंट है कि यह जो २३८ क्लॉज़ नोटिस का रक्खा है इसमें से शब्द 'ऑक्ट्राय' को ओमिट करने का मेरा संशोधन है इसको स्वीकार किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष:प्रश्न यह है कि शिड्यूल फर्स्ट स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

Page No.88

(श्री उपाध्यक्ष)

शिड्यूल एक स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन शिड्यूल २ पर मन्त्री महोदय ने प्रस्तुत किया वह स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि शिड्यूल दो संशोधित रूप से स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

शिड्यूल दो संशोधित रूप से स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह कि शिड्यूल तीन चार पांच और छः स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

शिड्यूल स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि शिड्यूल ७ स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

शिड्यूल सात स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ए शार्ट टाइटिल प्रिम्बल इत्यादि स्वीकार किये जावें।

क्लॉज़ ए शार्ट टाइटिल प्रिम्बल इत्यादि स्वीकार किये गये।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : शार्ट टाइटिल ५७ और ५६ ?

श्री उपाध्यक्ष : यह टाइप की मिस्टेक है

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : इसमें लिखा हुआ है राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज़ बिल १६५७ क्या यह १६५७ ही रहेगा या १६५६ होगा ?

श्री पी० के० चौधरी : Will this Act be called the Rajasthan Municipalities Act, 1957 or 1959 ?

श्री उपाध्यक्ष : It will be called the Rajasthan Municipalities Act, 1959. This is clerical.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ बाई क्लॉज़ तो यह आज पास हो चुका है, थर्ड रिडिंग इसका कल रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष : We are commencing the third reading today.

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : हमें अमेन्डमेन्टस आदि देखने पड़ेंगे कल रखा जाय, तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आज जो माननीय सदस्य उपस्थित हैं वे आज ही आरम्भ कर दें।

श्री गिरधारीलाल : इस बिल पर जो

(श्री गिरधारीलाल)

भी अमेन्डमेन्ट हुए हैं उन सबको देखना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि...

श्री उपाध्यक्ष : If there is a motion of adjournment, leave it to me. But if you want to continue the debate you may do it, or you may give a chance to Shri Mukti Lal.

श्री गिरधारीलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ वाइज़ विचार तो हमने इस बिल पर आज खत्म कर दिया है इस समय इसका थर्ड रीडिंग चल रहा है मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को पास न करके दुबारा जिन धाराओं में खामी रह गई है उस पर सदन फिर से विचार करे।

श्री उपाध्यक्ष : What is the motion ? Please be direct to the issue, what you want after all. Do you want to place a moton of adjournment ?

एक माननीय सदस्य : आप बोलना क्या चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : Then please be clear. Don't make a motion of adjournment, otherwise there is every possibility that the House may not adjourn.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : हाउस एडजोर्न कराना चाहते हैं।

श्री गिरधारीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हाउस को कल तक के लिये एडजोन कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Is it the sense of the House ?

कुछ माननीय सदस्य : Yes Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Then we now adjourn to meet tomorrow at 11 A.M.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ३ बजकर ४४ मिनिट पर बुधवार दिनांक १५ अप्रेल १९५६ के ११ म० पू० तक के लिये स्थगित हुई)।

संक्षिप्त-विवरण

(मंगलवार १४ अप्रैल, १९५९)

स्कम्भ

स्कम्भ

तरांकित प्रश्नोत्तर

७३१९

लावारिस, अपंग व टी० बी० के पेशेन्टस को सहायता ।

माध्यमिक-शाला लूणकरणसर का उच्चतर विद्यालय में परिवर्तन ।

बांसवाड़ा ज़िले के अध्यापकों की ग्रेड ।

गोचर भूमि का पंचायतों को अधिकार ।

सरकिट हाउसेज़ की बकाया रकम ।

महाराजा कॉलेज की एम० ए० कक्षाओं में समाज शास्त्र का शिक्षण ।

कोटा नगर के नॉन गजेटेड राज्य कर्मचारियों को हाउस रेन्ट ।

अध्यापकों के स्थानान्तरण करने के नियम ।

माध्यमिक शालाओं के प्रधानाध्यापक की निर्धारित योग्यताएं ।

सरदार हाई स्कूल छात्रावास के ठिकाने के समय के नौकरों को सरकारी नौकरी में लिया जाना ।

जागीर पुनर्ग्रहण के सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री श्री नेहरू की राय ।

कोटपुतली के प्राइमरी स्कूलों के हरिजनों का बकाया वेतन ।

निर्माण कार्यों में श्रमदान ।

श्री सुगनसिंह तहसीलदार सैटर-मैन्ट लेवी डिपार्टमेन्ट का तबादला ।

संस्कृत परीक्षोत्तीर्ण अध्यापकों को मेट्रिक ग्रेड ।

भूतपूर्व धौलपुर राजा के बेड़ा ठकुराम व सिलेदारों को पेन्शन ।

प्राथमिक शालाओं तथा माध्यमिक शालाओं में बेसिक शिक्षा को प्रोत्साहन ।

खानपुर हाई स्कूल की इमारत के निर्माण में जनता द्वारा दी गई धन राशि तथा श्रमदान ।

बस्सी विकास खंड में नर्स ।

एम० डी० ओ० पर्बतसर के खिलाफ़ हरे पेड़ काटने की शिकायत ।

किशनगढ़ सब-डिविज़न में कोर्ट ऑफ वार्डस् से रिलीज़ हुए ठिकानों की जमा रकम ।

पाली शहर में मजदूरों के लिए क्वार्टर ।

विशेषाधिकार प्रश्न ७३६०

राजस्थान औद्योगिक न्यायाधिकरण जिसे हाल ही में उच्च-न्यायालय द्वारा शक्ति अतीत (ultra vires) करार दिया गया है, को वैद्य रूप दिये जाने से सम्बन्धित सरकारी निर्णय की जानकारी सदन के पूर्व श्रम सलाहकार परिषद् को दिये जाने के सम्बन्ध में श्री पी० के० चौधरी तथा श्री मुरलीधर व्यास के विशेषाधिकार प्रश्न को प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई ।

विधायी कार्य

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १९५७ । ७३७१

आज भी उपरोक्त विधेयक के स्थगित खण्डों पर विचार किया गया ।

खण्ड ६, ५६, ७२, ७६, २३५, २५१, २६१ एवं अनुसूची २ संशोधित रूप में स्वीकार किये गये ।

खण्ड ६ ए नया जोड़ा गया ।

स्वीकृत खण्ड १२, १३, २३ एवं २६ पर आज पुनर्विचार किया जाकर उनमें संशोधन किये गये एवं उन्हें स्वीकार भी किया गया । खण्ड ६१ अनुसूची १, ३, ४, ५, ६, ७ एवं खण्ड १ आदि बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुये ।

बुधवार, दिनांक १५ अप्रेल, १९५९ की कार्य सूची ।

स्थगन प्रस्ताव

१ जालोर ज़िले के सांचोर क्षेत्र में पशु मेला न लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति से सम्बन्धित स्थगन प्रस्ताव ।

२ राजस्थान नगरपालिका विधेयक, ५७

(वाद विवाद एवं पारण)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १०२६ का उत्तर देखिये)

विकास खण्ड डूंगरपुर में पीने के पानी के अधूरे पड़े हुए कुओं की सूची

क्रम संख्या	जगह का नाम
१	डोजा जूना घाटा
२	डोजा पीपला वाला
३	सूराता छीजा फला
४	राजगरी रावजी
५	वैयोडा
६	चोकी
७	चोकी
८	चोकी
९	वीरी
१०	सदलई
११	कलालीया
१२	टोरनीला नया कुंआ दूसरा
१३	डेव सोभनाथ
१४	घोड़ी आमली
१५	ओडवाडीया हरीजन
१६	बड़ाडूंगरा
१७	हथाई
१८	पगारा नया
१९	डाबेला
२०	मानपुर
२१	पूनाली हरिजन
२२	खेमारु फलावाला
२३	मेगावाला वसी

२४ नरनीया

२५ जोतरी

२६ भिलवा पंचेला

२७ पोहरी खातुरात

२८ बेडा

२६ माल

३० मेताली

नोट :—ये कुएं खुदाई के बाद काफी गहराई तक पानी न आने या सख्त चट्टान आ जाने या खुदाई में कठिनाई होने के कारण अधूरे पड़े हुए हैं न कि निर्धारित सीमा में जन सहयोग न मिलने के कारण ।

परिशिष्ट [७५०३

विकास खण्ड सिमलवाड़ा में अधूरे पड़े हुए कार्यों की सूची

क्रम संख्या	कार्य	गांवों का नाम
१	पानी पीने का कुंआ	सोहनवालदी
२	स्कूल भवन	दरयाती भेरावाड़ा
३	पानी पीने का कुंआ	बाछेरा जागतन, आसपुरा
४	,,	सांकरसी
५	,,	डुंका
६	,,	डाहेला, कसारिया
७	,,	लामाफीफाला, नवाधारा, नवा तालाब
८	स्टेप वेल (कुंआ)	कसेरपुरा

नोट :—कृषकों को कृषि के कार्यों से पूरा अवकाश न मिलने के कारण यह कार्य अधूरे पड़े हुए हैं।

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १०३८ का उत्तर देखिये)

किशनगढ़ उप खंड, जिला अजमेर में कोर्ट ऑफ वार्डस के प्रबन्ध में जो ठिकाने सन् १९५२ से सन् १९५८ में मुक्त किये गये उनकी सूची।

संख्या	नाम जागीरदार	नाम जागीर	ठिकाना मुक्त होने पर जागीरदार को दी गई रकम व N.S. cs. रु०	N.S. cs.	योग
१	२	३	४	५	६
१	श्री प्रतापसिंह	रलावता	–	–	–
२	श्री चैनसुख कवि	किशनगढ़	१६५॥≈॥	१००)	२६५॥≈॥
३	श्री मुलीमनोहर जी	किशनगढ़	–	–	–
४	श्री सुरतसिंह	किशनगढ़	–	–	–
५	श्री दौलतराम	कुचील	–	–	–
६	श्री श्योसिंह	खातोली	३२८।-		३२८।-
७	श्री उदयसिंह	खातोली	३८२।)	–	३८२।)
८	श्री सुरजभाणसिंह	खंडाच	–	–	–
९	श्री सीतारामसिंह	खंडाच	२०३-)	–	२०३-)
१०	श्री कानसिंह	खेडा कर्म सोतान	–	–	–
११	श्री नारायणसिंह	चांदियावास	–	–	–
१२	श्री तवक्कलअली पीर	चांदियासास	–	–	–
१३	श्री केशरसिंह	चांदियावास	–	–	–
१४	श्री मानसिंह	चांदियावास	–	–	–
१५	श्री गणपतसिंह	टीहरी	८५॥-।	–	८५॥-।

१	२	३	४	५	६
१६	श्री मूलसिंह	टीहरी	३२८≶।	–	३२८≶।
१७	श्री हिम्मतसिंह	टीहरी	६८७=	–	६८७=
१८	श्री नाहरसिंह	टीहरी	–	–	–
१६	श्री करणसिंह	टीहरी	–	–	–
२०	श्री बंजरगसिंह	टीहरी	३०६।।)।।	–	३०६।।)।।
२१	श्री इशरदान	डींडवाडा	–	–	–
२२	श्री रामचन्दरसिंह	नबू	–	–	–
२३	श्री विजयसिंह	बडगांव	–	४००)	४००)
२४	श्री मदनसिंह	बडगांव	–	–	–
२५	श्री करणसिंह	उदयपुरिया	३४६=।।	–	३४६=।।
२६	श्री रामसिंह	मौस्यास	–	–	–
२७	श्री रणजीतसिंह	मंवाडा	८७२।)।।	–	८७२।)।।
२८	श्री भवानीसिंह	भुंडोलाव	–	–	–
२६	श्री बनेसिंह पदमसिंहोत	भुंडोलाव	१२।–	–	१२।–
३०	श्री कानसिंह	मंडोलाव	५४।।।=।।	–	५४।।।=।।
३१	श्री जसवन्तसिंह	भुंडीलाव	२३३।।।=।।	–	२३३।।।=।।
३२	श्री बनेसिंह कल्याणसिंहोत	,,	८२।।।=।।	–	८२।।।=।।
३३	श्री बालसिंह	,,	३६५–।।।	–	३६५–।।।
३४	श्री भोलूसिंह	,,	२८३।।–	–	२८३।।–
३५	श्री पनेसिंह	,,	–	–	–
३६	श्री नारायणसिंह	,,	४३४।=।।	–	४३४।=।।
३७	श्री गोरधनदास	मिण्डयाणी	३८६–।।।	–	३८६–।।।
३८	श्री नन्दकुमारसिंह	भुंडोती	३२६=	२००)	५२६=

१	२	३	४	५	६
३६	श्री किशनसिंह	सुरतपुरा	५१२॥)	–	५१२॥)
४०	श्री कानसिंह	,,	–	–	–
४१	श्री कल्याणसिंह	सांवतसर	–	–	–
४२	श्री रफीक अहमद	,,	–	–	–
४३	श्री जोरसिंह	तोलायाल	१३३।॥)	–	१३३।॥)
४४	श्री बालसिंह	कालावाड	–	–	–
४५	श्री नन्दुसिंह	कांकलवाडा	–	–	–
४६	श्री भंवरसिंह	,,	४८)।		४८)।
४७	श्री रामनाथसिंह	गूंदली	४०४।)।	–	४०४।)।
४८	श्री रामचरणसिंह	,,	२८५।॥≥॥	–	२८५।॥≥॥
४६	श्री उम्मेदसिंह	झाडोल	१५७६।)।॥	५००)	२०७६।)।॥
५०	श्री देवीसिंह	,,	–	–	–
५१	श्री नन्दुसिंह	,,	३५)।	–	३५)।
५२	श्री दलीपसिंह	फलौदा	५०१।॥–।	–	५०१।॥–।
५३	श्री बालसिंह	डांग	६८॥=	–	६८॥=
५४	श्री भूरसिंह	,,	–	–	–
५५	श्री मदनसिंह	,,	१८६।=।	–	१८६।=।
५६	श्री देवीसिंह	डांगड़ा	–	–	–
५७	श्री पदमसिंह	देवपुरी	–	–	–
५८	श्री सवाईसिंह	दोथली	६०४॥=॥	२६००)	३५०४॥=॥
५६	श्री पीरखां	पच्चीपला	१८८।≥	–	१८८।≥
६०	श्री सवाई खां गुलाबखां	,,	१४६।॥–॥	–	१४६।॥–॥
६१	श्री देवीसिंह	भाला	३७६॥≥॥	–	३७६॥≥॥

१	२	३	४	५	६
६२	श्री देवीसिंह	भोगादीत	७६॥–	–	७६॥–
६३	श्री गुमानसिंह	,,	७७॥)	–	७७॥)
६४	श्री शिवबक्स	,,	–	–	–
६५	श्री देवीसिंह रुपसिंह	मोडी	७७३)८४	–	७७३)८४
६६	श्री गणपतसिंह	मोडी	१६१२॥)।	–	१६१२॥)।
६७	श्री बाघसिंह	भंडावरिया	–	–	–
६८	श्री नाथूसिंह	मुंडोती	१४६६॥≥॥	–	१४६६॥≥॥
६६	श्री गुमानसिंह	,,	२१८≥॥	–	२१८≥॥
७०	श्री विजयसिंह रघुनाथपुरा	रघुनाथपुरा	–	–	–
७१	श्री करणसिंह	भदूण	–	–	–
७२	श्री चन्दरसिंह	नोसल	–	–	–
७३	श्री धनेसिंह	,,	२२२॥–॥	–	२२२॥–॥
७४	श्री कल्याणसिंह	,,	–	–	–
७५	श्री सुरजभाणसिंह	पनेर	–	–	–
७६	श्री मदनसिंह	,,	–	–	–
७७	श्री मंगेजसिंह	मोरडी	७५७॥–	–	७५७॥–
७८	श्री नारायणसिंह	,,	–	–	–
७६	श्री सुमेरसिंह	मानपुरिया	१८५॥≥	–	१८५॥≥
८०	श्री मानसिंह	मानपुरिया	–	–	–
८१	श्री मदनसिंह	सलेयाबाद	–	–	–
८२	श्री लक्ष्मणसिंह	रोड़ास	–	–	–
८३	श्री लखपतसिंह	बासडा	५४६≥	–	५४६≥
८४	श्री चावडदान	करडाला	–	–	–

१	२	३	४	५	६
८५	श्री जोधसिंह	हिंगोनिया	–	–	–
८६	श्री देवीसिंह	हीगतंडा	–	–	–
८७	श्री उदयसिंह	,,	–	–	–
८८	श्री मदनसिंह	,,	–	–	–
८९	श्री बालसिंह	,,	–	–	–
९०	श्री रामसिंह	,,	–	–	–
९१	श्री गुलाबसिंह	,,	–	–	–
९२	श्री गोपालसिंह	,,	–	–	–
९३	श्री नवलसिंह	,,	–	–	–
९४	श्री देवीसिंह	चंडाली	–	२००)	२००)
९५	श्री नाथूसिंह पृथ्वीसिंहोत	चंडाली	–	–	–
९६	श्री फोजसिंह दुल्हासिंह	,,	३८२॥≡।	–	३८२॥≡।
९७	श्री नाथुसिंह हजुतसिंहोत	,,	–	–	–
९८	श्री भारतसिंह	,,	–	–	–
९९	श्री भैरूसिंह	इजगरी	२७४)	–	२७४)
१००	श्री भीमसिंह	,,	–	–	–
१०१	श्री तेजसिंह	,,	–	–	–
१०२	श्री किशोसिंह	खीरियां	१२८४॥–॥	–	१२८४॥–॥
१०३	श्री रामसिंह	,,	–	–	–
१०४	श्री बृजमोहनदास	,,	५०४॥)	–	५०४॥)
१०५	श्री नवरंगसिंह	,,	–	–	–
१०६	श्री लछमनसिंह	,,	–	–	–
१०७	श्री भीमसिंह	,,	१६–॥	–	१६–॥

१	२	३	४	५	६
१०८	श्री बालसिंह	स्यार	–	–	–
१०६	श्री केसरसिंह	,,	–	–	–
११०	श्री मूलसिंह	,,	–	–	–
१११	श्री गुलाबसिंह	,,	–	–	–
११२	श्री संग्रामसिंह	स्यार	२६)	–	२६)
११३	श्री गोपालसिंह	रामपाली	–	–	–
११४	श्री बनेसिंह	जालिया	१४५I–I	–	१४५I–I
११५	श्री नाथुसिंह	,,	–	–	–
११६	श्री नारायणसिंह	अलाम्बु	–	–	–
११७	श्री मदनसिंह	,,	–	–	–
११८	श्री धुलसिंह	बकवा	–	–	–
११६	श्री डुंगरसिंह	सांभला	–	–	–
१२०	श्री शिवसिंह	फतेगढ	–	–	–
१२१	श्री गंगासिंह	सायून्दडा	७७५I=III	–	७७५I–III
१२२	श्री भवानीसिंह	हरपुरा	१२५I–	–	१२५I=
१२३	श्री बालसिंह	कसाण	४५६I–	–	४५६I–
१२४	श्री बेनसिंह	मानपुरिया	–	–	–
१२५	श्री सवाईसिंह	धानया	–	–	–

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १०२५ का उत्तर देखिये)

List showing the names of Headmasters with qualifications and pay grades of Middle Schools under Jaipur west Inspectorate.

S. No.	Name of Head master	Name of M. S.	Qualifications.	Pay & Grade.
1.	Shri Chhaganlal	Amber	M. A. A. VTC.	110/- 90-5-130
2.	Shri	Khorashamdas		
3.	Shri Bhanwarlal	Itawabhopji	Inter AVTC	90/- 60-4-80-5-100
4.	Shri Tulsi Ram	Govindgarh	B. A. AVTC.	115/- 70-4-5-140
5.	Shri Lalu Naraian	Khejroli	Inter STC.	82/- 70-4-5-100
6.	Shri Badri Narain	Hastera	Matric VTC.	80/- 50-4-5-80
7.	Shri Banshidhar	Jahota	BA. AVTC.	90/- 70-4-5-100
8.	Shri Laxmi Narain	Harmara	BA. STC.	90/- ,,

1	2	3	4	5
9.	Shri Shridhar sharma	Samod	BA.	85/- Fix. 70-4-90
10.	Shri Shanti Swaroop	Morija	BA. AVTC.	90/- 70-4-5-125
11.	Shri Kashinath	Ghomu	BA.	130/- 90-5-130
12.	Shri Murarlilal	Niwana	Matric AVTC.	80/- 60-4-5-100
13.	Shri Abdul Aziz	Shivdaspura	Inter AVTC.	95/- 70-4-5-100
14.	Shri Ramchandra Verma	Kotkhawda	BA. STC.	90/- 70-4-5-140
15.	Shri Bhanwarlal	Mozamabada	MA.	90/- 70-4-90-5-100
16.	Shri Radha Ballabh	Sakhoon	Inter BSTC	82/- 70-4-5-140
17.	Shri Prabhu Narain	Dudu	Inter STC	75/- 50-4-5-80
18.	Shri Hazarilal	Phagi	BA. AVTC.	95/- 70-4-5-140
19.	Shri Surajmal	Madhorajpura	Inter AVTC.	130/- 70-4-5-140
20.	Shri Prem Nath	Renwalmaji	BST.	95/- 70-4-5-140
21.	Shri Ramchandra	Manpur macheri	BA.	116.87 N.p. 75-5-110
22.	Shri Udai Chand Yadav	Andhi	Inter BSTC.	68/- 60-4-5-130
23.	Shri Madanlal	Achrol	BA. CT.	100/- 70-4-5-140

1	2	3	4	5
24.	Shri RatiRam	Bhanpur	Inter VTC.	80/- 50-4-5-140
25.	Shri Alladin Khan	Naila	BA. STC.	80/- 70-4-5-125
26.	Shri Shyam Beharilal	Beelwari	Inter CT.	95/- 70-4-5-100
27.	Shri Prabhulal Sharma	Dhanota	Inter VTC.	90/- 70-4-5-100
28.	Shri Bhairon bux	Khoraladkhani	BA. VTC.	82/- 70-4-5-100
29.	Shri Ramkaran	Mairh	MA. Prev. STC.	95/- 70-4-5-140
30.	Shri Mool chand	Saiwar	Matric BSTC.	58/- 40-2-60/50-4-70
31.	Shri Kalyan Sahai	Radawas	BA. Sahitya ratan	70-Fix. 70-4-90
32.	Shri NathuSingh	Dhobali	Inrer AVTC.	95/- 70-4-5-140
33.	Shri Gaindalal	Antela	BA. STC.	35/- 50-4-70.-5-80
34.	Shri Badri Prasad	Banethi	BA. STC.	90/- 70-4-5-140
35.	Shri Ram Kumar	Nereheda	BA. STC.	82/- 70-4-5-140
36.	Shri Vishambhar	Pragpura	Inter?A. VTC.	115/- 70-4-5-140
37.	Shri Rameswar Prasad	Saderpura	BA. VTC.	45/-70 4-5-100

1	2	3	4	5
38.	Shri Murarilal	Rajnota	BA. Sahitya ratan	63/-50-2-3-75
39.	Shri Murlidhar	Badhal	Inter AVTC.	95/- 70-4-5-140
40.	Shri Sarawan Kumar	Bagawas	BA. VTC.	85/-70-4-5-100
41.	Shri Govind Sahai	Higonia	Inter STC.	95/- 70-4-5-140
42.	Shri Laxmi Narain	MandaBhimsingh	Inter STC.	90/- 70-4-5-140

JAIPUR EAST.

S.N.	Name of Headmaster	Place of posting	Qualifications	Dt. of 1st appt.	Date of posting at present place	Pay and Grade
1.	Shri Moti Ram Verma	Govt, Middle School, Bagru	Inter, CT. BA.	1-2-43	7-5-55	79/70-4-90-5-100
2.	,, Devisahai Sharma	,, Badiyalkalan	Inter AVTC,	9-8-34	11-11-53	90/-70-140
3.	,, Prem Narain Mathnr	,, Bassi	BA. AVTC.	30-4-47	19-9-57	105/-70-140
4.	,, Laxmi Narain	,, Bhandarej	BA.	16-7-46	13-9-56	90/-70-100
5.	,, Hari Narain Jain	,, M.S. Darbar	BA. BT.	7-12-45	10-4-58	180/-100-200
6.	,, Madan Singh Rathore	,, Ghat Gate	Interr AVTC.	3-1-44	3-9-56	120/-70-140
7.	,, Tarachand Choubey	, GudhaKatla	Inter	8-4-26	28-5-45	90/-60-100
8.	,, Seomal	,, Gudhalia	Inter STC	1-9-51		70-140
9.	,, Mohan lal Sharma	,, Jatwara	Inter VTC	3-8-44	1-4-51	82/-60-100
10.	,, Ramsharan Das Shrivastava	,, Kanota	Inter ATC.	15-7-35	10-10-57	90-70-140
11.	,, Harishchandra Sharma	,, Kundal	Matric ,,	7-9-46	19-11-53	78/-60-100
12.	,, Madholal Gupta	,, Lewan	Inter ,,	16-7-43	25-9-57	82-70-140

1	2	3	4	5	6	7
13. ,,	Kajormal Sharma ,,	Mandawari	BA. CT.	21-1-43	4-4-58	90/-70.100
14. ,,	Badari Narain Mathur ,,	Manpur	Inter ,,	1-7-48	13-12-52	82/70-100
15. ,,	Kishorilal Goyal ,,	Modikhana	BA. B.ed.	7 12-48	13-10-53	135-110-225
20. ,,	Hari Narain Chohan ,,	Paparda	BA. STC.	1-11-49	18-1-58	70-70-100
21. ,,	Jaideo Sharma ,,	Model,Topkhana	Inter AVTC.	16-3-29	4-2-59	140-70-140
22. ,,	Radhey Shyam Sharma,,	Ramgarh Pachwara	Inter STC.	24-10-50	11-10-57	82/-70-100
23. ,,	Chandra Shekhar Sharma ,,	Residency	BA, CT. MA.pre.	3-8-53	7-9-56	90/-70-140
24. ,,	Radhey gopal Sharma ,,	Sanganer	BA. BT. B.Spl.	20-7-50	1-9-58	135/-100-225
25. ,,	Ramswaroop Sharma ,,	Sainthal	Matric AVTC.	27-3-36	20-10-55	82/-60-100
26. ,,	Jaiknmar Bairathi ,,	Sikandra	BA. BT.	16-7-43	Jan 59.	145-110-225
27. ,,	Kailash Narain Mathur ,,	M.S. Sirsi	Iner V.T.C.	2-4-46	20-4-57	100/-70-140
28. ,,	Jagannath Pd. Sharma ,,	Sujanpura	BA. CT.	1-7-48	24-1-58	90-90-100
29. ,,	Roop Narain Rao ,,	Watika	BA. C.T.	24 7-40	14-4-55	86-70-100
30. ,,	Harinath Sharma ,,	Ramgarh Jpr.	BA. VTC.	2-7-46	5-3-59	115-70-140

1		2		3	4	5	6	7
31.	,,	P. D. Pareek	,,	Mah. B. Model M. S.	B.A. B.ED.	25-8-47	31-8-58	135/-100-225
32.	,,	Govind Narain Sharma	,,	Goner	Inter VTC.	10-8-27		
33.	,,	Raghunath Pd. Yadav	,,	Biwai	BA. STC.	10-7-44	4-10-57	62/-50-80
34.	,,	Bansidhar	,,	Banshkho	MatricVTC.HAdv.	17-8-31	31-10-57	100/-60-100
35.	,,	SurajNarain	,,	Deedwana	Matric STC.	24-9-51	9-11-57	

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण मंगलवार, दिनांक १४ अप्रेल, १९५९)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
७३४९	अन्तिम से९	नमाण	निर्माण
७३५५	अन्तिम से ९	candrop port	Can drop part
७३६० से ७३९०	शीर्षक	राजस्थान न्ययाधिकरण के सम्बन्धित विशेषाधिकरण प्रश्न	राजस्थान औद्योगिक—न्यायाधिकरण से सम्बन्धित विशेषाधिकार का प्रश्न
७३८३	शीर्षक	१४ अप्रल, ५९	१४ अप्रेल, ५९
७३८६	१	वानिगं	वर्निग
७३९५	१४	खिलाफा	खिलाफ़
७४०५	शीर्षक	१४ अप्रेल, ५७	१४ अप्रेल, ५९
७४०८	७	में	मैं
७४१४	१०		निम्नलिखित सदस्य हैं : 'हाँ' पक्ष
७४३९	शीर्षक	१३ अप्रेल, ५९	१४ अप्रेल, ५९
७४४६	५	फार फेर	फेर फार
७४६६	१४	आपत्तिय	आपत्तियां
७४७२	४	"On convictionisert"	',Onconviction" insert
,,	१५	Sevenger	Scavenger
७४७८	अन्तिम से१५	remoal	removal
७४७९	१६	(a) 'twenty' give for fifty	'twenty' for 'fifty'
७४८४	४	amenment	amendment
७४८९	१२	prosecute Convit	prosecute or Convict
७४९८	१२	एडजोन	एडजोर्न
७५९९	शीर्षक	१४ अप्रेल, ५८	१४ अप्रेल, ५९